खण्ड २—अंक ३८

१६ अप्रैल, १९५५ (शनिवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

1st Lok Sabha

(Session IX)

सत्यमेव जयते

(खण्ड २ में अंक २१ से अंक ४० तक हैं)

लोक सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

चार आने (देश में) एक शिलिंग (विदेश में)

259 L S D

विषय-सूची

(भाग १— प्रश्नोत्तर)

(खंड २—अंक २१ से ४० —२३ मार्च से १९ अप्रैल, १९५६)

अंक २१—बुधवार, २३ मार्च, १९५५

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३६७ से १३७३, १३७४, १३७७, १३७९ से १३८१, १३८६, १३८८, से १३९०, १३९२, १३९३, १३९६, १३९७, १३९९, १४००, १४०३, १४०४, १४०६, १४०७, १४०९, १४१३ से १४१५, १४१७, १४१८ और १४२१ . १५८७—१६३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर:—

तारांकित प्रश्न संख्या १३७४, १३७६, १३७८, १३८२ से १३८५, १३८७, १३९१, १३९४, १३९८, १४०१, १४०२, १४०५, १४०८, १४१० से १४१२, १४१६, १४१९ और १४२० १६३०—१६४५

अतारांकित प्रश्न संख्या ४१६ से ४२३ . . १६४५—१६५०

अंक २२— गुरुवार, २४ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १४२२—१४३५, १४३८, १४४१, १४४२, १४४४, १४४६, १४४८, १४५०, १४५३, १४६४, १४६७, १४६८, १४७०, १४७१ . . . . १६५१—१६९९

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १४३६, १४३७, १४३९, १४४०, १४४३, १४४५, १४४७, १४४९, १४५१, १४५२, १३६४, १४६६, १४७२–१४७७ १६९९—१७१०

अतारांकित प्रश्न संख्या ४२४ से ४२७ . . . १७१०—१७१४

अंक २३ — शुक्रवार, २५ मार्च १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४७८, १४७९, १४८०, १४८१, १४८३ से १४८५, १४८७, १४८८, १४९० से १४९२, १४९४, १४९६, १४९८, १४९९, १५०१, १५०४, १५०७, १५०८, १५१० से १५१३, १५१५ से १५१७, १५२१ से १५२३, १५२५, १५२७, १५३०, १५३१, १५३३ और १५३५ . . . १७१५—१७६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८२, १४८६, १४८६, १४६३, १४६५, १४६७, १५००, १५०२, १५०३, १५०५, १५०६, १५०६, १५१४, १५१८ से १५२०, १५२४, १५२६, १५२८, १५२६, १५३४ और १५३६ से १५३८ . . . १७६१—१७६३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४२८ से ४६० १७७४—१८०२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ १८०२

अंक २४—सोमवार, २८ मार्च, १६५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५३६ से १५४१, १५४३ से १५५०, १५५२, १५५४, १५५५, १५५७ से १५६०, १५६२, १५६४, १५६८, १५६६, १५७१से १५७७, १५७६, १५८०, १५८२, १५८५ से १५८८ . १८०३—१८५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १५४२, १५५१, १५५३, १५५६, १५६३, १५६५ से १५६७, १५७०, १५८१, १५८३, १५८४ . . . १८५०—१८५७

अतारांकित प्रश्न संख्या ४६१ से ४६८ . . १८५७—१८६२

अंक २५— मंगलवार, २६ मार्च, १६५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १५८६, १५६२, १५६४ से १६००, १६०२, १६०७, १६११ से १६१३, १६१५, १६१७, १६१६ से १६२१, १६२४ से १६२८, १६३० से १६३५, १६३८, १६४०, १६४२ से १६४८ और १६५० . . १८६३—१६१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १५६३, १६०१, १६०३ से १६०६, १६०८, १६०६, १६१४, १६१८, १६२३, १६२६, १६३६, १६३७ और १६३६ . . . . . १६१५—१६२३

तारांकित प्रश्न संख्या ४६६ से ४८४ १६२३—१६३४

अंक २६—बुधवार, ३० मार्च, १६५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६५१ से १६५६, १६६४ से १६६६, १६६८, १६७० से १६७४, १६७७, १६७८, १६८०, १६८२, १६८६, १६८६ से १६६५ और १६६७ से १७०५ . . १६३५—१६८१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६६० से १६६३, १६६७, १६६६, १६७५, १६७६, १६७६, १६८१, १६८३ से १६८५, १६८७, १६८८, १६६६, १७०६ से १७१० और १७१२ से १७२२ . . १६८१—२०००

अतारांकित प्रश्न संख्या ४८५ से ४६० और ४६२ से ५१६ २०००—२०२२

अंक २७—गुरूवार, ३१ मार्च १९५५

प्रश्नो के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७२३ से १७२७, १७२९ से १७३४, १७३७, १७३८, १७४२, १७४४, १७४५, १७४७ से १७५२, १७५४, १७५५, १७७०, १७५७ और १७५८ से १७६६ . . २०२३--२०७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १७२८, १७३६, १७३९ से १७४१, १७४३, १७४६, १७५३, १७५६, १७६७ से १९६९ १७७१, और १७७२ . . . . . २०७१--२०७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२० से ५२३, ५२५ और ५२६ . २०७८--२०८२

अंक २८— शनिवार, २ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १७७४, १७७८, १७८०, १७८६, १७८९, १७९०, १७९२—१७९४, १७९६, १७९७, १७९९—१८०२, १८०४, १८०६, १८०८, १८०९, १८११, १८१३, १८१४, १८१७, १८१९, १८२१ १८२२—१८२४, १८२६—१८२८, . २०८३--२१३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १७७३, १७७९, १७८७, १७८८, १७९५, १७९८, १८०३, १८१०, १८१२, १८१६, १८१८, १८२०, १८२५. १८२९ . . . . . २१३३—२१४१

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२७—५३७. . . २१४१—२१४

अंक २९-- सोमवार, ४ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १८३० से १८३२, १८३६, १८३८, १८४० से १८४४, १८४७ से १८४९, १८५१ से १८५३, १८५५, १८५७, १८५९, १८६०, १८६२ से १८६४, १८६६ से १८७०, १८७२, १८७८, १८७९, १८८२ से १८८४, १८८७ से १८८९, १८९१ और १८९२ . . . . . २१४९--२१९९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ . . . . . २२००—२२०४

तारांकित प्रश्न संख्या १८८२ के उत्तर में शद्धि . . . २२०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १८३३, १८३४, १८३७, १८३९, १८४५, १८४६, १८५०, १८५४, १८५६, १८५८, १८६१, १८६५, १८०१, १८७३ से १८७७, १८८०, १८८१, १८८५, १८८६, १८९० और १८९३ से १८९९ . . . . २२०५—२२२

अतारांकित प्रश्न संख्या ५३८ से ५७५ . . . २२२३—२२५

अंक ३०— मंगलवार, ५ अप्रैल, १९५५

मौखिक उत्तर के प्रश्न —

तारांकित प्रश्न संख्या १९००—१९०४, १९०६, १९०७, १९०९, १९१०, १९१३, १९१६, १९१८, १९२०, १९२१, १९२४—१९२६, १९२८, १९२९, १९३१, १९३५—१९३९, १९४१, १९४२, १९४४—१९५०, १९५३ . . . २२५१—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १९०५, १९०८, १९११, १९१२, १९१७, १९१९, १९२२, १९२३, १९३०, १९३२, १९३३, १९४०, १९४३, १९५१, १९५२, १९५४–१९५९ . . . २२९७—२३०८

अतारांकित प्रश्न सख्या ५७६, ५७७, ५७९—५९४, ५९७—६०२ . २३०८—२३२४

अंक ३१— बुधवार, ६ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १९६१, १९६५, १९६६, १९६८ से १९७२, १९७४ से १९७७, १९८० से १९८२, १९८४ से १९८७, १९८९ से १९९२, १९९४, १९९५, १९९७, १९९८, २००० से २००६ और २००८ से २०१० . . . . २३२५—२३७०

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १९६०, १९६२ से १९६४, १९६७, १९७३ १९७८, १९७९, १९९३, १९९६ और १९९९ . . . २३७०–२३७७

अतारांकित प्रश्न संख्या ६०३ से ६१९ . . . . २३७७–२३७८

अंक ३२— बृहस्पतिवार, ७ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०१३, २०१५–२०१७, २०१९, २०२२, २०२३, २०२५, २०२६, २०२८, २०३०, २०३३–२०३५, २०३७, २०३९—२०४२, २०४४, २०४५, २०४७–२०५३, २०५६, २०५९–२०६५, २०६७ . . २३८९—२४३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०११, २०१२, २०१८, २०२०, २०२१, २०२४, २०२७, २०२९, २०३१, २०३२, २०३६, २०३८, २०४३, २०५४, २०५५, २०५७, २०५८, २०६६, २०६८—२०७१. . २४३५—२४४५

अतारांकित प्रश्न संख्या ६२०—६५५ . . . . २४४६—२४७०

अंक ३३—शनिवार, ९ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०७२, २०७४, २०७६, २०७७, २०७९ से २०८१, २०८५, २०९१, २०९२, २०९५, २०९९, २१००, २१०२ से २१०४, २१०६, २१०७, २१०९, १७३५, २०८२, २०९३. २०९४, २०९६, २०९७ और २०९०. . . . . २४७१—२५०५

प्रश्नों के लिखित उत्तेर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०७५, २०७८, २०८३, २०८४, २०८६ से २०८९, २०९८, २१०५, २१०८ और २११०. . . २५०५—२५१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ६५६ से ६८२. . . . २५१२—२५३०

अंक ३४—सोमवार, ११ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१११ से २११४, २११८, २१२०, २१२३, २१२५, २१२९, २१३०, २१३२, २१३३ से २१३५, २१३८, २१३९, २१३९—क, २१४०, २१४१, २१४३ से २१५९ . . २५३१—२५७९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९८३, १९८८, २००७, २११५ से २११७, २११९, २१२१, २१२२, २१२४, २१२६, २१२८, २१३१, २१३६, २१३७, २१४२. . . . . २५७९—२५८९

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८५ से ७१६. . . . २५८९—२६१०

अंक ३५—मंगलवार, १२ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१६० से २१६३, २१६५, २१६६, २१६८, २१६९, २१७१, २१७४, २१८० से २१८४, २१८६, २१८७, २१८९, २१९२ से २१९४, २१९६, २१९८, २२०० से २२०२, २१७६, २१७८, २१६७ और २१९०. . . २६११—५०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७— . . . २६५०—५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१६४, २१७०, २१७२, २१७३, २१७५, २१७७, २१७९, २१८५, २१८८, २१९५, २१९७, २१९९ और २२०३ . . . . . २६५३—५९

अतारांकित प्रश्न संख्या ७१७ से ७७८ . . . . २६५९—९६

अंक ३६—गुरुवार, १४ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२०४ से २२०८, २२१० से २२१५, २२१९, २२२१, २२२३ से २२२९ और २२३४ से २२४३ २६९७—२७३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२०९, २२१६ से २२१८, २२२०, २२२२, २२३० और २२३२ . . २७३५—४०

अतारांकित प्रश्न संख्या ७७९ से ८०७ . . . . २७४०—५८

अंक ३७—शुक्रवार, १५ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२४४, २२४८, २२५१, २२५२, २२५६, २२५९, २२७६, २२६१, २२६२, २२६५, २२६६, २२६८, २२७०, २२७१, २२७२ से २२७४, २२७७ से २२७९, २२८१ से २२८४, २२५५, २२५८, २२६३, २२६९, २२५३ और २२८० . . २७५९—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२४६, २२४७, २२४९, २२५०, २२५४, २२६०, २२६४, २२६७ और २२७५ . . २७९८—२८०२

अतारांकित प्रश्न संख्या ८०८ से ८१६ और ८१८ से ८२९ . . २८०२—१४

अंक ३८— शनिवार, १६ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२८६ से २२८८, २२९२, २२९४, २२९६ से २२९८, २३००, २३०२ से २३०४, २३०६, २३१०, २३१३ से २३१५, २३१७, २३१८, २३२१, २३२२ और २२९९ २८१५—४१

तारांकित प्रश्न संख्या २२९२ के उत्तर में शुद्धि २८४१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ २८४१—४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२८५, २२८९, २२९० से २२९३, २२९५, २३०१, २३०५, २३०७ से २३०९, २३११, २३१२, २३१६, २३१९, २३२० और २३२३ . २८४७—५४

अतारांकित प्रश्न संख्या ८३० से ८७० . . . . २८५४—७८

अंक ३९—सोमवार, १८ अप्रैल, १९५५

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण २८७९

प्रश्नों के मौत्तिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३२५, २३२७, २३२८, २३३० से २३३९, २३४१, २३४४ से २३४६, २३४९, २३५१, २३५३ से २३५५, २३५७ से २३५९, २३६२ और २३६४ . . .२८७९—२९११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३२४, २३२६, २३२८, २३२९, २३४०, २३४२, २३४७, २३४८, २३५०, २३५२, २३५६, २३६०, २३६१ और २३६३. . . . . २९११—२९१७

अतारांकित प्रश्न संख्या ८७२ से ८८५ . . . . २९१७—२९२६

अंक ४०—मंगलवार, १९ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३६५ से २३७०, २३७२ से २३७६, २३८० से २३८४, २३८६, २३८८, २३९०, २३९२, २३९३, २३९७ . २९२७—५७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३७१, २३७७ से २३७९, २३८५, २३९१, २३९४, २३९५, २३९८ . . . . . २९५७—६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८६ से ९०१, ९०३ से ९०८ . २९६२—७२

खंड २ की अनुक्रमणिका . . . . . १—१८९

लोक सभा

शनिवार, १६ अप्रैल, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

रेलवे समय-सारणी

*२२८६. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी समय-सारणी की कितनी प्रतियां १९५४ में मुद्रित की गईं; और

(ख) उनकी बिक्री से कुल कितना धन प्राप्त हुआ ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हिन्दी समय-सारणी की ४६,००० प्रतियां अप्रैल, १९५४ में और अक्तूबर, १९५४ में भारतीय रेलवे सम्मेलन सन्था की अखिल भारतीय हिन्दी समय-सारणी के भाग १ और २ की ४,११७ प्रतियों समेत ५१,११७ प्रतियां मुद्रित की गईं।

(ख) अप्रैल, १९५४ की हिन्दी समय-सारणी की बिक्री से १०,६१२ रुपये की कुल आय हुई जिसमें, से ३,९७७ रुपये की विज्ञापनों से होने वाली आय भी सम्मिलित है।

अक्तूबर, १९५४ की हिन्दी समय-सारणी के सम्बन्ध में आप के आंकड़े अभी तक

उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि बिक्री के खाते जन, १९५५ के अन्त तक तैयार होंगे।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में भी हिन्दी समय-सारणी की मांग है ?

श्री अलगेशन : वहां ऐसी मांग का होना थोड़ा अस्वाभाविक है, फिर भी मेरा विचार है कि उन क्षेत्रों में भी, कुछ प्रतियां बेची जा रही हैं।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या इन समय-सारणियों को प्रादेशिक भाषाओं में भी प्रकाशित करने को कोई प्रस्थापना है ?

श्री अलगेशन : समय-सारणियां प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित की जा रही हैं।

गृह अर्थ-व्यवस्था का प्रशिक्षण

*२२८७. **श्री विभूति मिश्र** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हवाई तथा जापान में गृह अर्थ-व्यवस्था का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये कुछ महिलायें चनी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है तथा उन राज्यों के क्या नाम ह जिनम से वे चुनी गई हैं ; और

(ग) जिस प्रशिक्षण के लिये उन्हें बाहर भेजा जा रहा है उसकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) हां ।

(ख) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ५४**]

(ग) गृह अर्थ-व्यवस्था विभागों के संगठन तथा ग्राम्य महिलाओं के साथ व्यवहार करने के उचित तरीकों का अध्ययन करने तथा इन देशों के गृह सुधार क्रियाकलापों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने के लिये ये महिलायें अपना प्रशिक्षण समाप्त कर के ३०-३-५५ को भारत लौट आई हैं ।

श्री विभूति मिश्र : क्या मैं जान सकता हूं कि जिस तरह की शिक्षा के लिये हम लोगों को हवाई भेजते हैं क्या उस तरह की शिक्षा गांवों की गृहणियों के लिये उपयोगी सिद्ध होगी और क्या वैसी ट्रेनिंग की सुविधायें यहां प्राप्त नहीं हो सकतीं ?

डा० पी० एस० देशमुख : जिस ट्रेनिंग के लिए हम इन को भेजते हैं हमारे ख्याल से उस किस्म की ट्रेनिंग की सुविधायें यहां पर नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं प्रश्न यह किया गया है कि जिस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है क्या वह इस देश की गांवों की गृहणियों को कोई लाभ पहुंचा सकेगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : हां, आवश्यक बातों में लाभ पहुंचा सकेगी ।

श्री विभूति मिश्र : क्या मंत्री महोदय जरा विस्तार से यह बताने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन सी शिक्षा वहां दी जायेगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : प्रशिक्षण के विषय भोजन की तैयारी तथा परिरक्षण, पोषाहार तत्व, कपड़ों की सिलाई, कपड़ों तथा बिस्तरों की देख रेख तथा उन्हें उठाकर रखना, स्वास्थ्य, प्रसूति तथा शिशु कल्याण, घर तथा गांव की सफाई, आवास तथा मनोरंजन की व्यवस्था, पारिवारिक आय के बुद्धिमत्तापूर्ण व्यय, प्रौढ़ साक्षरता, सामुदायिक आवश्यकताओं, साधारण दस्तकारी तथा छोटे छोटे उद्योगों से संबंधित हैं ।

श्रीमती ए० काले : क्या सरकार को ज्ञात है कि इस प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त कर के लौटने वाली कुछ महिलायें सरकार का रुपया लौटा देने और ग्रामों में काम न करने का विचार कर रही हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख: ऐसा कोई मामला मेरी जानकारी में नहीं आया है ।

श्री बासप्पा : मैसूर राज्य से किसी के भी न चुने जाने का कारण क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : शांति, शान्ति ।

श्री गाडिलिंगन गौड़: इन अभ्यार्थियों के चुने जाने के लिये आवश्यक न्यूनतम अर्हतायें क्या हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : अर्हतायें कई प्रकार की थीं । कुछ ऐसी महिला-अभ्यार्थियों को अधिमान दिया गया था जो किसी प्रकार का कार्य कर चुकी थीं, या प्रशिक्षित अध्यापिकाएं थीं, या अन्य उपयोगी कार्यों में लगी हुई थीं ।

श्री भक्त दर्शन : माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि कुछ महिलाओं को ट्रेनिंग के लिये हवाई भेजा गया है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस बात का ध्यान रखा गया है कि वहां से ट्रेनिंग पाने के बाद वे अपने साधारण भारतीय घरों को न भूल जायें और हवाई महल न बनाने लग जायें ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी नहीं, हवाई में जाने से हवाई महलों वगैरह की तरफ उन का ध्यान नहीं जाता ।

श्रीमती ए० काले : जो महिलायें भेजी गईं, उन पर प्रति महिला कितना खर्च हुआ ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह जानकारी तो मेरे पास नहीं है परन्तु अधिकांश व्यय फोर्ड प्रतिष्ठान तथा टी० सी० एम० इत्यादि से प्राप्त होता है ।

अन्दमान और निकोबार द्वीप में प्रकाश स्तम्भ

*२२८८. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान तथा निकोबार द्वीप-समूह में कितने प्रकाश स्तंभों के निकट भविष्य में स्थापित किये जाने का विचार है ;

(ख) क्या इनमें से किसी प्रकाश स्तंभ में रेडार सैट भी लगाये जायेंगे ;

(ग) क्या इसके लिये इन द्वीपों का कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो किस के द्वारा और कब ; और

(ङ) वहां इस समय वर्तमान प्रकाश-स्तंभ कैसा काम कर रहे हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) दस ।

(ख) अभी तो इनमें से किसी में भी रेडार सेट लगाने का विचार नहीं है ।

(ग) नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ङ) संतोषपूर्ण ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या इन द्वीपों की प्रकाश व्यवस्था में कोई अभिवृद्धि की गई है ?

श्री अलगेशन : हां । हमने वहां एक अग्रिम आलोक लगाया है, जो बिजली से काम करता है । उस की पहुंच का क्षेत्र अट्ठारह मील है ।

श्री एस० सी० सामन्त : प्रश्न के भाग (ख) के संबंध में क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार निकट भविष्य में रेडार सेट लगाने का विचार करती है ?

श्री अलगेशन : हां । प्रयोगात्मक उपाय के रूप में, प्रकाश-स्तंभ विभाग दो प्रकाश-स्तम्भों में, एक पश्चिमी तट पर तथा दूसरा पूर्वी तट पर, रेडार सेट लगाने का विचार कर रहा है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या इन द्वीपों से संबन्धित पंच वर्षीय योजना के कार्यक्रम पर विचार किया जा चुका है ?

श्री अलगेशन : हां, कार्यक्रम बनाया जा चुका है ।

मजदूर नेताओं का प्रशिक्षण

*२२९२. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मजदूर नेताओं के प्रशिक्षण के लिये सरकार ने अब तक क्या प्रबन्ध किये हैं ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : मजदूर संघों के प्रतिनिधि अनेक टेकनिकल सहायता कार्यक्रमों के अधीन समय समय पर प्रशिक्षण लेने के लिये विदेशों में भेजे गये । देश में मजदूर संघों के प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देने का भी विचार है ।

सेठ गोविन्द दास : अब तक जो लोग प्रशिक्षण के लिये भेजे गये उन की संख्या कितनी है और ऐसे केन्द्रों की संख्या कितनी है जिन में कि इन को भेजा गया ?

श्री खंडूभाई देसाई : अब तक सात आदमियों को भेजा गया है और आठ और भेजे जायेंगे और उन के बारे में हम ने सिफारिश कर दी है ।

सेठ गोविन्द दास : मैंने यह भी पूछा था उन केन्द्रों की संख्या कितनी है जहां यह लोग भेजे गये ?

†**श्री खंडूभाई देसाई** : कुछ लोगों को जेनेवा भेजा गया है और कुछ को लन्दन । यही दो जगहें हैं जहां लोगों को भेजा जाता है ।

सेठ गोविन्द दास : क्या जब इन लोगों को भेजा जाता है तो इस बात का खयाल रखा जाता है कि ये लोग उसी शिक्षा के लिये भेजे जाएं जो कि भारतवर्ष में नहीं दी जा सकती है ।

श्री खंडूभाई देसाई : जी हां, इस बात का जरूर खयाल रखा जाता है ।

विमानों के लिये यंत्र द्वारा उतरने की व्यवस्था

*२२९४. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे कितने हवाई अड्डे हैं जिनका उपयोग रात्रि-सेवाओं द्वारा किया जाता है ;

(ख) इन में कितने हवाई अड्डों में विमानों के यंत्र द्वारा उतरने की व्यवस्था की गई है ; और

(ग) शेष हवाई अड्डों में इस प्रणाली की व्यवस्था कब की जयेगी ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ऐसे हवाई अड्डे छै हैं जिनके नाम हैं पालम, सफदरजंग, सांत्ताक्रूज, मद्रास, डमडम तथा नागपुर ।

(ख) इस प्रकार की व्यवस्था तीन हवाई अड्डों में की गई है जिनके नाम हैं डमडम, पालम तथा सान्ताक्रूज ।

(ग) नागपुर में ऐसी व्यवस्था इस वर्ष की जायेगी तथा मद्रास में द्वितीय पंच वर्षीय योजना के आरंभ में की जायेगी । सफदरजंग हवाई अड्डे पर ऐसी व्यवस्था करने का विचार नहीं है, क्योंकि वह इस प्रकार की सहायता के लिये प्रविधिक रूप से उपयुक्त नहीं है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या नागपुर हवाई अड्डे पर यंत्रों की सहायता से उतरने की प्रणाली की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री राज बहादुर : यही तो मैं अभी अभी बता चुका हूं ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या सरकार अन्य हवाई अड्डों में भी इस प्रकार की व्यवस्था करने का विचार कर रही है ?

श्री राज बहादुर : यथा समय जैसे जैसे इसके लिये आवश्यक उपकरण हमें प्राप्त होते जायेंगे ।

श्री अच्युतन : इस प्रणाली की स्थापना करने की लागत क्या है । यंत्रों की सहायता से उतरने की प्रणाली की मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

श्री राज बहादुर : यंत्रों की सहायता से उतरने की प्रणाली की मुख्य विशेषता यह है कि जिस विमान में इस प्रणाली की व्यवस्था होती है वह खराब ऋतु में तथा कम दिखाई देने की परिस्थिति में किसी भी ऐसे हवाई अड्डे पर उतर सकता है जिस में इन यंत्रों की सहायता से उतरने के लिये अपेक्षित उपयुक्त उपकरण हों । मान्य प्रकार की व्यवस्था की लागत लगभग ५,००,००० रुपये होगी ।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना

*२२९६. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना में चीनी उद्योग के सम्मिलित किये जाने के संबंध में बिहार सरकार की सिफारिश पर सरकार ने क्या विनिश्चय किया है ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ के उपबंधों को चीनी उद्योग पर लागू करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

---

†इसे बाद में ठीक किया गया । देखिये स्तम्भ संख्या २८४१ ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : इसमें निर्णय करने में क्यों विलम्ब हो रहा है ?

श्री खंडूभाई देसाई : थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन जितनी जल्दी सम्भव होगा किया जायगा ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : बिहार सरकार की तरफ से इसकी मांग कब आयी ?

श्री खंडूभाई देसाई : वह तो मैं अभी नहीं कह सकता । लेकिन मांग तो जरूर आयी थी ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : कब तक फैसला होगा ?

श्री खंडूभाई देसाई : वह तो मैं ने कहा ।

अरूर में पुल

*२२९७. **श्री सी० आर० अय्युण्णि :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रावनकोर-कोचीन राज्य में स्थित अरूर में (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ४७ पर) पुल का निर्माण आरंभ हो गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). पुल का निर्माण पहले ही मंजूर हो चुका है और शीघ्र ही कार्य आरंभ होने वाला है ।

श्री सी० आर० अय्युण्णि : मंजूरी कब दी गई थी ?

श्री अलगेशन : गत फरवरी में ।

श्री सी० आर० अय्युण्णि : कार्य निश्चित रूप से कब आरंभ होगा ।

श्री अलगेशन : मैं समझता हूं कि शीघ्र ही आरंभ होने वाला है । मैंने यह भी सुना है कि त्रावनकोर-कोचीन के मुख्य मंत्री शिलान्यास करने जा रहे हैं ।

श्री सी० आर० अय्युण्णि : यह कार्य समाप्त कब हो जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री दामोदर मेनन : निर्माण पर जो खर्च होगा क्या वह आंशिक रूप में त्रावनकोर-कोचीन सरकार तथा केंद्रीय सरकार दोनों द्वारा वहन किया जायेगा या सम्पूर्ण रूप से केंद्रीय सरकार द्वारा ही वहन किया जायेगा ?

श्री अलगेशन : यह पुल राष्ट्रीय राजमार्ग पर है इसलिये इस का खर्च सम्पूर्ण रूप से केंद्रीय सरकार देगी ।

अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि

*२२९८. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) १९५४–५५ में अभ्रक की खान श्रम कल्याण निधि के लिये कुल कितनी राशि एकत्रित की गई ; और

(ख) उपर्युक्त काल में इस निधि में से कुल कितनी राशि खर्च की गई ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी जो अभी समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिये है, एकत्रित की जा रही है तथा यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : मैंने १९५२–५३ तथा १९५३–५४ के भी आंकड़े मांगे थे परन्तु उस प्रश्न को छोड़ दिया गया है । क्या एकत्रित की जाने वाली राशि में वृद्धि हो रही है या नहीं ?

श्री खंडूभाई देसाई : मैं माननीय सदस्य को आंकड़े दे रहा हूं :

१९४६–४७	४,६४,००० रुपये
१९४७–४८	१३,३१,००० ,,
१९४८–४९	११,८०,००० ,,

१९४९–५०	१६,०९,०००	रुपये
१९५०–५१	३५,३९,०००	,,
१९५१–५२	३४,६६,०००	,,
१९५२–५३	१३,१४,०००	,,
१९५३–५४	१३,४४,०००	,,

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : क्या खानों में काम करने वाले मजदूरों के लड़कों के लिये प्रारंभिक स्कूल खोलने की कोई योजना बनाई गई है ?

श्री खंडूभाई देसाई : मैं समझता हूं कि ऐसी एक योजना विचाराधीन है और यह स्कूल खोले जायेंगे, क्योंकि यह निधि शिक्षा संबंधी, मनोरंजन संबंधी, आवास संबंधी तथा पीने के पानी सम्बन्धी सुविधाओं पर खर्च की जा रही है ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार: इतने अधिक अन्तर होने का कारण क्या है ; एक वर्ष में आंकड़े ३४ लाख रुपये के थे तथा दूसरे वर्ष में १३ लाख रुपये थे ?

श्री खंडूभाई देसाई : इसका कारण या तो यह हो सकता है कि उत्पादन घट गया हो या यह कि निर्यात कम हो गया हो ।

श्री रामचंद्र रेड्डी : १९५४–५५ में इस निधि की प्रारम्भिक रोकड़ कितनी थी ?

श्री खंडूभाई देसाई : इन सब वर्षों की कुल आय १,४२,५७,००० रुपये है जिसमें से १९,७४,००० रुपये का खर्च किया गया है इसलिये प्रारम्भिक रोकड़ कोई एक करोड़ पच्चीस लाख रुपये है ।

श्री रामचंद्र रेड्डी : क्या इस राशि के खर्च करने की कोई पंच वर्षीय योजना है ?

श्री खंडूभाई देसाई : एक योजना तैयार की जा रही है और मैं समझता हूं कि योजना में बताई गई सुविधाओं को देने के लिये शेष राशि को जल्दी से जल्दी खर्च कर दिया जायेगा ।

छोटी सिंचाई योजनायें

*२३००. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ७ सितम्बर, १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ५९५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभावग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई योजनायें स्वीकार कर ली गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां, ६ योजनाओं में से ५ "अधिक अन्न उपजाओ" योजना के अन्तर्गत छोटी सिंचाई योजनाओं के रूप में स्वीकृत की गई हैं । "सरजू नहर योजना" के नाम वाली छठी योजना स्वीकृत नहीं की गई क्योंकि वह मोटी योजना थी जो कि "अधिक अन्न उपजाओ" योजना के क्षेत्र से बाहर थी ।

(ख) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ५५**]

श्री भक्त दर्शन : इस विवरण से ज्ञात होता है कि यह जो पांच योजनायें हैं उनके लिये लगभग ५९ लाख रुपया स्वीकृत किया गया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह अनुदान के रूप में क्यों नहीं स्वीकृत किया गया और ऋण के रूप में क्यों स्वीकृत किया गया ?

डा० पी० एस० देशमुख : हमारे पास ग्रांट के तौर पर देने की कोई गुंजाइश नहीं है । यह मदद लोन के तौर पर ही दी जाती है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ये पांच योजनायें किन किन जिलों के लिये हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह तो मुझे इल्म नहीं है लेकिन इस बात के ऊपर हमने

यह लोन दिया है कि उत्तर प्रदेश के भावर और ट्रांस ताप्ती क्षेत्र विकट रूप से अभावग्रस्त रहते हैं तथा वहां गत कई वर्षों से अभाव की स्थिति चली आ रही है।

श्री भक्त दर्शन : अभी माननीय मंत्री महोदय ने बतलाया था कि एक योजना मोटी होने के कारण छोड़ दी गयी । मैं जानना चाहता हूं कि "मोटी" की क्या परिभाषा है ?

डा० पी० एस० देशमुख : दस लाख से ज्यादा ।

श्री एन० बी० चौधरी : भारत सरकार ने सामान्य रूप से अभावग्रस्त क्षेत्रों की सिंचाई योजनाओं में होने वाले खर्च में कितना प्रतिशत व्यय वहन किया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह सब ऋण अभावग्रस्त क्षेत्रों के लिये ही हैं । यह छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये हैं जिनकी लागत के सामान्यतः १० लाख रुपये से कम होने की आशा की जती है ।

संबलपुर में चीनी का कारखाना

*२३०२. **श्री संगण्णा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संबलपुर (उड़ीसा) में चीनी का कारखाना स्थापित करने की अनुमति दिये जाने के लिये कोई आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या उड़ीसा-सरकार ने उसकी सिफारिश की है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) हां ।

(ख) राज्य सरकार की सिफारिश अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री संगण्णा : क्या मैं उक्त संस्था का नाम जान सकता हूं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेसर्स काटन एजेन्ट्स लिमिटेड, कलकत्ता ।

श्री संगण्णा : क्या मैं जान सकता हूं कि इस कारखाने की प्रस्थापित संस्थापित क्षमता कितनी है ?

डा० पी० एस० देशमुख : १५,००० टन ।

श्री संगण्णा : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रस्थापित चीनी-कारखाने से संबलपुर में धान की खेती और उड़ीसा में वर्तमान चीनी-कारखानों की आर्थिक दशा पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : देश में चावल के प्रचुर मात्रा में होने के कारण, हमें इस बात से भयभीत नहीं होना चाहिये कि धान का कुछ क्षेत्र गन्ने की खेती के अधीन आ जायगा । आखिर, उद्योगों से देश की समृद्धि में वृद्धि होती है ।

श्री संगण्णा : क्या मैं जान सकता हूं कि वर्तमान कारखानों की आर्थिक दशा पर इस कारखाने का प्रभाव पड़ेगा या नहीं ?

डा० पी० एस० देशमुख : जहां तक मेरा विचार है, उससे प्रायः कुछ सुधार ही होगा ।

अनाज की दूकानें

*२३०३. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे कर्मचारियों द्वारा नगद महंगाई भत्ते का विकल्प दिये जाने के कारण (१) कर्मचारी वर्ग और (२) १९५३-५४ की तुलना में १९५४-५५ में वस्तुओं की खरीद पर होने वाले घाटे के अन्तर्गत, अनाज की दूकानों के व्यय में कुल कितनी कमी हुई है ; और

(ख) नगद भत्ता दिये जाने के कारण कुल व्यय में कितनी वृद्धि हुई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) (१) करीब १८·६६ लाख रुपये ।

(२) करीब २६४.१७ लाख रुपये ।

(ख) करीब १३६.८५ लाख रुपये ।

श्री के० सी० सोधिया : अब मंहगाई भत्ता किस दर पर दिया जा रहा है ?

श्री अलगेशन : जिन्होंने अनाज दूकान की रियायतें लेना स्वीकार नहीं किया है उन्हें केन्द्रीय वेतन आयोग के क्रम से दिया जा रहा है।

श्री के० सी० सोधिया : वेतन-बिलों पर इस नगद मंहगाई भत्ते का कुल परिमाण कितना है ?

श्री अलगेशन : मुझे सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या सरकार इस तथ्य को देखते हुए कि अनाज के दाम अब गिर रहे हैं, नगद मंहगाई भत्ता कम करने की कल्पना करती है ?

श्री अलगेशन : यह अधिक बड़ा प्रश्न है । यह केवल रेलवे मंत्रालय से ही संबंधित नहीं है । मैं सभा को यह बता सकता हूं कि ऐसा कोई विचार नहीं है ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि जिन रेलवे कर्मचारियों ने नगद भत्तों के लिये अपनी इच्छा प्रकट की है उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें बुरे किस्म का चावल दिया जाता था ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक पुराना प्रश्न है । पहले ही उसका निर्णय किया जा चुका है ।

मोटरगाड़ियों में बेतार के दूरभाष (टेलीफोन)

*२३०४. **श्री बालकृष्णन्** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि डाक और तार विभाग ने मोटरगाड़ियों में बेतार के दूरभाष लगाने की एक योजना तैयार की है;

(ख) क्या इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये मंजूरी दे दी गयी है; और

(ग) यदि हां, तो उसे कब कार्यान्वित किया जायेगा ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) चलती गाड़ियों में दूरभाष लगाने की कोई योजना डाक और तार विभाग के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विन्ध्य प्रदेश में अकाल

*२३०६. **श्री रनदमन सिंह (श्री बी० वी० शास्त्री की ओर से)** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विन्ध्य प्रदेश सरकार ने उस राज्य में अकालग्रस्त व्यक्तियों को सहायता देने के लिये केन्द्रीय सरकार से आर्थिक सहायता देने की प्रार्थना की है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : विन्ध्य प्रदेश के किसी भी भाग में अकाल की स्थिति नहीं है । राज्य सरकार ने इस बारे में किसी भी प्रकार की केन्द्रयी सहायता के लिये प्रार्थना नहीं की है ।

केन्द्रीय तंबाकू गवेषणा संस्था

*२३१०. **श्री विभूति मिश्र** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि केन्द्रीय तंबाकू गवेषणा संस्था राजामुन्द्री और गन्टूर में

सिगरेट की तंकाबू के शोधन के संबंध में तीन महीने का एक प्रशिक्षण-कार्यक्रम संगठित करने की प्रस्थापना करती है ; और

(ख) क्या प्रशिक्षार्थी सभी राज्यों से चुने जायेंगे, और यदि हां, तो प्रत्येक राज्य के लिये कितनी संख्या निर्धारित की गयी है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) और (ख). १९४९–५० से राजामुन्द्री और गन्टूर में सिगरेट की तंबाकू का शोधन करने संबंधी तीन महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम पहले से ही जारी है। सभी राज्यों से प्रशिक्षार्थियों को भर्त्ती किया जाता है परन्तु प्रत्येक राज्य के लिये कोई निश्चित संख्या निर्धारित नहीं की गयी है ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि ट्रेनिंग के लिये गांव के किसानों के लड़के भेजे जायेंगे जो तम्बाकू की खेती करते हैं या ऐसे नौजवान भेजे जायेंगे जो केवल नौकरी के लिये ट्रेनिंग करना चाहते हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : हम उन्हीं लड़कों और शख्सों को ट्रेनिंग के लिये भेजेंगे जिनसे देश को अधिक फायदा होगा ।

श्री विभूति मिश्र : जो बराबर हैबिचुएल तम्बाकू की खेती करने वाले हैं उनके लड़के अगर पढ़े लिखे हैं उनको ट्रेनिंग में भेजने के लिये प्रीफरेंस दिया जायगा, फायदा उनको भेजने से होगा या ऐसे लड़कों को भेजने से होगा जिन्हें कोई प्रैक्टिकल नौलेज नहीं है और जो केवल एकेडिमिक क्वालिफ़िकेशन रखते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आप तो बहस करते हैं ।

श्री हेडा : हालांकि अलग अलग राज्यों के लिये कोई कोटा मुकर्रर नहीं किया गया है, फिर भी क्या मैं जान सकता हूं कि हैदराबाद स्टेट से कितने लोगों ने इस ट्रेनिंग का लाभ उठाया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इसमें तो कोई हैदराबाद का दीखता नहीं, अगर मेम्बर साहब चाहते हैं कि उनको संख्या बतलाऊं कि किस किस प्रदेश से कितने कितने आये हैं तो आंध्र से सबसे ज्यादा आये हैं, १७ आये हैं, मद्रास से १ है, उड़ीसा से १ है, आसाम से १ है और बम्बई से ५ आये हैं ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या मैं जान सकता हूं कि इन प्रशिक्षार्थियों को कौन-कौन सी सुविधायें दी जाती हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : वह एक लंबा विवरण है जिसमें सभी ब्योरे दिये गये हैं किन्तु उसे यहां पढ़ना असंभव है ।

श्री विभूति मिश्र : बिहार के कितने हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : कोई नहीं है ।

रोज़गार की स्थिति

*२३१३. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५ के प्रारंभ से भारत में कामदिलाऊ दफ्तरों से इकट्ठे किये गये आंकड़ों से देश की रोजगार सम्बन्धी स्थिति में कोई सुधार दिखायी पड़ा है ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : १९५५ के पहले दो महीनों में काम दिलाऊ दफ्तरों द्वारा अधिसूचित रिक्त स्थानों की औसत संख्या २१,२४२ थी जबकि १९५४ में १९,९९० प्रति मास थी । दफ्तरों की चालू पंजियों में काम ढूंढने वालों की संख्या दिसंबर १९५४ में ६,०९,७८० से घटकर फरवरी १९५५ के अन्त में ६,०५,९३३ हो गयी है । ये आंकड़े स्थिति में सुधार के चिन्ह हो सकते हैं किन्तु इनसे अभी कोई अंतिम निर्णय निकालना संभव नहीं है ।

डा० रामसुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि काम ढूंढने वालों की संख्या में कमी

दिखाई दी और क्या पिछले वर्ष के आंकड़ों के साथ उसकी तुलना की गयी है ?

श्री खंडूभाई देसाई : मेरे विचार से यह बात केवल जनवरी से दिखायी पड़ रही है । अक्टूबर से दिसम्बर १९५४ तक का औसत १,२०,३३१ था । जनवरी में वह १,१६,८८९ था और फरवरी में १,०९,४६४ था । किंतु मैं बताना चाहता हूं कि इन आंकड़ों से कोई परिणाम निकालना उचित नहीं है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या यह तथ्य है कि १९५४ के अन्त में विभिन्न काम-दिलाऊ दफ्तरों की सूचियों में काम ढूंढ़ने वालों की संख्या इन दफ्तरों की स्थापना के समय से सब से अधिक थी ?

श्री खंडूभाई देसाई : इन आंकड़ों से ऐसा नहीं मालूम पड़ता है कि पिछले दो या तीन महीनों में वह संख्या घटती जा रही है ।

श्रीमती ए० काले : क्या मैं जान सकती हूं कि इन आंकड़ों में महिलाओं की संख्या कितनी है ?

श्री खंडूभाई देसाई : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं । यदि सूचना दी जाय तो मैं आंकड़े एकत्र करवा लूंगा ।

श्री वीरस्वामी : क्या सरकार भविष्य में भी काम ढूंढ़ने वालों की संख्या के बराबर घटते जाने की आशा करती है ?

अध्यक्ष महोदय : यह कहना संभव नहीं है ।

श्री खंडूभाई देसाई : मैं यह कैसे कह सकता हूं ?

समाचारपत्रों का विमान से ले जाया जाना

*२३१४. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनगर से कारगिल और लेह को विमान से समाचारपत्रों को ले जाने की कोई व्यवस्था की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो वह व्यवस्था किस प्रकार की है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हां ।

(ख) वे समाचारपत्र जिनके लिये जमीन पर ले जाने के लिये साधारण डाक खर्च के अतिरिक्त प्रत्येक ५ तोला या उसके भाग के लिये ३ पाई का रियायती विमान अतिरिक्त शुल्क पहले दे दिया जाता है, श्रीनगर से कारगिल और लेह विमान द्वारा ले जाये जाते हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि ले जाये जाने वाले समाचारपत्रों की संख्या के सम्बन्ध में कोई सीमा है ?

श्री राज बहादुर : जहां तक मुझे जानकारी है, कोई सीमा नहीं है, क्योंकि हम अतिरिक्त शुल्क ले रहे हैं, किन्तु मेरी सूचना में शुद्धि की जा सकती है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह कार्य जम्मू और काश्मीर सरकार की इच्छानुसार किया गया है अथवा हमारी सरकार स्वतः इसे कर रही है ?

श्री राज बहादुर : जैसा कि मैंने बताया, हम इस सेवा को यथाशक्ति सुधारने का लगातार प्रयत्न कर रहे हैं और यह कार्यवाही सुधार सम्बन्धी उन प्रयत्नों का एक परिणाम है ।

औषधियों में गवेषणा

*२३१५. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) चिकित्सा की देशी और अन्य पद्धतियों में गवेषणा कार्य करने के हेतु केन्द्रीय सहायता के लिये बिहार सरकार ने किस प्रकार की योजनायें प्रस्तुत की हैं ; और

(ख) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) बिहार सरकार ने ऐसी कोई योजना प्रस्तुत नहीं की है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : किन-किन प्रदेशों से स्कीमें आई हैं और किस तरह की स्कीमें आई हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : यद्यपि बिहार सरकार ने कोई योजना प्रस्तुत नहीं की है, फिर भी केन्द्रीय सहायता के लिये आयुर्वेद प्रचार समिति द्वारा सरकार को प्रस्तुत गवेषणा योजना की एक प्रति यहां है ; उस पर विचार किया गया था, किन्तु योजना के सम्पूर्ण न होने के कारण उसको स्वीकृत नहीं किया गया था । गवेषणा-योजना पूर्ण नहीं थी । समिति के सचिव को यह बता दिया गया था । यदि वह पूरी जानकारी के साथ फिर भेजी जाय, तो उस पर बाद में विचार किया जा सकता है ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : इस स्कीम में क्या कमी थी ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : योजना पूरी नहीं थी और वे यह नहीं बता सके . . .

ठाकुर युगल किशोर सिंह : किन बातों में वह पूरी नहीं थी ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो अधिक विस्तार में जाना होगा ।

तिरुप्पुर-पलनी रेल सम्पर्क

*२३१७. **श्री बालकृष्णन्** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि तिरुप्पुर से पलनी तक एक रेलवे लाइन बनाने के लिये अभी हाल में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) इस प्रस्ताव को द्वितीय पंच वर्षीय योजना की अवधि में निर्माण के लिये नयी लाइनें चुनते समय विचार करने के लिये रख लिया गया है ।

श्री एन० एम० लिंगम् : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मद्रास सरकार ने इस लाईन के द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित किये जाने की सिफारिश की है ?

श्री अलगेशन : साधारणतया हम राज्य सरकारों की सिफारिशें बताना नहीं चाहते । किंतु चूंकि माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है, मैं यह बता सकता हूं कि मद्रास सरकार ने इस विशिष्ट लाइन को सम्मिलित नहीं किया है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : स्पष्टीकरण के हेतु । माननीय मंत्री कहते हैं कि राज्यों की सिफारिशें यहां नहीं रखी जा सकतीं ।

अध्यक्ष महोदय : "रखी नहीं जा सकतीं" ऐसा नहीं है । किन्तु उन्होंने यह कहा कि साधारणतया हम बताना नहीं चाहते किन्तु इस मामले में . . . .

श्री टी० बी० विट्ठल राव : अभी हाल में समाचारपत्रों में इसे मद्रास सरकार, हैदराबाद सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई प्रकाशित किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : चाहे जो कुछ हो, यही सामान्य प्रथा है ।

अन्तर्राष्ट्रीय किसान युवक विनिमय कार्यक्रम

*२३१८. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** २३ फरवरी, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्तर्राष्ट्रीय किसान युवक विनिमय कार्यक्रम

के अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र अमरीका में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये किसान युवकों के चुनाव का आधार क्या है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ५६]**

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार खेती की ट्रेनिंग के लिए जिनको बाहर विदेश में भेजती है और वह ट्रेनिंग पा कर देश में लौटते हैं, इस देश की आबोहवा में क्या वह ट्रेनिंग कारगर हो सकती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जैसा कि मैंने इस हाउस में कई बार बतलाया है, वह ज्यादा कोई ट्रेनिंग नहीं है बल्कि यह देखना होता है कि वहां पर अमरीकन लोग किस तरह रहते हैं और उनसे हम क्या सीख सकते हैं, कोई खास ट्रेनिंग का सवाल उसमें नहीं है । इसके अतिरिक्त उनको इस वास्ते भी भेजा जाता है कि हिन्दुस्तान में क्या परिस्थिति है वह उनको समझा दें । इस ट्रेनिंग का मकसद एक इंटरनेशनल कंटैक्ट भी कायम करना है ।

श्री विभूति मिश्र : इसके मानी यह हैं कि वे ट्रेनिंग के लिये नहीं बल्कि सैर करने जाते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मंत्री महोदय के ध्यान में प्रधान मंत्री महोदय का वह वक्तव्य आया है जो उन्होंने राष्ट्रीय कृषक सम्मेलन के अवसर पर दिया था कि हमें कृषि शिक्षा की ट्रेनिंग विदेशों में न दे कर अपने देश में ही देनी चाहिये और क्या उस वक्तव्य के प्रकाश में वह अपने इस कार्य में परिवर्तन करना चाहते हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं नहीं समझता कि मेम्बर साहब उसका यहां पर ठीक रीप्रोडक्शन कर रहे हैं, ऐसा तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने नहीं कहा था । उन्होंने तो कहा था कि उनके दिल में शक है कि इन लोगों के बाहर जाने से कितना फायदा होता है, साथ ही साथ यह बात भी उन्होंने बतलाई थी कि इसको बन्द कर देना भी मुनासिब बात नहीं होगी ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या विदेशों से आये हुए नवयुवकों ने कोई इस बात की रिपोर्ट पेश की है कि वह वहां से क्या सीख कर आये हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : हम ने उन से खास कर कोई रिपोर्ट नहीं मांगी है । वह जो काम कर रहे हैं उससे वह अपने अपने हिस्से में फार्मर लीडर्स बन गये हैं और लोग उन से पूछ ताछ भी करते हैं । जो कुछ वह खुद करते हैं उस से काश्तकार और दूसरे लोग भी सबक सीखते हैं ।

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना

***२३२१. डा० राम सुभग सिंह** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय की शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत इस समय कार्य कर रहे प्रशिक्षण विद्यालयों तथा केन्द्रों की संख्या क्या है ; और

(ख) उन में प्रशिक्षणार्थियों की कुल संख्या क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : (क) ५४ ।

(ख) फरवरी, १९५५ के अन्त में ५,६४० ।

डा० राम सुभग सिंह : यह विद्यालय कब से चल रहे हैं ? क्या इन विद्यालयों के प्रशिक्षणार्थियों को सामान्यतः काम मिल जाता है अथवा उन को सरकार द्वारा सेवायुक्त कर लिया जाता है ?

श्री खंडूभाई देसाई : हमारी सूचना के अनुसार, जो व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं सामान्यतः सेवायुक्त हो जाते हैं और सार्वजनिक

तथा निजी दोनों प्रकार के उपक्रमों में उनकी अच्छी मांग है।

डा० राम सुभग सिंह : क्या इन प्रशिक्षणार्थियों के लिये भी काम दिलाऊ दफ्तरों के द्वारा रोजगार प्राप्त करना होता है अथवा उनको सीधे ही ले लिया जाता है ?

श्री खंडूभाई देसाई : निश्चय ही, यदि वह रोजगार चाहते हैं तो उनको काम दिलाऊ दफ्तरों को आवेदन करना होता है ।

श्री हेम राज : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो संस्थायें इस वक्त सेन्टर के मातहत काम कर रही हैं वह शिवाराव कमेटी की रिकमेन्डेशन्स के बाद राज्य सरकारों को सौंप दी जायंगी या सेन्टर के ही पास रहेंगी ?

श्री खंडूभाई देसाई : वह राज्य सरकारों के सुपुर्द की जायंगी ।

मानसिक चिकित्सालय रांची

*२३२२. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगो कि रांची के मानसिक चिकित्सालय का अधिक उत्तम प्रकार से पुनर्संगठन करने और क्योंकि वह केन्द्रीय सरकार के सीधे नियंत्रण तथा प्रबन्ध में आ गया है उसे एक आदर्श केन्द्र बनाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : जानकारी का एक विवरण लोक-सभा पटल रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ५७]**

श्री बी० एन० मिश्र : कल जो आगुन्तक यहां आ गया था क्या उसे रांची के मांसिक रोगों के चिकित्सालय को भेजा गया है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि जनता में इस कारण बहुत क्षोभ फैला हुआ है क्योंकि चिकित्सालय में चिकित्सा करा रहे व्यक्तियों को कौतुकालय का भाग समझा जाता है और लोगों को ले जाकर उन को दिखाया जाता है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मुझे कोई सूचना नहीं है ।

श्री विभूति मिश्र : रांची मेन्टल हास्पिटल में निर्धन मनुष्यों के रखने की भी कोई व्यवस्था है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : हम वहां कुछ मुफ्त बिस्तरों की व्यवस्था करने का विचार कर रहे हैं ।

वाहनान्तर का यंत्रीकरण

*२२९९. **श्री टी०बी० विट्ठल राव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गेज बदलने वाले स्थानों पर वाहनान्तर क्षमता को बढ़ाने की दृष्टि से वाहक प्रणाली को चालू करके वाहनान्तर का यंत्रीकरण करने के सम्बन्ध में फैडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स एण्ड कामर्स की प्रस्थापना पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या निर्णय किये गये हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) यह विचार किया गया है कि वाहनान्तर स्थानों पर यंत्रीकृत वाहकों की स्थापना करने से कोई विशेष लाभ अथवा सुविधा प्राप्त नहीं होगी ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : गेज बदलन वाले स्थानों पर वाहनान्तर सुविधाओं को

बढ़ाने के लिये और क्या कार्यवाहियां की जा रही हैं ? कहा जाता है कि यह मामला कोई दो वर्ष से सरकार के विचाराधीन है ।

श्री अलगेशन : मेरे विचार से जब रेलवे आयव्ययक पर चर्चा हुई उस समय यह सब बातें बता दी गई थीं। मनवाड़ी तथा साबरमती और वीरमगांव जैसे केन्द्रों में हमने वाहनान्तर की क्षमता को बढ़ा दिया है । उदाहरण के लिये मनवाड़ी में इसे १२० से बढ़ा कर २०० ब्राड गेज कर दिया गया है । साबरमती और वीरमगांव में हमने कोयले के ढेर बनाये हैं और इसके कारण हम और अधिक वैगनों को चलता करने में सफल हुए हैं । अन्य कार्यवाहियां भी की जा रही हैं ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : इन गेजों के बदलाव के लिये सिकन्दराबाद स्टेशन पर क्या कार्यवाहियां की जा रही हैं ?

श्री अलगेशन : मेरे पास सिकन्दराबाद स्टेशन से सम्बन्धित सूचना नहीं है । यदि माननीय सदस्य एक पृथक प्रश्न प्रस्तुत करें तो मैं सूचना दे सकता हूं ।

तारांकित प्रश्न संख्या २२९२ के उत्तर में शुद्धि

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : मैंने सेठ गोविन्ददास के प्रश्न के उत्तर में जो वक्तव्य दिया था उसमें मैं कुछ शुद्धि करना चाहता हूं । प्रशिक्षणार्थी भी भेजे गये हैं—उनमें से कुछ संयुक्त राज्य अमरीका भेजे गये हैं । मैंने *कहा था कि उनको केवल इंगलैण्ड में ही प्रतिनियुक्त किया गया था ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

गोआ के सत्याग्रही

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८. श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति सहित ६ अप्रैल, १९५५ को मेपुक्का (गोआ) में गिरफ्तार किये गये गोआ के लगभग ५० सत्याग्रहियों के साथ हवालात में पुर्तगाली सरकार द्वारा अमानवीय व्यवहार किया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ७ अप्रैल १९५५ को एक राष्ट्रीय कार्यकर्ता को जो कि राष्ट्रीय तिरंगा फहरा रहा था चोर्डेन गांव में पुर्तगाली पुलिस द्वारा गोली मार दी गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस विषय में सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पन्त) : (क) से (ग) तक. गोआ को औपनिवेशिक हकूमत से मुक्त कराने तथा उसे भारत से पुनः संयुक्त कराने के सिलसिले में गोआ निवासियों द्वारा कुछ पिछले महीनों से शान्तिपूर्ण सत्याग्रह चलाया जा रहा है । इस सत्याग्रह ने अब यह रूप धारण किया है कि गोआ निवासियों के कुछ समूह तथा गोआ के निवासी तथा बाहर के कुछ भारतीय विशेष तिथियों को राष्ट्रीय नारे लगाते हुए झंडे को फहराते हैं ।

गोआ की राष्ट्रीय कांग्रेस ने ६ अप्रैल, १९५५ को गोआमें एक खुला वार्षिक अधिवेशन करने के लिये चुना था । इस दिन के सार्वजनिक प्रदर्शन का मुकाबिला करने के लिये पुर्तगाली प्राधिकारियों ने अपनी समस्त शक्ति को एकत्रित किया था । विश्वस्त सूत्र से ज्ञात हुआ है, कि सेना बुलाई गई थी और पुर्तगाल और कनाकोना स्थानों पर तो जनता को डराने के नये टैंकों और तोपों का भी प्रदर्शन किया गया था । मारगाओ, मेपुक्का और राजधानी के नगर पंजिम में रोकथाम के लिये बहुत से गोआ निवासियों को, जिनमें कुछ लड़कियां भी थीं, गिरफ्तर किया गया था ।

६ अप्रैल को गोआ राष्ट्रीय कांग्रेस की निर्वाचित सभापति श्रीमती सुधा जोशी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया । कांग्रेस का खुला

*देखिये स्तम्भ संख्या १८२१ ।

अधिवेशन नहीं हो सका किन्तु श्रीमती सुधा जोशी ने अपने सभापति भाषण का कुछ अंश पढ़ा था । मरगाओ और मेपुक्का में उनको तथा चालीस से अधिक सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया गया । कहा जाता है कि हवालात में पूछताछ के समय श्रीमती जोशी को गालियां दी गईं और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया जिस के विरोध में यह कहा जाता है कि वह अनशन कर रही हैं ।

यह भी कहा जाता है कि जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था उन को राइफल के कुन्दों, लातों और डंडों से पीटा गया । श्रीमती सुधा जोशी को भी पीटा गया । इस सम्बन्ध में कोई विश्वस्त सूचना नहीं है । समाचार पत्रों में श्री मादिल्कर को भारतीय राष्ट्रीय झंडा फहराने के अपराध में गोली से मार दिये जाने की खबर प्रकाशित हुई थी । अभी इस समाचार की पुष्टि नहीं हुई है ।

मरगाओ तथा मेपुक्का में ४६ गिरफ्तारियां होने का पता लगा है । संभवत: गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या इससे कहीं अधिक थी । दर्शकों की विशाल भीड़ पर, जो सत्याग्रह देखने को एकत्रित हुए थे, लाठियों तथा डंडों का प्रहार किया गया था ।

पुर्तगाली प्राधिकारियों ने सेना का अधिकाधिक प्रयोग किया है, क्योंकि स्पष्टत: उन्हें गोआनी पुलिस पर पूरा विश्वास नहीं है । गोआ को औपनिवेशिक हकूमत से स्वतंत्र करने तथा उसे पुन: भारत के साथ मिला देने के लिये जो शान्तिपूर्ण आन्दोलन चल रहा है उसे दबाने के लिये जिन क्रूर उपायों का वह आश्रय ले रहे हैं उन के विरुद्ध भारत सरकार ने अनेक बार पुर्तगाली सरकार को विरोध पत्र भेजा है ।

११ अप्रैल को उस ने इन कार्यवाहियों के विरुद्ध फिर एक जोरदार विरोधपत्र भेजा है और पुर्तगाली सरकार को चेतावनी दी है कि यदि इस प्रकार की कार्यवाहियां जारी रहीं तो गोआ और भारत दोनों में इस से भयंकर प्रक्रियायें होंगी ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पुर्तगाली प्राधिकारी गोआ निवासियों की स्वतंत्रता की देशभक्तिपूर्ण मांग को निरन्तर तथा हठपूर्वक क्रूरता से ठुकराते रहे हैं, तथा उस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि पुर्तगाली प्राधिकारी भारत के विरुद्ध बहुत धूर्ततापूर्ण तथा अपमानजनक आन्दोलन करते रहे हैं । क्या भारत सरकार अपनी पुरानी नीति का पुनरीक्षण करेगी, और क्या वह प्रथम तो दिल्ली स्थित पुर्तगाली दूतावास को बन्द कराने और द्वितीय उन भारतीयों को जो गोआ के निवासी नहीं हैं गोआ के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिये गोआ जाने देने की अनुमति देने के हेतु कार्यवाही करेगी ?

पंडित जी० बी० पन्त : भारत सरकार स्थिति को बहुत ध्यानपूर्वक देखती रही है । और समय समय पर उस पर विचार करती रही है । उपयुक्त समय आने पर माननीय सदस्य द्वारा दिये गये सुझावों पर भी विचार किया जायगा ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि पुर्तगाली प्राधिकारी कुछ दिनों से गोआ में सेना तथा बहुत अधिक परिमाण में सैन्य सामान इकट्ठा करते जा रहे हैं । और क्या यह सच है कि भारत सरकार ने गोआ में गोला बारूद के आयात को तथा गोआ में और अधिक सैनिकों के लाये जाने को रोकने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की है ?

पंडित जी० बी० पन्त : जो तलवार से जीते हैं वे तलवार से ही मरते भी हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : माननीय गृहमंत्री ने कहा कि पुर्तगाली प्राधिकारियों को यह

विरोध पत्र भेजे गये हैं कि गोआ की स्थिति से भारत और गोआ दोनों में भयंकर प्रतिक्रियायें होंगी। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या गोआ की सरकार ने उन विरोध पत्रों को ठुकरा दिया है, और यदि हां, तो भारत सरकार इस सम्बन्ध में और क्या वैकल्पिक कार्यवाही करना चाहती है ?

पंडित जी० बी० पन्त : विरोध-पत्रों को ठुकराया नहीं जा सकता है। हमने विरोध-पत्र भेजे हैं और काफी विरोध-पत्र भेजे हैं। विरोध-पत्र वाले पत्रादि पुर्तगाली मंत्री को ११ अप्रैल को प्राप्त हुए थे और १२ को वापस किये गये थे। इस प्रकार उन्हें एक कड़ी चेतावनी दी गई थी।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या मैं जान सकता हूं कि यदि सरकार भारतीयों को गोआ की सीमा में स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेने के वर्तमान निषेध को हटा दे तो इससे कौन सी विशेष अंतर्राष्ट्रीय जटिलताओं के उत्पन्न हो जाने की सरकार आशा करती है ?

पंडित जी० बी० पन्त : यह प्रश्न कल्पनात्मक है।

श्री सारंगधर दास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को पता है कि हाल में हुए इस विशिष्ट मामले में वहां गोआ में हो रहे राष्ट्रीय सम्मेलन में कुछ भारतीय राष्ट्रजन भी थे जिनका बहुत अपमान किया गया था और उनके मुंह पर थूक दिया गया था, और यदि हां, तो सरकार गोआ के राष्ट्रजनों को न सही पर स्वयं भारतीय राष्ट्रजनों की रक्षा करने के लिये क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

पंडित जी० बी० पन्त : सरकार गोआ निवासियों द्वारा अपने देश को मुक्त करने के इस स्वातंत्र्य संग्राम को बड़ी प्रशंसापूर्वक देख रही है, और ये भी भारत से वही सम्मान पाने के पात्र हैं जितने कि वहां रह रहे भारतीय राष्ट्रजन हैं।

श्री हेडा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सत्याग्रहियों के साथ किये गये व्यवहार के बारे में प्रेस में भिन्न भिन्न समाचार छप रहे हैं, क्या सरकार के पास इसका पता लगाने के कोई निजी साधन हैं, और यदि हैं, तो उनकी सूचना क्या है ?

पंडित जी० बी० पन्त: सरकार अपने सभी प्राप्त साधनों का प्रयोग कर रही है, और यह सच प्रतीत होता है कि सत्याग्रहियों के साथ गोआ की सरकार जो व्यवहार कर रही है उसे सभ्य नहीं कहा जा सकता।

श्री बी० एम० मिश्र : ब्रिटिश सरकार तथा गोआ की सरकार के मध्य हुई मूल संधि को ध्यान में रखते हुए, जिसके अन्तर्गत उन्हें अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिये भारत सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या गोआ सरकार ने भारतीय सरकार की अनुमति प्राप्त की है, और यदि नहीं, तो इसके लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पंडित जी० बी० पन्त : कार्यवाही किस के लिये ?

अध्यक्ष महोदय : संधि की शर्तों के लिये। वह कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार तथा गोआ की सरकार के बीच कोई सन्धि हुई थी जिसके अनुसार वह बिना भारतीय सरकार की अनुमति के अपनी सैनिक शक्ति को नहीं बढ़ा सकते हैं।

पंडित जी० बी० पन्त : यदि यह सच है तो पुर्तगाल के साथ व्यवहार करते समय इसका ध्यान रखा जायगा।

श्री एन० एम० लिंगम् : क्या मैं जान सकता हूं कि हमारी इस अनेक बार की घोषणा से कि हम गोआ में किसी भी परिस्थिति में

शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, पुर्तगाली अधिकारियों का हौसला इतना बढ़ गया है कि जिस के परिणामस्वरूप वहां गोआ निवासियों पर घोर अत्याचार किया जा रहा है ?

पंडित जी० बी० पन्त: यह सच हो सकता है कि हिंसा में विश्वास रखने वाले व्यक्ति आसानी से अहिंसा को नहीं अपनाते हैं किन्तु उनकी अन्त में हार होती है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

केन्द्रीय स्थानीय स्वायत्त शासन परिषद्

*२२८५. **श्री एस० एन० दास :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्थानीय स्वायत्त शासन परिषद् ने कार्यारम्भ कर दिया है;

(ख) क्या परिषद् ने कोई कार्यक्रम बनाया है ;

(ग) परिषद् द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशें क्या हैं ; और

(घ) उन के सम्बन्ध में किये गये निर्णय किस प्रकार के हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) नहीं । जून १९५५ में प्रस्तावित इसकी प्रथम बैठक से यह कार्य करना प्रारम्भ करेगी ।

(ख) से (घ) . प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

संयुक्त राज्य अमरीका से पर्यटक

*२२८९. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई से दिसम्बर १९५४ तक की अवधि में भारत में आये अमरीकी पर्यटकों की संख्या कितनी थी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : ५२१९ ।

स्वचालित टेलीफोन प्रणाली, कलकत्ता

*२२९०. **ठाकुर लक्ष्मणसिंह चाड़क :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री जे० जी० पेट्रिज ने कलकत्ते में स्वचालित टेलीफोन प्रणाली के सम्बन्ध में उपकरण योजना तथा प्रबन्धादि बातों के सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उनकी सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का प्रशिक्षण

*२२९१. **श्री एम० आर० कृष्ण :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का विशेष प्रशिक्षण देना चाहती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत कितने परिवारों को रोजगार दिया जायेगा ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) हां ।

(ख) अभी इसका ठीक ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता ।

बनिहाल सुरंग

*२२९३. **चौधरी मुहम्मद शफी :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनिहाल सुरंग का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है, और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगशन) : (क) हां ।

(ख) सुरंग के दोनों ओर खुदाई का काम किया गया है और सुरंग के उत्तर में ८० फीट और दक्षिण में १८० फीट की लम्बाई तक अग्रिम खुदाई की गई है ।

बिहार को चावल का संभरण

*२२९५. **श्री इब्राहीम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में बिहार को संभरित चावल का कुल परिमाण कितना था ;

(ख) अन्य राज्यों में उत्पन्न तथा आयात किये गये चावल में से जितना वहां भेजा गया उसके क्या परिमाण हैं ; और

(ग) उन के औसत मूल्य क्रमशः क्या हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) और (ख) . १९५४ में मध्य प्रदेश से ३१०० टन चावल बिहार भेजा गया ।

(ख) रेल भाड़े तथा बोरियों के दाम सहित चावल का मूल्य भेजने वाले स्टेशन से १३ रुपये ८ आने ३ पाई प्रति मन था ।

हवाई अड्डों पर मद्यपेयों की बिक्री

*२३०१. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **संचार** मंत्री २२ मार्च, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या १३५० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने हवाई अड्डों पर मद्यपेयों की बिक्री की अनुमति है ; और

(ख) क्या आने वाले विमानों के चालकों को भी इन दूकानों से पेय लेने की अनुमति है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) सात ।

(ख) चालकों के लिये यह नियम है कि जिस विमान में उन्हें कार्य करना होता है उसकी उड़ान के प्रारम्भ होने के बारह घंटों तक उनको किसी भी मद्यपेय के पीने की अनुमति नहीं है ।

बेज़वाड़ा-जाग्गयापेट रेल सम्पर्क

*२३०५. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेजवाड़ा-जाग्गयापेट (जिला कृष्णा) के बीच रेल कड़ी बनाने के सम्बन्ध में हाल ही में कोई प्रतिनिधान प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) इस प्रस्ताव को द्वितीय पंच वर्षीय योजना की अवधि में निर्माण के लिये नई लाइन चुनते समय विचार करने के लिये रख लिया गया है ।

भारती-अमरीकी करार

*२३०७. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि सम्बन्धी शिक्षा तथा गवेषणा प्रशिक्षण के सम्बन्ध में भारत तथा अमरीका के बीच तीन क्रियाकारी करारों पर हस्ताक्षर हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन की शर्तें क्या हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) नीचे दिखायी हुई तीन योजनाओं के सम्बन्ध में अमरीका के टेकनिकल सहकारिता मिशन ३० मार्च, १९५५ को क्रियाकारी करारों पर हस्ताक्षर हुए :

(१) कृषि शिक्षा तथा गवेषणा ।

(२) कृषि तथा गृह विज्ञान का विस्तार और प्रशिक्षण ।

(३) कृषि सम्बन्धी जानकारी उत्पादन और प्रशिक्षण ।

(ख) करारों की प्रतिलिपियां सभा के पुस्तकालय में रखी गई हैं ।

पशुओं का चारा

*२३०८. **श्री पी० सुब्बा राव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शीरे तथा गन्ने के फोक से पशुओं का चारा बनाने के लिये १९३६ से १९४० तक सरकार द्वारा किये गये प्रयोगों के क्या परिणाम हुए हैं ; और

(ख) क्या सरकार शीरे से पशुओं का चारा बनाने के लिये कोई संस्था चलाने का विचार कर रही है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ५८]**

गोदामों में हुई हानि

*२३०९. **श्री एस० एन० दास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में केन्द्रीय सरकार के गोदामों में रखे गये खाद्यान्नों में से कितना नष्ट हुआ और कितने की हानि हुई ;

(ख) कुल भंडार का कितना प्रतिशत नष्ट हुआ ; और

(ग) गत वर्ष खाद्यान्नों को सुरक्षा-पूर्वक रखने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की और उस का क्या परिणाम हुआ ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) तथा (ख) . (१) भंडार में रखे गये खाद्यान्न की मात्रा १६,६५,५७४ टन ।

(२) नुकसान तथा बिगड़ने से हुई हानि २,५६९ टन ।

(३) प्रतिशत नुकसान ०.१५ ।

(ग) खाद्यानों के सुरक्षण के तरीके जैसे कि उसे विशुद्ध करना तथा धुंवा देना, बराबर किये गये और साल में हानि प्रतिशत ०.१५ के कम स्तर पर लाई गई ।

पश्चिमी पंजाब के विस्थापित व्यक्तियों को प्रशिक्षण

*२३११. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मंत्रालय द्वारा संचालित केन्द्रों में पश्चिमी पंजाब के विस्थापित व्यक्तियों को क्या प्रशिक्षण सुविधायें दी जा रही हैं ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : पश्चिमी पंजाब के विस्थापित व्यक्तियों को दिसम्बर १९४७ से श्रम मंत्रालय द्वारा संचालित केन्द्रों में प्रविधिक तथा व्यवसायिक व्यवसायों में प्रशिक्षण दिये जाने की सुविधायें दी गई हैं । प्रशिक्षण काल में प्रशिक्षु को ३० रुपये छात्रवृत्त, निश्शुल्क चिकित्सकीय सहायता तथा जहां भी उपलब्ध हो खेल-कुद की तथा छात्रावास की सुवधियें दी गई हैं । कोई प्रशिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता है । १९५४ से प्रारंभ हुए वर्तमान सत्र में ७११ स्थान विस्थापित व्यक्तियों के लिये स्वीकृत किये गये हैं ।

केवल योजना का प्रशिक्षण

*२३१२. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री डी० जे० डब्ल्यु० कैनेडी ने केवल योजना एक्सचेंज ट्रान्सफर, (हस्तान्तरण)

तथा टैलीग्राफ़ लाइनों के जाल के आधुनिकीकरण आदि के कर्मचारियों के प्रशिक्षण देने तथा पढ़ाने के संबंध में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में उसकी क्या सिफारिशें हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं,

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण

*२३१६. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **श्रम** मंत्री २३ फरवरी, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या ११६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण को समाप्त करने का कोई निर्णय किया गया ह ; और

(ख) यदि हां, तो श्रम सम्बन्धी झगड़ों को सुलझाने के लिये और कौन सी वैकल्पिक प्रणाली निकाली गई है ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : (क) और (ख) . इस संबंध में सरकार ने अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया है ।

ऋण सुविधायें

२३१९. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४–५५ में, अच्छा बीज, उर्वरकों तथा कृषि औज़ारों को खरीदने के लिये कृषकों को ऋण सुविधायें देने के हेतु पंजाब राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : १९५४–५५ में कृषकों को उर्वरकों को खरीदने तथा वितरण की सुविधायें देने के लिये ७४,२१,५४० रुपये की धनराशी पंजाब राज्य को दी गई है । अच्छे औज़ारों तथा बीज के लिये न किसी ऋण की मांग की गई थी और न स्वीकृत ही किया गया है ।

मुर्गी पालन विकास केन्द्र

*२३२०. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १४ मार्च, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या ९२७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों में मुर्गी पालन विकास केन्द्रों की स्थापना के लिये अब तक स्वीकृत किये गये अनुदानों की रकम क्या है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : ३.३६ लाख रुपये ।

नई रेलवे लाइनें

*२३२३. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली के निकट बड़ी रेलवे लाइन के प्राथमिक इंजीनियरिंग तथा रेल मार्ग का सर्वेक्षण कब से प्रारम्भ होगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : सर्वे की मंजूरी पिछले महीने दी गयी थी और यह काम जल्दी ही शुरू कर दिया जायगा ।

पर्यटन सम्बन्धी प्रचार सामग्री

८३०. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री यह दिखाने वाला एक विवरण पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंग्रेजी तथा हिन्दी में निकाले गये गाइडों, पुस्तिकाओं, फोल्डरों, नकशों, पोस्टरों, चलचित्रों तथा चित्रयुक्त पोस्टकार्डों के क्या ब्यौरे हैं ;

(ख) ये किन स्थानों पर मिल सकते हैं तथा ये बेचे जाते हैं अथवा मुफत प्राप्त हो सकते हैं ; और

(ग) यदि ये बेचे जाते हैं तो इनके मूल्य क्या हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ५९**]

रेलवे कर्मचारी

८३१. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली रेलवे स्टेशन के कितने रेलवे कर्मचारी अपने कार्यस्थान से तीन मील से अधिक दूरी पर रहते हैं ;

(ख) क्या उनके लाने ले जाने के लिये कोई प्रबन्ध किये गये हैं ;

(ग) क्या इस के स्थान पर उन्हें कोई भत्ता दिया जाता है ; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ६१२.

(ख) जी नहीं । परन्तु रेल से यात्रा करने वाले कर्मचारी उन सामान्य रियायतों के अधिकारी हैं जो रेलवे कर्मचारियों को दी जाती है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर जिन नियमों को प्रमाणीकृत किया गया है उन में इस प्रकार के भत्ते का उपबन्ध नहीं है ।

कर्मचारी सहायता निधि

८३२. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में उत्तर रेलवे के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को कर्मचारी सहायता निधि में से कितनी धनराशि दी गई है;

(ख) उपरिलिखित अवधि में खेलों तथा मनोरंजन पर क्रमशः इस निधि में से कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ग) उक्त निधि में इस समय कुल कितना धन है ; और

(घ) १९५४ में इसमें से वास्तव में कितनी धन राशि व्यय की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १९५४-५५ के वित्तीय वर्ष में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये स्वीकृत की गई धन राशि १६,४२४ रुपये ८ आने २ पाई थी ।

(ख) १९५४-५५ में खेलों पर ४५,३२९ रुपये ४ आने व्यय किये गये परन्तु मनोरंजन के लिये कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया । फिर भी ११,०१९ रुपये ४ आने उन संस्थाओं तथा मनोरंजन कलबों को दिये गये जो कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के मनोरंजन की व्यवस्था करते हैं ।

(ग) २८-२-१९५५ को निधि में ७६,४२७ रुपये थे ।

(घ) १९५४-५५ के वित्तीय वर्ष में व्यय हुई रकम के आंकड़े अभी ज्ञात नहीं क्योंकि इस के लेखे जून १९५५ में बन्द किये जायेंगे । परन्तु कुल स्वीकृत धनराशि १,३४,६२२ रुपये १२ आने थी ।

नैमित्तिक श्रमिक

८३३. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर काम कर रहे वैमित्तिक श्रमिकों की संख्या क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : १०५.

गंगा पर पुल

८३४. **श्री राम शरण :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जिला मेरठ और मुरादाबाद के बीच गंगा पर एक पुल बनाने के लिये स्थान के बारे में निश्चय हो गया है;

(ख) क्या कोई ऐसे अभ्यावेदन मिले हैं, जिन में इस पुल के स्थान के बारे में सिफ़ारिश की गई हो;

(ग) क्या काम शुरू हो गया है, यदि नहीं, तो कब से शुरू होने की आशा है; और

(घ) पुल के बनाने में कितना समय लगेगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां।

(ख) कोई लिखित अभ्यावेदन नहीं मिला, पिछले मार्च में गढ़मुक्तेश्वर के निवासियों का एक शिष्ट मंडल मंत्री से मिला था जिन्होंने स्थान परिवर्तन का सुझाव दिया और उन्हें विस्तृत प्रस्थापना भेजने के लिये कहा गया था।

(ग) मेरठ की ओर के उपागमन पर कार्य शीघ्र ही शुरू हो जायेगा। वास्तविक पुल तथा मुरादाबाद की ओर के उपागमन के संबंध में राज्य सरकार से प्राक्कलन की प्रतीक्षा है। १९५६ में इन कार्यों के शुरू होने की आशा है।

(घ) शुरू होने के समय से तीन से चार साल।

मिदनापुर में सार्वजनिक टेलीफोन

८३५. **श्री एन० बी० चौधरी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर जिले के उप-विभागीय मुख्य कार्यालयों में सार्वजनिक टेलीफोन लगाने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) मिदनापुर ज़िले के उप-विभागीय नगर घाटल में कब तक सार्वजनिक टेलीफोन लगा दिया जायेगा ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) पाँच उप-विभागीय मुख्य कार्यालयों में से तीन में पहले से ही सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है ।

(ख) घाटल में सार्वजनिक टेलीफोन लगाने के लिये अधिक पूंजी चाहिये। इस वर्ष इसी कार्य को प्रारंभ करना संभव नहीं है। १९५६–५७ के प्रारंभ में प्रस्ताव पर फिर विचार किया जायेगा।

हिन्दी के तार

८३६. **श्री अनिरुद्ध सिंह :** क्या **संचार** मंत्री २२ मार्च , १९५५ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या ४१५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५४ में बिहार के कितने नये डाकघरों में हिन्दी के तारों को देवनागरी लिपि में प्राप्त करने तथा भेजने का प्रबन्ध किया गया था; और

(ख) उपर्युक्त काल में उस राज्य के डाकघरों में कितने हिन्दी के तार प्राप्त हुए तथा भेजे गये ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ६१.

(ख) बाहर-जाने वाले तार : ८३०२
आने वाले तार : संख्या उपलब्ध नहीं है।

सकरी-हसनपुर रेल सम्पर्क

८३७. **श्री अनिरुद्ध सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री १६ नवम्बर १९५४ के अतारांकित प्रश्न

संख्या ३८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के दरभंगा ज़िले (बिहार राज्य) में सकरी-हसनपुर रोड के बीच एक नई रेलवे लाइन बनाये जाने के लिये कोई प्रार्थना दी गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके निर्माण कार्य के कब तक प्रारंभ किये जाने की संभावना है?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निर्माण के लिये नई रेलवे लाइनों का चुनाव करते समय इस परियोजना पर विचार किया जायेगा । इसलिये यह अभी नहीं बताया जा सकता कि क्या इस लाइन पर निर्माण होगा तथा यदि हो तो कब ।

अतिरिक्त विभागीय डाकघर

८३८. **श्री भक्त दर्शन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त १९४७ के बाद से प्रति वर्ष कितने अतिरिक्त विभागीय डाकघरों को बदल कर विभागीय डाकघर बनाया गया है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : एक विवरण जिसमें मांगी हुई सूचना दी गई है सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ६०**]

भारतीय नौवहन

८३९. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५४ में डूबे भारतीय जहाज़ों के क्या नाम हैं;

(ख) वे किन स्थानों पर डूबे हैं; और

(ग) कितने निकाल लिये गये हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख).

(१) एस० टी० "चियरफुल" ——— वैलाड पियर बम्बई ।

(२) एस० एस० "जानकी"—खंडेरी द्वीप के प्रकाशगृह से छः मील दूर, बम्बई

(ग) एक । एस० टी० "चियरफुल" ।

पर्यटक यातायात

८४०. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ नवम्बर, १९५४ से ३१ जनवरी, १९५५ तक कुल कितने पर्यटकों ने भारत की यात्रा की; तथा

(ख) उक्त अवधि के दौरान इससे कितनी विदेशी मुद्रा कमायी गई?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ८९७०।

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

नार्वे से आर्थिक सहायता

८४१. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५४ के दौरान नार्वे से कितनी आर्थिक सहायता प्राप्त हुई; तथा

(ख) उक्त सहायता किस रूप में प्राप्त हुई?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) ६,३२,००० रुपये ।

(ख) उक्त राशि सामान,-सज्जा, नार्वे के कर्मचारियों के लिये, मकान, स्वास्थ्य केन्द्र, मरम्मत की दुकानें, टेकनिकल कर्मचारियों तथा भारतीय विद्यार्थियों का नार्वे म प्रशिक्षण, इत्यादि के रूप में प्राप्त हुई ।

श्रीनगर को विमान सेवायें

८४२. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर १९५४ से फर्वरी १९५५ तक दिल्ली से जम्मू, जम्मू से श्रीनगर तथा दिल्ली से श्रीनगर को विमान कितनी बार उड़ान करते थे;

(ख) प्रत्येक बार कितने यात्री ले जाये गये; और

(ग) इस अवधि के दौरान उक्त वायु-मार्ग पर कितना व्यय हुआ ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता ह । [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ६१**]

(ग), लगभग ५,७६,००० रुपये ।

मच्छर

८४३. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सच है कि बंगाल एनोफेलीज़ मच्छरों के उत्पति-विज्ञान का अध्ययन किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो किसके द्वारा और कब ?

(ग) क्या यह सच है कि बंगाल में एनोफेलीज़ की ३२ जातियां हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनमें से कितनी हानिकर और भयानक हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) जी हाँ।

(ख) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें कि १९१२ से १९४८ तक के बंगाल एनोफेलोज मच्छरों के अध्ययन से सम्बिन्धित प्रकाशनों तथा उनके लेखकों के नाम दिये गये हैं। [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ६२**]

(ग) जी हाँ।

(घ) केवल पांच जातियां हैं—**ए० मिनियस, ए० फिलिपिनेंसिस, ए० सन्डायस, ए० सनडैकस, ए० वरुना**—और इन ही मच्छरों से बंगाल में मलेरिया फैलता है ।

पदाधिकारियों की सीधी नियुक्ति

८४४. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **संचार** मंत्री सभा-पटल पर एक विवण रखेंगे जिसमें निम्न जानकारी दी गयी हो कि:–

(क) वर्ष १९५२, १९५३, १९५४ में मंत्रालय द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग को सौंपे जाने के बिना ही, कितने पदाधिकारी नियुक्त किये गये;

(ख) उनमें से कितने पदाधिकारी संघ लोक सेवा आयोग के सामने भेजे गये; और उस द्वारा अस्वीकृत कर दिये गये, और

(ग) ऐसे कितने पदाधिकारी हैं जो कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अस्वीकृत हुये किन्तु तत्पश्चात् मंत्रालय द्वारा पुनः नियुक्त किये गये?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) १९५२—२
१९५३—१
१९५४—३

(ख) ऐसा कोई भी मामला जो संघ लोक सेवा आयोग के पास भेजा गया, अस्वीकृत नहीं हुआ ।

(ग) जी नहीं ।

क्षय चिकित्सा के लिये औषध

८४५. **श्री इब्राहीम** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) सरकारी अथवा सरकारी सहायता प्राप्त अस्पतालों में, एक क्षय के

रोगी की चिकित्सा के लिये प्रतिमास औसतन कितने रुपयों के मूल्य की दवाइयों और औषधों की आवश्यकता पड़ती है; और

(ख) सरकार द्वारा क्षय की चिकित्सा के उपयोग में आने वाली दवाइयों और औषधों की लागत को घटाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) भारत सरकार को इस सम्बन्ध में यथार्थ जानकारी नहीं है । चिकित्सा के अनुरूप यह लागत ६ रुपये से १२ रुपये ८ आने तक प्रति रोगी प्रतिमाह हो सकती है ।

(ख) दिसम्बर १९५४ से क्षय की चिकित्सा के उपयोग में आने वाली स्ट्रेप्टोमाइसीन तथा डाइ हाइड्रो स्ट्रेप्टोमाइसीन के आयात पर सीमा-शुल्क घटा दिया गया है ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

८४६. ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार, निकट भविष्य में आवश्यक विधान बना कर, कर्मचारियों की राज्य बीमा योजना को, जम्म और काश्मीर राज्य में भी लागू करना चाहती है?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्रम विवाद

८४७. ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष १९५४ के दौरान कारखानों उद्योगों, सरकारी निगमों इत्यादि में कुल कितनी हड़तालें हुई; तथा

(ख) क्या मजदूरों को हड़ताल की अवधि की मजूरी दी गई ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : (क) औद्योगिक विवादों से सम्बन्ध रखने वाली सांख्यकी, श्रम विभाग के निदेशक के द्वारा प्रति मास प्रकाशित होने वाले, भारतीय श्रम सूचना पत्र में प्रकाशित होती रहती है। इसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। प्रकाशित सांख्यकी के अनुसार वर्ष १९५४ के दौरान ८१७ बार काम बन्दी हुई ।

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

आयुर्वेदिक तथा यूनानी दवाइयां

८४८. ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री उन विश्वविद्यालयों और कालेजों के नाम बताने की कृपा करेंगी जहां आयुर्वेदिक तथा यूनानी पद्धति की चिकित्सा सिखाई जाती है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ६३]**

हानिकारक औषध

८४९. ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री सभा-पटल पर १९५४ के अन्त तक, समय समय पर हानिकारक घोषित की गई औषधों की एक सूची रखते हुए यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ बीमारियों में पेन्सिलीन के इंजेक्शन हानिकारक सिद्ध हुए हैं ; तथा

(ख) यदि हाँ, तो भारत में इसके उचित उपयोग को नियंत्रित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : हानिकारक औषध अधिनियम, १९३० के अधीन दिसम्बर १९५४ तक हानिकारक घोषित की गई औषधों की सूची लोक-सभा पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ६४]**

(क) और (ख). प्रोकेन पेन्सिलीन को इंजेक्शनों के द्वारा देने के कारण विरोधी तत्वों के उत्पन्न होने की प्रक्रिया से कुछ मृत्युएं होने की सूचना मिली है; किन्तु ऐसी मृत्युओं की संख्या बहुत कम है। एन्टि हिस्टेमिनिक ओषधों के तत्काल प्रयोग से ऐसी प्रक्रिया की शक्ति क्षीण की जा सकती है तथा घातक परिणाम को दूर किया जा सकता है। डाक्टरी व्यवसाय के पथप्रदर्शन के लिये डाक्टरी पत्रों में समय-समय पर एन्टीबायोटिक चिकित्सा की टोक्सिक प्रतिक्रिया पर लेख प्रकाशित होते रहते हैं।

टेपिओका

८५०. **श्री सी० आर० अय्युण्णि** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी १९५५ में त्रावनकोर-कोचीन तथा टेपिओका उगाने वाले अन्य राज्यों में टेपियोका की प्रति हंडरवेट दर क्या थी?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : उपलब्ध जानकारी का एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ६५]**

पांचकुड़ा में माल यातायात

८५१. **श्री एस० सी० सामन्त:** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वी रेलवे के पांचकुड़ा रेलवे स्टेशन पर औसतन प्रतिदिन कितना माल आता है और कितना माल वहां से बाहर भेजा जाता है;

(ख) वहाँ से बाहर भेजा जाने वाला कितना माल जल्दी खराब होने वाली प्रकार का होता है;

(ग) क्या प्लेटफार्म पर कोई छप्पर भी है जहाँ माल रखा जा सके; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार वहाँ छप्पर बनाने का विचार कर रही है?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) पाँचकुड़ा रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन भेजे जाने वाले तथा आने वाले माल—जिसमें पार्सल भी शामिल हैं—का औसत क्रमशः ४४२ मन व ६६८ मन है।

(ख) १६४ मन।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी हाँ, वर्ष १९५६-५७ के निर्माण कार्यक्रम में इस काम को भी शामिल करने का विचार है।

खानों तथा कारखानों में पदाधिकारी

८५२. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा**: क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कितने पदाधिकारी खानों तथा कारखानों से सम्बन्धित विभागों के प्रशासन के लिये बिहार अभ्रक क्षेत्र में रहते हैं; और

(ख) उक्त पदाधिकारियों के आवासों तथा सरकारी कार्यालयों के बनाए रखने की क्या व्यवस्था है?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई): (क) (१) खान विभाग : २

(२) कारखाना विभाग: कोई नहीं। (कारखाना अधिनियम, १९४८ का प्रशासन राज्य सरकार का दायित्व है)

(ख) इस समय दोनों पदाधिकारी किराये के मकानों में रहते हैं। एक स्थान पर कार्यालय तथा आवास गृह बन रहा है।

ग्रामीण स्वास्थ्य

८५३. **श्री वोडयार**: क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् ने भारत की ग्रामीण स्वास्थ्य समस्या के हल करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की है; तथा

(ख) मलनाद में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिये कितनी राशि व्यय की गई है?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् एक मंत्रणा-दात्री संस्था है, जो कि राज्य सरकारों के स्वास्थ्य मंत्रियों से निर्मित हुई है; इसकी अध्यक्ष संघ की स्वास्थ्य मंत्री हैं। परिषद् के द्वारा की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करना केन्द्र तथा राज्य सरकारों का दायित्व है। जहाँ तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, वह परिषद् की सिफारिशों पर, स्वास्थ्य सम्बन्धी बातों पर भारत-व्यापी नीति बनाते समय, तथा भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं को बनाते समय, विचार करती है। जहाँ तक राज्य सरकारों का सम्बन्ध हैं, उनका ध्यान केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की सिफारिशों की ओर आवश्यक कार्यवाही के लिये आकर्षित किया जाता है। केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् द्वारा भारत के ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार से सम्बन्धित तीनों बैठकों में पारित किये गये संकल्पों की प्रतिलिपि लोक-सभा पटल पर रखी जाती है [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस-१२७।५५**]

(ख) १९५४–५५ के दौरान मलनाद में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार पर लगभग १६ लाख रुपये व्यय किये गये।

अमरीका में स्नातकोत्तर डाक्टरी चिकित्सा विद्यार्थी

८५४. **श्री वोडयार** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि १९५३-५४ और १९५४–५५ में सरकार ने मैसूर राज्य तथा मद्रास, बम्बई, हैदराबाद और कुर्ग के कन्नड़ भाषा-भाषी क्षेत्रों से कितने विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर डाक्टरी चिकित्सा शिक्षा के लिए संयुक्त राज्य अमरीका भेजा ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : १९५३–५४ में मैसूर से एक विद्यार्थी को संयुक्त राज्य अमरीका भेजा गया था। विदेशी प्रशिक्षण के लिए चुने गये विद्यार्थियों के भाषा सम्बन्धी खण्डों के संबंध में भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं है। उपलब्ध जानकारी से पता लगता है कि १९५३–५४ और १९५४–५५ में मद्रास, हैदराबाद, बम्बई और कुर्ग के कन्नड़ भाषा-भाषी क्षेत्रों से कोई भी विद्यार्थी संयुक्त राज्य अमरीका नहीं भेजा गया।

यात्रियों को सुविधायें

८५५. **श्री वोडयार** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिरूर और हुबली रेलवे स्टेशनों के प्रतीक्षालयों में यात्रियों की आवश्यकता के लिए पर्याप्त स्थान नहीं हैं;

(ख) क्या सरकार इन स्टेशनों पर अधिक प्रतीक्षालय बनवाने का विचार कर रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो उन्हें कब तक बनवाया जायेगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). इन दोनों स्टशनों पर जो प्रतीक्षालय हैं उनमें यात्रियों के लिए पर्याप्त स्थान हैं और अधिक प्रतीक्षालय बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

होम्योपैथी गवेषणा

८५६. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) राज्य सरकारों, विशेषकर बिहार सरकार, द्वारा सिफारिश की गयी होम्योपैथी की गवेषणा योजनाओं में किस बात में व्योरों की कमी थी : और

(ख) बिहार सरकार द्वारा पेश की गयी योजना की मुख्य रूपरेखा क्या थी ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) प्रथम पंच वर्षीय योजना के अधीन केवल

पश्चिमी बंगाल और बम्बई की सरकारों ने होम्योपैथी गवेषणा योजनाओं की सिफारिश की थी। पश्चिमी बंगाल की सरकार ने उस राज्य में स्थित चारों होम्योपैथिक संस्थाओं को माँगी गयी सम्पूर्ण राशियाँ बिना योजनाओं के ब्योरा भेजे या माँगी गयी राशियों के व्यय का ब्योरा दिये, दे दी थीं। बम्बई सरकार द्वारा सिफारिश की गयी योजना के संबंध में निम्न मदों के ब्योरे नहीं थे :—

(१) वास्तविक गवेषणा परियोजना ;

(२) किन समस्याओं को लेना है ;

(३) इस काम को किस दृष्टिकोण से किया जाय; और

(४) होने वाले अनावर्तक और आवर्तक व्यय की आवश्यकताओं का ब्योरा।

बिहार सरकार ने किसी होम्योपैथी गवेषणा योजना की सिफारिश नहीं की।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण योजना

८५७. **श्री एन० राचय्या :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण योजना के अधीन १९५३ और १९५४ में मैसूर राज्य को क्या सहायता दी गयी; और

(ख) इस संबंध में १९५४ के अन्त तक उक्त राज्य में कितनी प्रगति हुई ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण योजना क अधीन मैसूर राज्य को आवंटित किये गये ५ एकक के लिये उसे निम्न सहायता दी गयी है:

१९५३–५४ में किये गये संभरण	मात्रा	अनुमानित मूल्य
	पौंडों में	रुपयों में
१. डी० डी० टी० ७५ प्रतिशत घोल बनाने का चूर्ण	५,३३,०००	९,७७,२७९
२. ट्रक	२०	१,४१,०८०
३. हाथ द्वारा छिड़काव करने की मशीनें	१३५	१८,७७०
४. स्टाइरप पम्प	२७०	१८,७७०
५. अनुदीक्षण यंत्र	२	३,६७०
६. रिसोचिन की गोलियां	१,६६,६६६	६,६६४
७. सीमा शुल्क के स्थान पर सहायता अनुदान		१,०१,१८५
		१२,६७,४३८

१९५४-५५ में किये गये संभरण

१. डी० डी० टी० ७५ प्रतिशत घोल बनाने का चूर्ण	७,११,४४८	११,११,५७०
२. एन्टराक्स ए० २०१	५९२९	१,८९६
३. जीपें	५	४०,०२५
४. स्टेशन वैगन	१	११,१८२
५. छिड़काव मशीनों के अलग पुर्जे		९,७१५
६. रिसोचिन की गोलियां	२,५०,०००	१४,३२३
७. सीमा शुल्क के स्थान पर सहायता अनुदान		४८,५४६
		१२,२७,२५७

(ख) दिसम्बर १९५४ तक १०,९१,६५० घरों में डी० डी० टी० का छिड़काव कर दिया गया है, जिससे लगभग ५४,५८,२५० लोगों को संरक्षा प्रदान की गयी है ।

मैसूर के रेलवे वर्कशाप में भरती

८५८. **श्री एन० राचय्या :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ में मैसूर के रेलवे वर्कशाप में कितने खलासियों की भरती की गयी; और

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों की संख्या कितनी है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ३७४ ।

(ख) अनुसूचित जातियाँ ६०
अनुसूचित आदिम जातियाँ एक भी नहीं

पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर

८५९. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३–५४ में पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने डाकघर खोले गये?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : १५६ डाकघर ।

परिवहन मंत्रणा परिषद्

८६०. **श्री संगण्णा :** क्या **परिवहन** मंत्री ३ मार्च, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या ५२८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी राज्य सरकारों ने परिवहन मंत्रणा परिषद् की नवम्बर १९५४ की सिफारिशों को, जो इस संबंध में थीं कि देश में सड़क परिवहन का निर्बाध यातायात हो और मोटर गाड़ियों पर कर में कमी की जाय, लागू कर दिया है; और

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). परिवहन मंत्रणा परिषद् की सिफारिशें भाग लेने वाली राज्य सरकारों के अनुसमर्थनाधीन हैं। निश्चयों के अनुसमर्थन के संबंध में कुछ राज्य सरकारों की सम्मतियों की प्रतीक्षा की जा रही है।

विमान यात्रियों के लिये भोजन

८६१. **श्रीमती मायदेव :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया इण्टरनेशनल कारपोरेशन के वायुयानों में यात्रियों को दिये जाने वाले भोजन का आयात विदेश से किया जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है; और

(ग) प्रतिवर्ष इस काम पर कितना धन व्यय होता है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) एयर इण्डिया इण्टरनेशनल कारपोरेशन अपनी अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों में यात्रियों को आयात किया गया जमाया हुआ भोजन जिसे 'कूड' कहते हैं, देता है। इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन भोजन का आयात नहीं करता ।

(ख) जमाया हुआ भोजन भारत में तैयार नहीं किया जाता । जमाया हुआ भोजन इसलिए अच्छा समझा जाता है कि:—

(१) भोजन की प्रत्येक वस्तु के अलग-अलग बंडल होने से भोजन के वितरण में ताजे खाने की अपेक्षा सरलता और शीघ्रता होती है ।

(२) जमे हुये भोजन को शीत कोठार से निकाला जा सकता है और

जहाज पर उसे ठीक समय तक रखा जा सकता है पर वह खराब नहीं होता जब कि ताजा खाना थोड़ा विलम्ब होने से भी खराब हो जाता है, और ठीक समय पर खाने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा सकती ।

(३) देर हो जाने पर जमाये हुये भोजन को कलेवा से लेकर मध्यान्ह भोजन तक किसी भी रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है ।

(ग) लगभग ६ लाख रुपये प्रतिवर्ष ।

रेलवे के परिचारक

८६२. **श्रीमती मायदेव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम रेलवे में काम करने वाले परिचारकों को क्या मूल-वेतन क्रम और महंगाई भत्ता दिया जाता है;

(ख) इस समय उस रेलवे में कुल कितने परिचारक हैं, और वे कितनी गाड़ियों पर चलते हैं ;

(ग) उनके काम के घण्टे क्या हैं;

(घ) कितने घण्टे काम करने के बाद उन्हें अवकाश मिलता है; और

(ङ) सामान्य रूप से एक कन्डक्टर को कितने घण्टे काम करना पड़ता है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ६६]**

(ङ) साढ़े बारह से १५ घण्टे ।

विमान निगमों के कर्मचारी

८६३. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एयर इण्डिया लिमिटेड तथा एयर इण्डिया इण्टरनेशनल, लिमिटेड के कितने कर्मचारी क्रमशः इण्डियन एयर लाइन्ज तथा एयर इण्डिया इण्टरनेशनल कारपोरेशन के कर्मचारी बन गये, जब उक्त विमान समवायों को इन निगमों (कारपोरेशन) ने अपने हाथ में लिया?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : राष्ट्रीयकरण के समय, एयर इण्डिया इन्टरनेशनल लिमिटेड के कर्मचारियों की संख्या १६८ थी । १ अगस्त, १९५३ को एयर इण्डिया इण्टरनेशनल कारपोरेशन ने उन सभी लोगों को लिया । राष्ट्रीयकरण के पूर्व एयर इण्डया लिमिटेड के कुछ कर्मचारी एयर इण्डिया लिमिटेड तथा एयर इण्डिया इण्टरनेशनल लिमिटेड दोनों में काम करते थे । १ अगस्त, १९५३ को एयर इण्डिया इण्टरनेशनल कारपोरेशन ने इन कर्मचारियों से पूछा कि उनमें से कौन लोग इस कारपोरेशन में काम करना चाहते हैं। ३८४ व्यक्तियों ने अपनी सेवायें अर्पित कीं और एयर इण्डिया इण्टरनेशनल कारपोरेशन ने उनको लिया।

राष्ट्रीयकरण के समय एयर इण्डिया लिमिटेड में जो २७३२ व्यक्ति काम करते थे उन्हें इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन ने ले लिया था ।

भूतपूर्व एयर इंडिया लिमिटेड में वेतन क्रम

८६४. **श्री टी० बी० विट्ठल राव**: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व एयर इण्डिया लिमिटेड के कर्मचारियों के, जो आजकल एयर इण्डिया इन्टरनेशनल कारपोरेशन में काम कर रहे हैं, वेतन-क्रम पहिले के से ही रहेंगे; और

(ख) यदि हां, तो क्या दो निगमों में कार्य करने वाले समस्त कर्मचारियों को वे ही वेतन–क्रम दिए जाएंगे जो एयर इंडिया लिमिटेड में थे ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) एयर इण्डिया इन्टरनेशनल कारपोरेशन के कर्मचारी जो एयर इंडिया लिमिटेड से आये हैं, आजकल उन्हीं वेतन-क्रमों में कार्य कर रहे हैं जो वे उस समय लेते थे जब वे समवाय की सेवा में थे। उनकी काम करने की शर्तों का पुनरीक्षण, निगम के विचाराधीन है।

(ख) जी नहीं।

विमान निगमों के कर्मचारियों के वेतन-क्रम

८६५. **श्री टी० बी० विट्ठल राव:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या किसी भी समय एयर इण्डिया लिमिटेड और एयर इण्डिया इन्टरनेशनल लिमिटेड के एक भी श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन-क्रम राष्ट्रीयकरण के पूर्व, भिन्न भिन्न थे?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): जी नहीं, सिवाय इसके कि एयर इंडिया इन्टरनेशनल के विदेशी केन्द्रों में रखे गये कर्मचारियों को कुछ अधिक मिलता था।

"आई बी" नदी का गंदा हो जाना

८६६. **श्री संगण्णा :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने भारत सरकार से "आई बी" नदी, जिसके बारे में यह दोष लगाया है कि उड़ीसा के एक कागज़ के कारखाने का सड़ा पानी आने के कारण वह गन्दी हो गयी है के पानी की जांच के लिए एक विशेषज्ञ की प्रतिनियुक्ति की प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) स्वास्थ्य मंत्रालय से ऐसी कोई प्रार्थना नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

नई रेलवे लाइनें

८६७. **श्री बी० डी० शास्त्री:** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विन्ध्य प्रदेश में एक नई रेलवे लाइन बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उस कार्य के प्रारम्भ होने की कब से आशा है; और

(ग) यह लाइन कहां से कहां तक जायगी?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) से (ग). रीवां होकर सतना और गोविन्दगढ़ के बीच रेलवे लाइन बनाने के सम्बन्ध में उस रास्ते का पहला इंजीनीयरिंग और यातायात-सर्वे शुरू करने का विचार है जिसके लिए जल्द आदेश दिये जायेंगे।

नई रेलवे लाइनें

८६८. **श्री दशरथ देव :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रिपुरा में रेलवे लाइनें बनाने के लिए सरकार को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो जो प्रार्थना की गई है वह किस प्रकार की है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) जी हां।

(ख) कुछ रेलवे लाइनों के निर्माण की सिफारिश की गई है।

(ग) द्वितीय पंच वर्षीय योजन-काल में निर्माण के लिए नई लाइनों का वरण करते समय इन प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा।

पर्यटक यातायात

८६९. **श्री राम दास:** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पर्यटक केन्द्रों के, राज्यानुसार नाम क्या हैं; और

(ख) १९५३ और १९५४ में प्रत्येक केन्द्र को कितने-कितने पर्यटक गये ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) महत्वपूर्ण पर्यटक यातायात केन्द्रों की एक सूची लोक-सभा पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ६७]**

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

काम दिलाऊ दफ्तर

८७०. श्री आर० सी० शर्मा: क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ में मध्य भारत सरकार के काम दिलाऊ दफ्तरों में सरकारी नौकरी के लिए कितने प्रार्थना-पत्र आये;

(ख) उन में से कितने व्यक्तियों को काम मिला; और

(ग) ऐसे कितने प्रार्थियों को काम नहीं मिल सका जिन्होंने अप्रैल, १९५४ से पूर्व पंजीयन कराया था ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : (क) इस समय के बीच १२,४९९ नियोजक दर्ज हुए। ऐसे व्यक्ति जो केवल सरकारी नौकरी के लिए ही दर्ज हुए उनकी संख्या प्राप्त नहीं।

(ख) १,२११ प्रार्थियों को काम मिला जिनमें से १,१४२ सरकारी नौकरी पर लगाये गये । वह प्रार्थी जिनको नौकरी दिलाई गई उनमें से ही नहीं थे जो सिर्फ उस समय के बीच दर्ज हुए, बल्कि उनमें से भी थे जो उस समय लाइव रजिस्टर पर दर्ज थे।

(ग) ऐसे प्रार्थियों की संख्या, जो अप्रैल १९५४ से पहले दर्ज किये गये थे और मार्च १९५५ के अन्त तक जिन्हें नौकरी नहीं दिलाई जा सकी, प्राप्त नहीं । मार्च १९५५ के अन्त में नौकरी चाहने वाले ४,२५७ प्रार्थी लाइव रजिस्टर पर दर्ज थे ।

Saturday, 16 April. 1955

लोक-सभा वाद -विवाद

(भाग २––प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

(खंड ३, १९५५)

(२ से २१ अप्रैल, १९५५)

1st Lok Sabha

त्यमेव जयते

3-4-9
11.1.83

नवम सत्र, १९५५

(खण्ड ३ में अंक ३१ से अंक ४५ तक हैं)

zettes & Debates Unit
rliament Library Building
om No. FB-025
Block 'G'

सभा सचिवालय
दिल्ली

विषय-सूची

(खंड ३, संख्या ३१ से ४५—२ अप्रैल से २१ अप्रैल, १९५५ तक)

संख्या ३१—शनिवार, २ अप्रैल १९५५

	स्तम्भ
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांग—	३१०१—५४
मांग संख्या ६२—सूचना और प्रसारण मंत्रालय . . .	३१०१—५४
मांग संख्या ६३—प्रसारण	३१०१—५४
मांग संख्या ६४—सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३१०१—५४
मांग संख्या १२६—प्रसारण पर पूंजी व्यय . .	३१०१—५४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पच्चीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	३१५३
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक—	
परिचालन का प्रस्ताव—स्वीकृत .	३१५३—६९
श्री भागवत झा आजाद . .	३१५३—५५
श्री रघुवीर सहाय . .	३१५५—५७
श्री मूल चन्द दुबे . . .	३१५७
श्री राघवाचारी . . .	३१५८—५९
श्री अच्युतन	३१५९—६०
श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा . .	३१६०—६१
श्री वी० जी० देशपांडे	३१६१—६३
श्री दातार	३१६३—६९
श्री यू० सी० पटनायक	३१६९
भारतीय ढोर परिरक्षण विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत . .	३१७०—३२०४
सेठ गोविन्द दास	३१७०—७४, ३२०१—०२
पंडित ठाकुर दास भार्गव	३१७५—९५
श्री एन० सी० चटर्जी	३१९५—९७
श्री जवाहरलाल नेहरू	३१९७—३२०१

संख्या ३२—सोमवार, ४ अप्रैल, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—	
बाढ़ नियंत्रण उपायों की प्रगति के बारे में विवरण . . .	३२०५
केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम के अधीन अधिसूचना .	३२०५
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . . .	३२०५—३२०६
सभा का कार्य	३२०६

	स्तम्भ
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—	३२०६—३३०२
मांग संख्या ६२—सूचना और प्रसारण मंत्रालय .	३२०६—३२४६
मांग संख्या ६३—प्रसारण . . .	३२०६—३२४६
मांग संख्या ६४—सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय . .	३२०६—३२४६
मांग संख्या १२६—प्रसारण पर पूंजी व्यय . .	३२०६—३२४६
मांग संख्या ८५—उत्पादन मंत्रालय . .	३२४५—३३०२
मांग संख्या ८६—नमक . . .	३२४५—३३०२
मांग संख्या ८७—उत्पादन मंत्रालय के अधीन अन्य संगठन	३२४५—३३०२
मांग संख्या ८८—सरकारी कोयला खानें . .	३२४५—३३०२
मांग संख्या ८९—उत्पादन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३२४५—३३०२
मांग संख्या १३१—उत्पादन मंत्रालय का पूंजी व्यय	३२४५—३३०२
भारतीय ढोर परिरक्षिण विधेयक—	
मत-विभाजन के अंकों में शुद्धि . . .	३७५
संख्या ३३—मंगलवार, ५ अप्रेल १९५५	
पटल पर रखे गय पत्र—	
प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ के अधीन अधिसूचना इत्यादि	३३०३
सभा का कार्य—	३३०४—३३०५
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें— . .	३३०५
मांग संख्या ८५—उत्पादन मंत्रालय . .	३३०५—३०
मांग संख्या ८६—नमक . . .	३३०५—३०
मांग संख्या ८७—उत्पादन मंत्रालय के अधीन अन्य संगठन	३३०५—३०
मांग संख्या ८८—सरकारी कोयला खानें .	३३०५—३०
मांग संख्या ८९—उत्पादन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३३०५—३०
मांग संख्या १३१—उत्पादन मंत्रालय का पूंजी व्यय	३३०५—३०
मांग संख्या ६५—सिंचाई और विद्युत मंत्रालय .	३३२९—३४०५
मांग संख्या ६६—सिंचाई (कार्य-वहन व्यय सहित) नौ परिवहन, बन्ध तथा जल-निस्सारण कार्य (राजस्व से देय)	३३२९—३४०४
मांग संख्या ६७—बहु-योजनीय नदी योजनायें .	३३२९—३४०४
मांग संख्या ६८—सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३३२९—३४०४
मांग संख्या १२७—बहु-योजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी व्यय	३३२९—३४०४
मांग संख्या १२८—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	३३२९—३४०४

संख्या ३४—बुधवार, ६ अप्रैल, १९५५

	स्तम्भ
गर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छब्बीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . .	३४०५
समिति के लिये निर्वाचन—	
केन्द्रीय रेशम-बोर्ड	३४०५—३४०७
सभा का कार्य—	३४०७—३४०८
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें— . . .	३४०८—३५१८
मांग संख्या ६५—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय . .	३४०८—३४२८
मांग संख्या ६६—सिंचाई (कार्य-वहन व्यय सहित) नौ परिवहन, बंध तथा जल निस्सारण कार्य (राजस्व से देय) .	३४०८—३४२८
मांग संख्या ६७—बहु प्रयोजनीय नदी योजना . .	३४०८—३४२८
मांग संख्या ६८—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३४०८—३४२८
मांग संख्या १२७—बहु-प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी व्यय	३४०८—३४२८
मांग संख्या १२८—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	३४०८—३४२८
मांग संख्या ५०—गृह-कार्य मंत्रालय . . .	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५१—मंत्रिमण्डल . .	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५२—दिल्ली	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५३—पुलिस	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५४—जनगणना. . . .	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५५—देशी राजाओं की निजी थैलियां और भत्ते	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५६—अन्दमान और निकोबार द्वीप समह .	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५७—कच्छ . . .	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५८—मनीपुर	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५९—त्रिपुरा	३४२९—३५१८
मांग संख्या ६०—राज्यों से सम्बन्ध . . .	३४२९—३५१८
मांग संख्या ६१—गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३४२९—३५१८
मांग संख्या १२५—गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय .	३४२९—३५१८

संख्या ३५—गुरुवार, ७ अप्रैल, १९५५

	स्तम्भ
स्थगन प्रस्ताव—	
अन्तर्राज्यिक व्यापार पर बिक्री कर	३५१९—३५२२
पटल पर रखा गया पत्र—	
बलात् श्रम के बारे में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ अभिसमय (संख्या २९) का अनुसमर्थन	३५२२

	स्तम्भ
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें— . . .	३५२३—३६२२
मांग संख्या ५०—गृह-कार्य मंत्रालय . . .	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५१—मंत्रिमण्डल	३५२३—३५९९
मांग संख्या ५२—दिल्ली	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५३—पुलिस	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५४—जनगणना	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५५—देशी राजाओं की निजी थैलियां तथा भत्ते	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५६—अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह .	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५७—कच्छ	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५८—मनीपुर	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५९—त्रिपुरा . . .	३५२३—३५९८
मांग संख्या ६०—राज्यों से सम्बन्ध . . .	३५२३—३५९८
मांग संख्या ६१—गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३५२३—३५९८
मांग संख्या १—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . .	३५९९—३६२२
मांग संख्या २—उद्योग	३५९९—३६२२
मांग संख्या ३—वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़े . .	३५९९—३६२२
मांग संख्या ४—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३५९९—३६२२
मांग संख्या १०७—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	३५९९—३६२२

संख्या ३६—शनिवार, ९ अप्रैल, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—

गोआ राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रधान तथा अन्य व्यक्तियों पर आक्रमण ३६२३

समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . . ३६२४—३६४१

श्री डाभी . . . . . ३६२४—३६२५

श्री तुलसीदास . . . . ३६२५—३६२७

श्री के० सी० सोधिया . . . . ३६२७—३६२९

श्री बंसल . . . . . ३६२९—३६३१

श्रीमती जयश्री . . . . ३६३१—३६३२

श्री टेक चन्द . . . . ३६३२—३६३३

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी . . . ३६३३—३६३४

श्री ए० सी० गुहा . . . . ३६३४—३६४१

खंड २ से १४ . . . . . ३६४२—३६७४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—छब्बीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . . . . ३६७४—३६७५

राजनैतिक पेंशनों के बारे में संकल्प—अस्वीकृत . . ३६७५—३७२०

बाटों और नाप के बारे में संकल्प—असमाप्त . . ३७२०—३७२४

संख्या ३७— सोमवार, ११ अप्रैल १९५५

	स्तम्भ
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . . .	३७२५
पटल पर रखे गये पत्र—	
वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अधिसूचना संख्या १६३ और १६४, दिनांक १८-१२-५४ और संख्या २८, दिनांक २६-२-५५ .	३७२५—३७२६
समिति के लिये निर्वाचन—	
केन्द्रीय रेशम बोर्ड	३७२६
गणपूर्ति के बारे में प्रथा	३७२६—३७२७
संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	३७२७—३८०५
श्री जवाहरलाल नेहरू	३७२८—३७४२
श्री ए० के० गोपालन	३७४३—३७४७
श्री फ्रेंक ऐंथनी	३७४७—३७५०
श्री टी० के० चौधरी	३७५०—३७५२
श्री एन० पी० नथवानी	३७५२—३७५४
डा० कृष्णस्वामी	३७५४—३७५६
श्री एम० पी० मिश्र	३७५६—३७६२
श्री एन० सी० चटर्जी	३७६३—३७६९
श्री एस० एल० सक्सेना . . .	३७६९—३७७१
श्री जयपाल सिंह	३७७१—३७७४
श्री बी० पी० सिंह	३७७४—३६८१
श्री ए स० वी० रामस्वामी . . .	३७८१—३७८४
स्वामी रामानन्द तीर्थ	३७८४—३७८९
श्री जी० डी० सोमानी . . .	३७८९—३७९२
पंडित ठाकुर दास भार्गव . . .	३७९२—३७९६
श्री आर० डी० मिश्र	३७९६—३८०४
श्री वेंकटरामन्	३८०४—३८०५

संख्या ३८—मंगलवार, १२ अप्रैल, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—	
डा० लोहिया तथा अन्य व्यक्तियों की इम्फाल में गिरफ्तारी .	३८०७
वित्त विधेयक—याचिका उपस्थापित . . .	३८०८
प्रधान सेनापति (पदनाम में परिवर्तन) विधेयक—पुरःस्थापित .	३८०८
औद्योगिक तथा राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	३८०८—३८०९

	स्तम्भ
संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . .	३८०९—३८२३
श्री वेंकटारमन . . .	३८१४—३८१७
पंडित जी० बी० पन्त	३८१७—३८२२
खड १ से ५	३८२३—३८७२
संशोधित रूपमें पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . .	३८७२—३८८८
श्री एच० एन० मुकर्जी	३८७२—३८७५
श्री वी० जी० देशपांडे	३८७५—३८७८
श्री एस० एल० सक्सेना . . .	३८७८—३८७९
श्री जवाहरलाल नेहरू	३८७९—३८८८
संख्या ३९—गुरुवार, १४ अप्रैल, १९५५	
स्थगन प्रस्ताव—	
गोलपाड़ा से बंगला-भाषी लोगों का निष्क्रमण . .	३८८९—३८९२
पटल पर रखे गये पत्र—	
विनियोग लेखे (असैनिक) १९५१-५२ और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९५३ और उस का वाणिज्यिक परिशिष्ट . . .	३८९२
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
दक्षिण-चीन-सागर में इंडियन-एयर-लाइन्स-कांस्टेलेशन का गिर जाना .	३८९२—३८९५
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—	
मांग संख्या १—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . . .	३८९५—३९६४
मांग संख्या २—उद्योग	३८९५—३९६४
मांग संख्या ३—वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़े . . .	३८९५—३९६४
मांग संख्या ४—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३८९५—३९६४
मांग संख्या १०७—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	३८९५—३९६४
संख्या ४०— शुक्रवार, १५ अप्रैल, १९५५	
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—	
मांग संख्या १—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय	३९६५—४०२४
मांग संख्या २—उद्योग . . .	३९६५—३९८५
मांग संख्या ३—वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़े . .	३९६५—३९८५
मांग संख्या ४—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय . . .	३९६५—३९८५
मांग संख्या १०७—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय .	३९६५—३९८५
मांग संख्या २५—वित्त मंत्रालय . .	३९८७—४०२४

	स्तम्भ
मांग संख्या २६—सीमा शुल्क	३९८७—४०२४
मांग संख्या २७—संघ उत्पादन शुल्क	३९८७—४०२४
मांग संख्या २८—निगम कर तथा सम्पदा शुल्क सहित आय पर कर .	३९८७—४०२४
मांग संख्या २९—अफीम	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३०—स्टाम्प	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३१—अभिकरण विषयों के प्रशासन तथा राजकोषों के प्रबन्ध के लिये अन्य सरकारों, विभागों आदि को भुगतान	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३२—लेखा परीक्षा . .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३३—चलमुद्रा . . .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३४—टकसाल	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३५—प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३६—वार्धक्य भत्ते तथा निवृत्ति-वेतन . .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३७—वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३८—राज्यों को सहायक अनुदान . .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३९—संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	३९८७—४०२४
मांग संख्या ४०—विभाजन पूर्व के भुगतान . .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ११४—भारत सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजी व्यय .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ११५—चलमुद्रा पर पूंजी व्यय . .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ११६—टकसालों पर पूंजी व्यय .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ११७—निवृत्ति वेतनों का राशिकृत मूल्य .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ११८—छंटनी किये गये कर्मचारियों को भुगतान	३९८७—४०२४
मांग संख्या ११९—वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय . .	३९८७—४०२४
मांग संख्या १२०—केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम धन .	३९८७—४०२४
जाति भेद उन्मूलन विधेयक—	
विचार करने, परिचालित करने और प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—	
असमाप्त	४०२४—४०७६
डा० एम० एम० दास . . .	४०२४—४०२७
श्री डाभी	४०२७—४०३१
श्री एन० बी० चौधरी . . .	४०३२—४०३३
श्रीमती ए० काले . . .	४०३३—४०३४
श्री एन० राचय्या . . .	४०३४—४०३६
श्री केशवैयंगार . .	४०३६—४०३७
श्री साधन गुप्त	४०३७—४०३९
श्री एस० सी० सामन्त . .	४०३९
श्री जांगड़े	४०३९—४०४२
डा० सुरेश चन्द्र . . .	४०४३

	स्तम्भ
श्री राम दास . . .	४०४३—४०४४
श्री एस० सी० सिंघल	४०४४—४०४७
श्री वाल्मीकि	४०४७—४०५४
श्री भक्त दर्शन	४०५४—४०५७
सरदार हुक्म सिंह	४०५७—४०५९
श्री नवल प्रभाकर	४०५९—४०६१
श्री एन० सोमना . . .	४०६१—४०६२
पंडित ठाकुर दास भार्गव . .	४०६२—४०६७
पंडित एस० सी० मिश्र . .	४०६७—४०६८
सरदार ए० एस० सहगल .	४०६८—४०७०
श्री वीरस्वामी . . .	४०७०—४०७२
श्री आर० के० चौधरी . .	४०७२—४०७४
श्री जी० एल० चौधरी .	४०७४—४०७६
राज्य-सभा से सन्देश . .	४०७६
हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूपमें पटल पर रखा गया .	४०७६

संख्या ४१—शनिवार, १६ अप्रैल १९५५

भारत का राज्य बैंक विधेयक—पुरःस्थापित .	४०७७
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—	४०७८
मांग संख्या २५—वित्त मंत्रालय .	४०७८, ४१५०, ४१७३, ४१७४
मांग संख्या २६—सीमा-शुल्क .	४०७८—४१५०
मांग संख्या २७—संघ उत्पादन शुल्क	४०७८—४१५०
मांग संख्या २८—निगम कर तथा सम्पदा-शुल्क सहित आय पर कर .	४०७८—४१५०
मांग संख्या २९—अफीम .	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३०—स्टाम्प	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३१—अभिकरण विषयों के प्रशासन तथा राजकोषों के प्रबन्ध के लिये अन्य सरकारों, विभागों आदि को भुगतान	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३२—लेखा परीक्षा	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३३—चल मुद्रा	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३४—टकसाल . . .	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३५—प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें .	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३६—वार्धक्य भत्ते तथा निवृत्ति-वेतन .	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३७—वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय .	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३८—राज्यों को सहायक अनुदान . . .	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३९—संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	४०७८—४१५०

स्तम्भ

मांग संख्या ४०—विभाजन-पूर्व के भुगतान . . . ४०७८—४१५०
मांग संख्या ११४—भारत सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजी व्यय ४०७८—४१५०
मांग संख्या ११५—चल-मुद्रा पर पूंजी व्यय . . ४०७८—४१५०
मांग संख्या ११६—टकसालों पर पूंजी व्यय . . ४०७८—४१५०
मांग संख्या ११७—निवृत्ति वेतनों का राशिकृत मूल्य . . ४०७८—४१५०
मांग संख्या ११८—छंटनी किये गये कर्मचारियों को भुगतान . ४०७८—४१५०
मांग संख्या ११९—वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय . . ४०७८—४१५०
मांग संख्या १२०—केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम धन ४०७८—४१५०
मांग संख्या १६—शिक्षा मंत्रालय . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १७—पुरातत्व . . . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १८—अन्य वैज्ञानिक विभाग . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १९—शिक्षा . . . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या २०—शिक्षा मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ११२—शिक्षा मंत्रालय का पूंजी व्यय . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ७४—विधि मंत्रालय . . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ७५—न्याय व्यवस्था . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ८४—संसद-कार्य विभाग . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ९३—परिवहन मंत्रालय . . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ९४—पत्तन तथा पोत-मार्ग प्रदर्शन . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ९५—प्रकाश-स्तम्भ तथा प्रकाश-पोत . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ९६—केन्द्रीय सड़क निधि . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ९७—संचार (राष्ट्रीय राज-पथों सहित) . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ९८—परिवहन मंत्रालय के अधीन विविध व्यय ४१७३—४१७४
मांग संख्या १३३—पत्तनों पर पूंजी व्यय . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १३४—सड़कों पर पूंजी व्यय . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १३५—परिवहन मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १०४—संसद . . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १०५—संसद सचिवालय के अधीन विविध व्यय . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १०६—उपराष्ट्रपति का सचिवालय . . . ४१७३—४१७४

वित्त आयोग (विविध उपबन्ध) संशोधन विधेयक—पारित ४१४९—४१५१

श्री एम० सी० शाह . . . ४१४९—४१५१

समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक—

खंडों पर विचार—असमाप्त . . ४१५१—४१७३
खंड १४ . . . . . ४१५१—४१७३

विनियोग (संख्या २) विधेयक—पुरःस्थापित . ४१७५—४१७६

संख्या ४२—सोमवार, १८ अप्रैल, १९५५

	स्तम्भ
पटल पर रखे गये पत्र—	
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (असैनिक) १९५४ (भाग १) . .	४१७७
भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . .	४१७७—४१७८
समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक— . . .	४१७८—४१८३
खंड १४ से १७ और १	
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . .	४१७८—४१८३
पंडित ठाकुर दास भार्गव	४१८३—४१९२
श्री आर० के० चौधरी	४१८३—४१८७
पंडित एस० सी० मिश्र	४१८७—४१८८
श्री ए० सी० गुहा	४१८८—४१९२
विनियोग (संख्या २) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४१९२—४१९८
डा० लंका सुन्दरम्	४१९३—४१९५
श्री सी० डी० देशमुख	४१९५—४१९७
पारित	४१९८
वित्त विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	४१९८—४२६६
श्री सी० डी० देशमुख	४१९८—४२१८
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	४२१९—४२२३
श्रीमती मायदेव	४२२४—४२२६
श्री के० के० बसु	४२२६—४२३१
श्री यू० सी० पटनायक	४२३१—४२३२
पंडित एस० सी० मिश्र . . .	४२३२—४२३४
श्री एस० सी० सामन्त	४२३४—४२३६
श्री के० एल० मोरे	४२३६—४२३९
श्री एन० सी० चटर्जी . .	४२३९—४२४४
श्री वाई० एम० मुक्णे . .	४२४४—४२४६
श्री बंसल	४२४६—४२४९
श्री नेवटिया	४२४९—४२५०
श्री जी० डी० सोमानी	४२५१—४२५३
पंडित ठाकुर दास भार्गव . . .	४२५३—४२६६

संख्या ४३—मंगलवार, १९ अप्रैल, १९५५

वित्त विधेयक-याचिका उपस्थापित	४२६७
वित्त विधेयक—	
विचार के लिये प्रस्ताव—असमाप्त . .	४२६७

	स्तम्भ
श्री रामचन्द्र रेड्डी	४२६७—४२७१
श्री विमला प्रसाद चालिहा	४२७१—४२७५
श्री बासप्पा	४२७५—४२७८
श्री एन० बी० चौधरी	४२७८—४२८१
श्री तुलसीदास	४२८१—४२८५
डा० कृष्णस्वामी	४२८५—४२८८
श्री रघुनाथ सिंह	४२८८—४२९४
श्री विश्वनाथ रेड्डी	४२९४—४२९७
श्री रिशांग किशिंग	४२९७—४३००
श्री जजवाड़े	४३००—४३०८
पंडित के० सी० शर्मा	४३०८—४३११
बाबू राम नारायण सिंह	४३११—४३१६
श्री मात्तन	४३१६—४३१८
श्रीमती सुषमा सेन	४३१८—४३२०
श्रीमती इला पालचौधरी	४३२०—४३२३
श्री बोगावत	४३२३—४३२५
श्री थानू पिल्ले	४३२५—४३२७
श्री वी० जी० देशपांडे	४३२८—४३३४
श्री डी० डी० पन्त	४३३४—४३३६
श्री ईश्वर रेड्डी	४३३६—४३३८
श्री टी० सुब्रह्मण्यम्	४३३८—४३४०
श्री एम० आर० कृष्ण	४३४०—४३४१
श्री शिवनजप्पा	४३४१—४३४४
श्री डी० सी० शर्मा	४३४४

संख्या ४४— बुधवार, २० अप्रैल, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—

आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण ४३४५—४३४६

सभा का कार्य— ४३४६—४३५०

समय-नियतन का आदेश ४३५०—४३५१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—

अठाट्इसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित ४३५१

वित्त विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत ४३५१—४३८०

श्री डी० सी० शर्मा ४३५१—४३५४

श्री टंडन ४३५४—४३६२

श्री एम० सी० शाह ४३६२—४३८०

खंड २ से ३० ४३८०—४५८६

संख्या २५— गुरुवार, २१ अप्रैल, १९५५

श्री डी० डी० पन्त का निधन ४५८७—४५९०

लोक-सभा

शनिवार, १६ अप्रैल, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

११.४५ म० पू०

भारत का राज्य बैंक विधेयक

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के लिये एक राज्य बैंक स्थापित करने, उसे भारत के इम्पीरियल बैंक के उपक्रम हस्तांतरित करने तथा उससे संबंधित अथवा आनुषंगिक मामलों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि भारत के लिये एक राज्य-बैंक स्थापित करने, उसे भारत के इम्पीरियल बैंक के उपक्रम हस्तांतरित करने तथा उससे संबंधित अथवा आनुषंगिक मामलों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री सी० डी० देशमुख: मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

१९५५-५६ के लिए अनुदानों की मांगें*

वित्त मंत्रालय सम्बन्धी मांगें

अध्यक्ष महोदय: वित्त मंत्रालय की मांगों के लिये निश्चित छ: घंटों में से आज ४ घंटे शेष हैं । ये अब से पौने चार बजे तक चलेंगी । फिर आध घंटे वित्त आयोग (विविध उपबंध) संशोधन विधेयक, १९५५ लिया जायेगा । ४-१५ म० प० पर समुद्र सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक पर खंडवार विचार फिर आरंभ होगा । ५ बजे शेष मांगों को मतदान के लिये रख दिया जायेगा ।

श्री एच० पी० सिंह (जिला गाजीपुर पश्चिम): अध्यक्ष महोदय, कल मैं कह रहा था कि कोआपरेटिव बैंक कर्जे देने का काम न करके मार्किटिंग का काम कर रहे हैं । एक समय था जब सारे सामान पर कंट्रोल था । किसानों को अपनी जरूरत की चीजें सही दाम पर और ठीक वक्त पर नहीं मिलती थी । कोआपरेटिव फैड्रेशन के जरिये से उन्हें सामान दिलाने की व्यवस्था हो रही थी । आज परिस्थितियां बदल गई हैं । आज सभी सामान हमें बाजार में उपलब्ध हैं और हम आसानी से खरीद सकते हैं । इसलिए मेरा यह एक सुझाव है कि मार्किटिंग फैड्रेशन मार्किटिंग का काम न करके अगर क्रेडिट का काम करे तो किसानों को और ज्यादा फायदा पहुंच सकता है । गाजीपुर जिला सहकारी बैंक को रिजर्व बैंक से केवल दो लाख रुपया मिल सका है जबकि इस जिले में १६०० सोसाइटियां काम

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत ।

[श्री० एच० पी० सिंह]

कर रही हैं। केवल ६०० सोसाइटियां अभी ऐसी ह जिन्हें जिला बैंक कर्जा दे सका है, १००० सोसाइटियां अभी तक ऐसी हैं जिन्हें जिला बैंक कर्जा दे सका है। १००० सोसाइटियां अभी तक एफिलिएट नहीं हो सकी हैं और उनका कार्य शुरू नहीं हो सका है। स्थानीय जमानतों के मिलने में भी बड़ी दिक्कत है। जिनके पास थोड़ा बहुत रुपया है उन्होंने बैंक में देना मुल्तवी कर दिया है और ऐसा भी हो रहा है कि जो रुपया लोगो ने कोओपरेटिव बैंक में जमा किया है उसमें से कुछ लोग धीरे-धीरे वापस ले रहे हैं। अगर सहकारिता को ठीक ढंग से चलाना है, सहकारी मूवमेंट को आगे बढ़ाना है और किसानों को सहकारिता के आधार पर रुपया देना है, कर्जे देने हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपको करीबन १० लाख रुपये गाजीपुर जिले के बैंक को अपने रिजर्व बैंक से दिलवाने चाहियें ताकि आसानी से किसानों को कज दिए जा सकें।

आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शुरू से, जब से यह बैंक सन् १९१५ में कायम हुआ, तब से और आज तक इस बैंक की माली हालत, वसूली की हालत इतनी अच्छी रही है कि ९८ प्रतिशत या ९९ प्रतिशत से कम वसूली कभी नहीं रही। जो भी रुपया रिजर्व बैंक से इस बैंक को दिया जायगा उसकी वसूली में कठिनाई नहीं होगी और वह ठीक वक्त पर मिल जाया करेगा।

इस सम्बन्ध में मैं एक बात और कहना चाहूंगा। रिजर्व बैंक अपने कर्जे का रुपया मार्च में मंगाती है और मार्च में ही किसानों से रुपया वसूल किया जाता है। अगर जून या जुलाई में यह रुपया वापस मांगा जाय तो कोआपरेटिव बैंक यह रुपया आसानी से अदा कर सकेंगे।

हमारे वित्त मंत्री ने जो गांवों में ४०० इम्पीरियल बैंक की शाखायें खोलने की घोषणा की है इसका स्वागत किया जा रहा है और इस तरफ सब का ध्यान लगा हुआ है और लोगों की आशा है कि सरकार इस ओर बहुत जल्द कदम उठायेगी ताकि किसानों को आसानी से कर्ज मिल सके।

दूसरी चीज मुझे यह कहनी है कि गाजीपुर जिले में एक ओपियम फैक्टरी है जो कि हिन्दुस्तान में सबसे बड़ी फैक्टरी है। एक समय था जब इसकी जरूरत थी और इसका बड़ा महत्व था। पर अब इसका काम बहुत कम हो गया है। अब इसका काम चौथाई के करीब चल रहा है और आशा है कि आयिन्दा इस काम में और भी कमी हो जायेगी। फैक्टरी का बहुत ज्यादा हिस्सा खाली पड़ा हुआ है। अगर इस फैक्टरी में चीनी की फैक्टरी खोल दी जाय तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। सरकार की चीनी का कार्य करने के लिये क्षेत्र की आवश्यकता भी है। गाजीपुर जिले में, बनारस जिले में और आज़मगढ़ जिले में कोई चीनी का कारखाना नहीं है। इसलिए यह बहुत अच्छा होता यदि इस ओपियम फैक्टरी को शूगर फक्टरी के रूप में परिणत कर दिया जाता। इससे वहां के किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होगा और वहां के बहुत से आदमियों को काम मिल जायगा। इन जिलों में गन्ने की खेती बहुत ज्यादा होती है और इतनी ज्यादा होती है कि किसान सारे गन्ने का गुड़ नहीं बना पाते। इस कारण यहां पर किसानों ने गन्ने की खेती करना कम कर दिया है।

गंगा के दयार में इस फैक्टरी की एक हजार बीघा से ज्यादा ज़मीन है जिसको वहां के अधिकारी लोग खुद जोतते हैं। मैं यह नहीं कह सकता कि उसका वह क्या लगान देते हैं। अगर यह जमीन भूमिहीन किसानों को दे दी जाय तो इससे किसानों को बहुत फायदा होगा और ऐसा कर से फैक्टरी को और गवर्नमेंट को भी फायदा हो सकता है।

मैं एक बात और अर्ज कर देना चाहता हूं चाहे वह संगत हो या असंगत । जिस स्कीम के बारे में मैंने ऊपर जिक्र किया है अगर उस पर विचार करने में अभी किसी प्रकार की देर हो तो भटनी शूगर मिल को और झूंसी शूगर मिल को जो कि इन जिलों के छोर पर हैं और जो कि बहुत दिनों से बन्द हैं फिर से चालू कर दिया जाय। पहले इन मिलों से इन जिलों के किसान फायदा उठाते थे लेकिन बहुत दिनों से इनके बन्द होने के कारण वहां पर शूगर का निर्माण बन्द हो गया है । मैं प्रार्थना करूंगा कि जो मैंने ऊपर शूगर फैक्टरी के सम्बन्ध में कहा है उस पर वित्त-मंत्री अवश्य विचार करेंगे ।

वित्त मंत्री जी ने सरकारी कृषक सम्मेलन में सिंचन प्रणालियों की तरक्की के सिलसिले में यह कहा है कि अगर गांवों में काफी सिंचन योजनायें कार्यान्वित की जायेंगी तो वहां पर चांदी बहेगी । मैं प्रार्थना करूंगा कि यदि चांदी बहने में कुछ देर हो तो तब तक वह वहां तांबा ही बहाने की कोशिश करें। उससे भी किसान का फायदा हो सकता है। वहां जितना भी कार्य होगा उससे गरीबों का फायदा होगा ।

एक बात मैं आखिर में और अर्ज करना चाहता हूं कि अगर उत्पादन अपनी चरम सीमा को पहुंच जायगा तो सरकार दामों की गिरावट को कंट्रोल नहीं कर सकेगी । इसके सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है कि सरकार अभी से एक कमीशन बिठाये जो कि आनुपातिक दृष्टिकोण से चीजों का रेट बनाने पर विचार करे ।

आखिर में यह जो अनुदान पेश हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं और वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं ।

श्री तुलसीदास (मेहसाना पश्चिम): यह निस्संदेह सत्य है कि यह मंत्रालय देश की सम्पूर्ण आर्थिक स्थिति का नियंत्रण और विनियमन करता है, और यह देखकर संतोष होता है कि देश की आर्थिक स्थिति स्थिर हो रही है।

मैंने सरकारी उपक्रमों के लेखों के सम्बन्ध में अनेक बार आग्रह किया है। माननीय मंत्री जी ने अधिकांश उपक्रमों के लाभ और हानि के लेखे तथा संतुलन पत्र प्रस्तुत कर दिये हैं। इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूँगा कि वे इस प्रकार की जानकारी उन उपक्रमों के बारे में भी देने की कोशिश करें जो कि अन्य मंत्रालयों के प्रभार में हैं।

इन उपक्रमों के लाभ और हानि के लेखों तथा सन्तुलन पत्रों से यह मालूम होता है कि उनम हानि रही है, किन्तु यह बात स्वाभाविक है, क्योंकि अधिकांश उपक्रम अभी अपनी प्राथमिक अवस्था में ही हैं। मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। हम जानते हैं कि सरकारी उपक्रमों का निरन्तर विकास हो रहा है और करोड़ों रुपये खर्च किये जा रहे हैं। हमें ये प्रतिवेदन मिलते हैं और समय-समय पर इन मंत्रालयों के बारे में हम चर्चा करते हैं । मैं चाहता हूँ कि साल में दो दिन केवल इसी बात के लिये नियत कर दिय जाय, जबकि विभिन्न उपक्रमों के इन प्रतिवेदनों पर ही पूरी तरह से चर्चा हो।

दूसरी बात मैं विभिन्न राज्यों के लिये ऋणों और अनुदानों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। हर साल ऋणों और अनुदानों में वृद्धि होती जा रही है। हम से उनके लिये मत देने को कहा जाता है, किन्तु इस सम्बन्ध में जांच करने के लिय हमारे पास कोई साधन नहीं है कि विभिन्न राज्य उन ऋणों और अनुदानों को किस प्रकार खर्च करते हैं। मैं माननीय वित्त-मंत्री से प्रार्थना करूँगा कि वे इस सम्बन्ध में जांच करायें।

लोक लेखा सम्बन्धी अनेक समितियों के प्रतिवदनों को देखने से पता चलता है कि विकास सम्बन्धी अनेक योजनाओं पर निश्चित

[श्री तुलसीदास]

मात्रा में व्यय नहीं हुआ है, तथा और भी अनेक ऐसे मामले हैं, जहां ठीक रूप से व्यय नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में कई बार समाचार पत्रों में कड़ी आलोचनायें हो चुकी हैं। जब कभी राज्यों द्वारा किये गये खर्चे के सम्बन्ध में सभा में कोई प्रश्न उठाया जाता है, तो हमसे कह दिया जाता ह कि यह मामला राज्यों के अधीन है।

मैंने पिछली बार बताया था कि आस्ट्रेलिया में एक स्टट्यूटरी कमीशन है, जो कि प्रत्येक वर्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है और संसद् की दोनों सभाओं में उस पर चर्चा की जाती है। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा आयोग यहाँ भी नियुक्त कर दिया जाय क्योंकि गत दो वर्षों में राज्यों के लिये केन्द्रीय सहायता की राशि बहुत बढ़ गई है और भविष्य में और भी बढ़ जाने की आशा है।

अब मैं बीमे का प्रश्न लूंगा। यह मंत्रालय बीमा का नियंत्रण करता है। सरकारी प्रतिनिधियों ने हाल ही के अपने वक्तव्यों में बताया था कि सरकार बीमा समवायों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में विचार कर रही है, किन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि ऐसा विचार करना आवश्यक क्यों हो गया है।

बीमे का काम दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जीवन बीमा और सामान्य बीमा। संसार के अन्य उन्नत देशों से तुलना करने पर हम देखते हैं कि हमारे देश में जीवन बीमा और सामान्य बीमा दोनों में बहुत कम काम हुआ है।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

अपने देश के तथा बाहर के देशों के आकड़ों को देखने से हमें पता चलता है कि हमारे देश में बीमे का काम कितना पिछड़ा हुआ है। हमें अन्य उन्नत देशों के बीमा समवायों की स्थिति तक पहुँचने के लिये अभी काफी लम्बा मार्ग तय करना है। मेरे विचार में उन देशों के समवाय इस स्थिति तक केवल इसीलिये पहुँच सके, क्योंकि वहां बीमे का काम गैर सरकारी उपक्रम के रूप में ही चलता रहा। अतः मैं चाहता हूँ कि अपने देश में भी इस काम को गैर-सरकारी उपक्रम के रूप में ही चलते रहने देना चाहिए, और सरकार को इसे अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए।

मैंने अनेक देशों के बीमे के काम का अध्ययन किया है। अधिकांश देशों में बीमे का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है। बीमा समवाय, विशेषतः जीवन बीमा समवाय अपनी निधि को बीमा करवाने वालों से प्राप्त किस्तों से ही बनाते हैं। इन निधियों के संचय के लिये ही यदि बीमे का राष्ट्रीयकरण करने का विचार किया जा रहा है, तो मैं कहूँगा कि बीमा अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत आज भी इन निधियों का एक बहुत बड़ा भाग अनिवार्य रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में लगा दिया जाता है। बीमा विभाग से प्रकाशित नवीनतम नीली पुस्तक से यह बात स्पष्ट हो जाती है। इतना ही नहीं, अपितु बीमा समवायों की अधिकांश निधि का उपयोग उसी काम के लिये होता है, जिस काम के लिये देश के सारे संसाधनों का उपयोग होना चाहिए। मैं सभा को यह भी बताना चाहता हूँ कि कुल अतिरिक्त राशि का अधिक-से-अधिक ७½ प्रतिशत ही अंशधारियों में वितरित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, लगभग सारा धन लोक कार्यों में लगाया जाता है। मैं नहीं समझता कि सरकार को बीमा उद्योग के राष्ट्रीयकरण से कोई विशेष लाभ होगा।

जहाँ तक सामान्य बीमे का सवाल है, उस सम्बन्ध में भी मैं नहीं समझता कि सरकार को राष्ट्रीयकरण से कोई लाभ होगा। सामान्य बीमे का व्यापार कुछ अन्तर्राष्ट्रीय ढंग का है। जो बड़े-बड़े नुकसान होते हैं, उसको संसार के सभी समवाय मिल कर पूरा कर देते हैं, जिससे

किसी समवाय की स्थिति खराब नहीं होती। यद्यपि अपने देश में यह काम अभी प्राथमिक अवस्था में है, किन्तु फिर भी हमारे समवायों को विदेशों से काफी काम मिला है। समवायों की संख्या में वृद्धि होने के साथ ही साथ विदेशी काम भी बढ़ जायेगा। मेरे विचार में हमें इस स्वाभाविक उन्नति में कोई बाधा नहीं पहुँचानी चाहिए। इन खबरों के फैलाने से कि सरकार राष्ट्रीयकरण का विचार कर रही है हमारे समवायों का विश्वास टूटता है और देश में तथा विदेश में इस काम को आगे बढ़ाने की उनकी योजनाओं पर काफी असर पहुँचता है। इसके अतिरिक्त इन खबरों से उन विदेशी लोगों के दिमागों पर भी काफी असर पड़ता है, जिनसे हमें बदले में पुनर्बीमे का काम मिलता है। वे लोग इस सम्बन्ध में बड़े सतर्क रहते हैं कि जहां एक पक्ष सरकार हो वहां काम होशियारी से किया जाये, क्योंकि ऐसे मामले में राजनैतिक प्रभावों के परिवर्तन के साथ-साथ भुगतान स्थिति पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है।

मेरा कहना यह है कि केवल एक या दो देशों को छोड़ कर, सभी देशों में बीमे का काम गैर सरकारी उपक्रम के रूप में चलाया जाता है। संसार भर में सबसे अधिक बीमा समवाय इंग्लैंड में हैं और वहां सारा काम गैर सरकारी लोगों के हाथों में है। वहां की सरकार ने डाक बीमा योजना द्वारा इस काम को काफी बढ़ाने की कोशिश की, किन्तु सफल नहीं हो सकी। यदि इंग्लैंड जैसे देश में सरकार इस काम को अपने हाथ में नहीं ले सकी, तो फिर मेरी समझ में नहीं आता, कि भारत में ही इसके राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में क्यों विचार किया जाये।

इसके विपरीत, मैं चाहता हूं कि सरकार इस उद्योग की अधिक से अधिक सहायता करने की संभावनाओं पर विचार करे। हमें उन कठिनाइयों को दूर कर देना चाहिए, जिनसे इस काम को हानि पहुँच रही है। व्यवहार संहिता के विनियमनों के अन्तर्गत बीमा उद्योग की कार्यप्रणाली पर कुछ निर्बन्धन हैं।

बीमा अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत जितने निकाय बने हैं, वे इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि बीमा कार्य में जो व्यापारिक प्रवृत्तियां आ गई हैं, वे दूर हो जायें। इन विनियमनों के अन्तर्गत इस देश में लगभग २,८०,००० अनुज्ञप्ति धारी अभिकर्त्ता हैं। इन अभिकर्त्ताओं को मीशन देने से किस्तें (प्रीमियम) कम हो जाता है। हमें वस्तुतः इस समस्या पर नये ढंग से विचार करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि वर्तमान ढंग की अपेक्षा यदि इस संबंध में कुछ स्वतन्त्रता दे दी जाये, तो काम पहले से अच्छा होगा। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस ओर ध्यान देंगे।

अब मैं कुछ शब्द भारतीय सांख्यकीय संस्था के सम्बन्ध में कहता हूँ। मैंने एक प्रश्न में पूछा था कि केन्द्रीय सरकार ने इसको कितनी आर्थिक सहायता दी है। उसके उत्तर में मुझे बताया गया कि १९४६–४७ से १,५०,००,००० रुपये दिये गये हैं। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि क्या इस प्रकार की सहायता किसी अन्य गवेषणा संस्था को भी दी गई है, तथा सरकार को और जनता को इस संस्था से कितना लाभ पहुँचा है।

आयव्ययक पर चर्चा के दौरान में मैंने शिराफ समिति की सिफारिशों का उल्लेख किया था। मैं मालूम करना चाहता हूँ कि सरकार उन सिफारिशों पर कोई विचार कर रही है अथवा नहीं अथवा वह उस सम्बन्ध में कुछ विचार करना चाहती भी ह या नहीं।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार (तिरुपुर): अन्य बातों के सम्बन्ध में कुछ भी कहने से पूर्व मैं उसी बात के बारे में कहना चाहता हूँ, जिसका कि मेरे पूर्व वक्ता ने उल्लेख किया। मेरे

[श्री टी० एस० ए० चेट्टियार]

विचार में यदि ऐसी कोई चीज है, जिसका राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है, तो वह बीमा ही है। दिल्ली में कुछ दिन पूर्व बीमा समवायों का एक सम्मेलन हुआ था। समवाय के कुछ बड़े पदाधिकारियों ने मुझे बताया कि हमें समवाय के लाभ की दृष्टि से काम करना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश में उन मनुष्यों की आय का स्तर बढ़ता जा रहा है मैं पूछता हूँ कि कितनी बीमा समवायों ने किस्तें (प्रीमियम) के देरों में कमी की है। बीमा पालिसियों का प्रचार कौन करता है? यह सारा काम अभिकर्त्ता ही करते हैं। कमीशन देने में जो भ्रष्टाचार होता है, वह भी हम सब लोगों को पता है। बही-खातों में गलत हिसाब लगाये जाते हैं। इन सब बातों को देखते हुये बीमा समवायों का राष्ट्रीयकरण बहुत आवश्यक है।

बीमा समवायों के मालिक बड़े उद्योगपति हैं। वे इससे प्राप्त धन को अपने बैंकों में जमा करते हैं, और वहाँ से निकाल कर वे उसको अपने उद्योग में लगा देते हैं। इस प्रकर बीमे के धन का ठीक उपयोग बीमा समवायों के लिये नहीं हो पाता। अतः मैं चाहता हूँ कि बीमे का जल्द से जल्द राष्ट्रीयकरण हो जाये।

अब मैं ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण की बात शुरू करूँगा। प्रसन्नता की बात है कि माननीय वित्त मंत्री के आश्वासन के अनुसार इस सम्बन्ध में एक विधेयक भी रखा गया है। अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण के प्रतिवेदन में बताया गया है कि आज कृषकों को दिये जाने वाले ऋणों और पूंजियों में से ९४ प्रतिशत महाजनों से प्राप्त होता है, उस पर ३० प्रतिशत का ब्याज लिया जाता है। मेरी समझ में नहीं आता कि हम यह मांग कैसे पूरी कर सकेंगे। समिति ने सिफारिश की है कि रक्षित बैंक इस काम के लिये ५ करोड़ रुपया नियत करे किन्तु यह राशि बहुत कम होगी। हमें बहुत थोड़े समय में उत्पादन दुगना करना है, कृषकों को ऋण भी अधिक देना पड़ेगा, फिर हम भूमि सुधार भी चाहते हैं, अतः केवल भूमि के वितरण से ही काम नहीं चलेगा, अपितु उनको उत्पादन के सारे साधन भी देने पड़ेंगे। मद्रास में हरिजनों को कुछ भूमि दी गई थी, पर हमने उसी समय इन हरिजनों को ऋण देने के लिये कोई अभिकरण नियुक्त नहीं किया, परिणाम-स्वरूप उत्पादन के साधनों के अभाव में यह हरिजन अपनी भूमि पर अधिकार न रख सके और भूमि दूसरे लोगों ने ले ली।

केवल लोगों में भूमि बांट देने से, चाहे वह भूमि अच्छी ही हो, कृषि के उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकती। उसके लिए हमें, ग्रामीण ऋण अभिकरण बनाना होगा जिसका यह अभिप्राय है, कि आजकल जो अन्य व्यक्ति अत्यधिक व्याज पर ऋण देते हैं उसका ८६ प्रतिशत राज्य सहकारी अथवा अन्य प्रकार की व्यवस्था द्वारा देगा।

प्रतिवेदन के पष्ठ १० पर ३८ ऐसे समवायों की सूची दी गई हैं जिनमें वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व है। वस्तुतः इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन और एयर इंडिया इंटरनेशनल जैसे सभी समवायों में संगठन त्रुटि पूर्ण है क्योंकि वित्त-मंत्रालय के जो कर्मचारी वहां है उन्हें व्यापार प्रबंध का कुछ ज्ञान नहीं है। वे व्यापार से सर्वथा अनभिज्ञ हैं।

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह): उनका यहां केवल वित्तीय विषयों से संबंध है। वहां अन्य मंत्रालयों प्रतिनिधि भी हैं।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार: मैं अनुभव करता हूँ कि हमारे पास कुछ व्यापार प्रबंध में प्रशिक्षित व्यक्ति होने चाहियें जो दृढ़ आचार वाले हों। केवल वित्त संबंधी ज्ञान से कोई व्यक्ति व्यापार उपक्रम के वित्त की व्यवस्था नहीं कर सकता। सरकार के अधीन ऐसे समवायों की संख्या अधिकाधिक बढ़ रही है जिनमें सरकार के बहुत से अंश है। जब तक

हमारे पास व्यापार प्रबंध में प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं होंगे, इन बहुत से समवायों को असफलता का मुंह देखना पड़ेगा। गृह निर्माण कारखाने का मामला हमारे सामने है। उसमें कितने करोड़ रुपये की हानि हुई है? मेरा विचार है कि प्रशिक्षण के लिये तीन या चार वर्ष का स्नातकोत्तर पाठ्य क्रम और उसके साथ किसी व्यापार गृह में व्यवहारिक प्रशिक्षण पर्याप्त होगा। पाठ्य क्रम संबंधी विस्तृत रूप रेखा बनाई जा सकती है।

प्रतिवेदन के पृष्ठ २० पर पूंजी जारी करने के नियंत्रण के बारे में कुछ आंकड़े दिये गये हैं जिन में बताया गया है कि औद्योगिक समवायों के १४० प्रार्थनापत्रों पर ६३.६ करोड़ की पूंजी जारी करने की मंजूरी दी गई थी और ३.८ करोड़ रुपये के १६ प्रार्थना पत्र अस्वीकृत कर दिये गये थे। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने मंजूरी अथवा नामंजूरी के लिए क्या नियम बनाये हैं। इस विषय को किसी निश्चित आधार पर आधारित करना चाहिये ताकि कर्मचारियों की व्यक्तिगत सनक से ही यह काम न हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि समवाय विधि में इस संशोधन द्वारा सरकार को बहुत अधिक अधिकार मिल रहे है निर्णयों पर आधारित विधि का निर्माण करना होगा जिससे परिस्थितियों की आवश्यकता समझी जा सके।

मैं यह जान कर प्रसन्न हूँ कि मूल्यों के गिर जाने से नोट बना कर वित्त व्यवस्था करने के लिए वातावरण पैदा हो गया है। आज के समाचार पत्रों में द्वितीय पंच वर्षीय योजना के कुछ टिप्पण देख कर प्रसन्नता हुई है।

मैं आशा करता था कि इस समय जबकि द्वितीय पंच वर्षीय योजना आरम्भ हो रही है, योजना आयोग की मांगों और अन्य विभिन्न मांगों पर चर्चा की जायेगी। मुझे खेद है कि योजना मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर चर्चा नहीं की गई।

श्री सारंगधर दास (ढेनकानाल-पश्चिम कटक): मैं तम्बाकू उत्पादन के विषय में कहूंगा जिसके संबंध में उपेक्षाभाव रखने के कारण वित्त-मंत्रालयको राजस्वकी हानि होती रही है।

नियम तो यह है कि कृषक अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी के पास तम्बाकू बेचता है और वह तम्बाकू अनुज्ञप्ति प्राप्त भंडार में एकत्र किया जाता है और उसी समय उसका शुल्क एकत्र कर लिया जाता है। परन्तु उड़ीसा में उत्पादन निरीक्षक और उनके वरिष्ठ पदाधिकारी इन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

इस सम्बन्ध में एक विशेष उदाहरण है। उत्पादन निरीक्षक गांव में जाकर उस भूमि को माप लेता है जिसमें तम्बाकू बोया जाना होता है और उसके आधार पर कृषक को आदेश जारी कर देता है कि शुल्क के रूप में अमुक राशि स्थानीय कोष में जमा कर दी जाये। कटक ज़िला के बांकी सब-डिवीज़न में अनावृष्टि के कारण तम्बाकू की फसल नष्ट हो गई थी। तब निरीक्षक ने कृषकों को आश्वासन दिया था कि उन्हें कुछ नहीं देना पड़ेगा परन्तु बाद में उस ने भुगतान करने के लिए उन पर ज़ोर दिया।

मैंने प्रभारी मंत्री को पत्र लिखा था कि वह इस मामले में सख्त कार्यवाही करें, क्योंकि उत्पादन शुल्क विभाग के कर्मचारियों द्वारा इस प्रकार डराये धमकाये जाने के कारण तम्बाकू की कृषि कम हो रही है। परन्तु वित्त मंत्री दरिद्र लोगों से धन एकत्र करने में ही अभिरुचि रखते हैं।

इन राज्यों की लोक लेखा समितियों और प्राक्कलन समितियों के प्रतिवेदन आते हैं परन्तु, यहां हमारे मंत्री कह देते हैं किये राज्य का विषय है।

इस मामले में वित्त मंत्रालय अपने ही नियम का उल्लंघन कर रहा है। कृषकों को तम्बाकू बोने और काटने का अवसर देना चाहिये और फिर शुल्क एकत्र करना चाहिये।

मैंने जो पत्र मंत्री महोदय को लिखा था, वह उन पदाधिकारियों को भेज दिया

[श्री सारगंधर दास]

गया और वे पदाधिकारी उन लोगों को तंग कर रहे हैं जिन्होंने मेरे पास शिकायत भेजी थी।

उत्पादन शुल्क के मामले में वित्त-मंत्रालय न तो उत्पादकों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है और न ही धन एकत्र करने में सफल हुआ है क्योंकि कृषक तम्बाकू का उत्पादन नहीं कर रहे हैं। यह अनावश्यक दबाव का ही कारण है कि कृषक इसे सहन करने के लिए तैयार नहीं और वे तम्बाकू का उत्पादन नहीं करते ।

इस मंत्रालय के लिए यह कितनी मूर्खता की बात है कि केवल अनुमान से ही शुल्क लगा दिया जाता है । अनावृष्टि तूफान या कीटाणुओं द्वारा पौधे नष्ट हो सकते हैं। दिल्ली के मुख्यालय से हजारों मील दूर बैठ हुए ये निरीक्षक अधीनस्थ कर्मचारी और वरिष्ट पदाधिकारी ग्रामीण भोली भाली जनता को अनावश्यक तंग कर रहे हैं । राजस्व घट रहा है, अतः मैं इस मंत्रालय को चेतावनी देना चाहता हूं कि यह विषय बहुत गंभीर है ।

मैं प्रांतवादी नहीं हूं परन्तु मुझे यह कहना पड़ता है कि उड़ीसा में उत्पादन शुल्क विभाग में सब उच्च पदाधिकारी बंगाली हैं। वे स्थानीय लोगों की भाषा नहीं जानते । यह बहुत त्रुटि-पूर्ण बात है ।

राज्यों को दिये जाने वाले ऋण और अनुदानों के सम्बन्ध में श्री तुलसीदास किलाचंद ने जो कुछ कहा है मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि हम इन अनुदानों के पक्ष में मत देते हुए इस बात के लिए उत्तरदायी हैं कि उन्हें ठीक ढंग से व्यय किया जाये ।

हमें उत्तर दिया जाता है कि हम राज्यों से जाकर पूछें कि वे इन धन राशियों को किस प्रकार व्यय करते हैं। यह तथ्य है कि गत एक दो वर्षों में प्रत्येक राज्य की लोक लेखा समिति का जो प्रतिवेदन मिला है उनमें लाखों और करोड़ों रुपयों की अनियमितताएं हैं । आठ या नौ मास पूर्व मध्य प्रदेश में करोड़ रुपये से अधिक व्यय किया गया है। ऐसे ढंगों से कभी विकास नहीं हो सकता । प्रतिवेदनों में हमें बताया जाता है कि धन व्यय करने में लक्ष्य की पूर्ति हुई है, परन्तु क्या सरकार का यह कर्तव्य नहीं कि वह बताये कि काम कितना समाप्त हुआ है ? जब तक यह न बताया जाये हम नहीं जान सकते कि धन राशि को किस प्रकार व्यय किया जा रहा है। मैं श्री तुलसीदास किलाचन्द के इस सुझाव का समर्थन करता हूं कि सरकार को एक उच्च अधिकारों से युक्त आयोग नियुक्त करना चाहिये जो इस विषय के सम्बन्ध में प्रति वर्ष प्रतिवेदन दे ।

श्री बिदारी (बीजापुर दक्षिण) : मैं सब कटौती प्रस्तावों का विरोध करने और वित्त मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

कृषि उत्पादों के मूल्य एकदम अत्यधिक गिर जाने से छोटे बड़े सभी कृषकों पर प्रभाव पड़ा है। राष्ट्रपति ने इस सम्बंध में अभिभाषण में चिंता प्रकट की है और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने भी वक्तव्य दिये हैं ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि मूल्यों को गिरने से रोका जायेगा परन्तु इस में कोई प्रगति हुई दिखाई नहीं देती ।

कृषकों के बढ़ते हुए असंतोष के कारण केन्द्रीय सरकार भावों के उतार चढ़ाव का अध्ययन करने और उपचार सुझाने के लिए एक समिति नियुक्त करने का विचार किया है। ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण की सिफारिशों को लागू करने का आश्वासन दिया गया है। परन्तु दिखाई देता है कि मानसून के आरम्भ होने तक कोई स्पष्ट निर्णय नहीं हो सकेगा । कृषकों को तभी प्रोत्साहन मिल सकता है यदि वे देखें कि उन्हें अगले वर्ष भूमि से अधिकतम लाभ हो सकता है ।

यह प्रसन्नता की बात है कि सरकार ने वचन दिया है कि मूल्यों को कतिपय स्तर से गिरने से रोकने के लिए अनाज का भंडार बनाया जायेगा, ग्रामीण ऋण व्यवस्था में सुधार किया जायेगा और कृषकों को दिये जाने वाले उर्वरकों आदि के मूल्य कम किये जायेंगे। परन्तु इस से ही ग्रामीण दारिद्र्य की समस्या दूर नहीं हो जाती। उसके लिए कृषकों को शिक्षा देनी होगी और कुटीर उद्योग को विकसित करना होगा।

सम्पूर्ण देश में एक-रूप भूमि नीति स्थापित करने के लिए भू गणना की आवश्यकता है और इसके पश्चात भू-स्वामित्व की उच्चतम सीमा को निश्चित किया जायेगा।

जागीरदारी और जमींदारी की समाप्ति पर अधिक भूमि मिलने की संभावना नहीं अतः छोटे भू-स्वामित्वों को उच्चतम सीमा तक बढ़ाया नहीं जा सकता, ग्रामीण ऋण की व्यवस्था अपर्याप्त है। इन सब बातों से योजना आयोग को दुविधा होगी।

भारत के रक्षित बैंक के प्रतिवेदन में ग्रामीण ऋण व्यवस्था और सहकारी कार्यक्रमों के विषय में विस्तृत सिफारिशें की गई हैं।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र की जनता की आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है। अत्यधिक महत्व रोजगार की वृद्धि को दिया गया है। इस योजना को लागू करने के लिए बहुत संगठन और प्रशासनीय प्रयत्न की आवश्यकता है।

हथकरघा उद्योग को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में जो सहायता दी गई है उस से उसकी हालत कुछ सुधर गई है। सरकार ने जो बोर्ड नियुक्त किये हैं उन का उद्देश्य टेक्नालाजिकल सुधार करना और विपणन सुविधाएं देना है, पर सरकार को चाहिये कि वह उस अर्थ-व्यवस्था में जो कि अब तैयार की जा रही है इन उद्योगों के स्थायी स्थान के बारे में घोषणा कर के उन के भय को निर्मूल कर दे।

वित्त मंत्रालय ने योजना को कार्यान्वित करने में आन्तरिक संसाधनों को संगठित करने और दृढ़ आर्थिक नीति के द्वारा विदेशी सहायता प्राप्त करने के अतिरिक्त जनता को सहयोग देने के लिए भी कई बार अपील की है

देश के बहुत से मानव श्रम सम्बन्धी और सामग्री सम्बंधी संसाधन बेकार पड़े हैं। उनका उपयोग करने के लिए साहसपूर्ण और उदार प्रयत्न की आवश्यकता है।

अब जब कि हम टेक्नालाजिकल सुधार के युग में रह रहे हैं और विज्ञान ने अद्भुत उन्नति की है, किसी प्रकार की विवशता प्रकट करना अपनी क्षमता और बुद्धिमत्ता का अपमान करना होगा।

दूसरों पर निर्भर करने और सरलता से धन कमाने का हमारा स्वभाव ही बनता जा रहा है। इसलिए योजनाएं बनाना और विधान पारित करना ही पर्याप्त नहीं है। योजनाओं को कार्यान्वित करने का उपयुक्त रूप से अधीक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। भारत सेवक समाज अपनी शाखाएं फैला रहा है और प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। उन ग्रामों में जहां सामुदायिक विकास परियोजनाएं और स्थानीय विस्तार योजनाएं आरंभ की गई हैं वहां शान्तिपूर्ण क्रान्ति हो रही है।

हमने कई गलतियां की हैं परन्तु उन्हें याद करने से क्या लाभ है। इन से हम ने जो अनुभव प्राप्त किया है उस से हम अपने वर्तमान और अनिश्चित भविष्य दोनों को ही सुधार सकते हैं।

श्री अच्युतन (कोंगनूर): प्रत्येक वस्तु वित्त पर निर्भर है—

सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति

घर में, समाज में और देश में वित्त के बिना कभी भी हमारी आशायें—योजनायें

[श्री अच्युतन]

सफल नहीं हो सकतीं। मुद्रास्फीति संबंधी प्रवृत्तियां भी रोक ली गयी हैं । नोट छाप कर घाटे की अर्थव्यवस्था द्वारा उद्योग के सभी क्षेत्रों को आर्थिक सहायता दी जा सकेगी । भारत जैसा विशाल और कृषि प्रधान देश कर और मूल्य की सुनिश्चित नीति अपनाये बिना समृद्ध नहीं हो सकता। दूसरी पंचवर्षीय योजना में देश के उद्योगीकरण की हमारी योजनायें किसानों की उन्नति के बिना सफल नहीं हो सकतीं, न राष्ट्रीय आय और जीवन-स्तर में ही वृद्धि हो सकती है। सरकार को कराधान जांच आयोग के प्रतिवेदन का अध्ययन करके अगले वर्ष तक उसकी सिफारिशें कार्यान्वित करनी चाहियें।

भारत के राज्य बैंक विषयक विधेयक को सामने आते देख कर मुझे बहुत खुशी है, पर रक्षित बैंक के देहाती उधार सर्वेक्षण से बहुत सी बातों का पता चलता है। जब तक नीचे के स्तर में सुधार नहीं होता, बेकारी का समाधान नहीं हो सकता । गांव में लोग महाजनों से ही ऋण ले सकते हैं। ५००० रुपयों की संपत्ति वाले व्यक्ति को भी किसी बैंक से ५०० रुपये का ऋण भी बड़ी मुश्किल से मिलेगा। जब तक गांवों की उधार-व्यवस्था नहीं सुधारी जाती, हम कोई प्रगति नहीं कर सकते। यदि प्रत्येक गांव में प्रति वर्ष पचास हजार या एक लाख रुपया जाने लगे तो वहां छोटे-मोटे उद्योग पनप सकते हैं और वहां का जीवन स्तर सुधर सकता है। उसे पैसे के लिये अपनी संपत्ति बेचनी न पड़ेगी।

उस प्रतिवेदन के आधार पर यह काम सबसे पहले किया जाना चाहिये। श्री एम० सी० शाह को अकेले चुपचाप किसी गांव में जाकर वहां की वित्त-विषयक स्थिति की जांच करनी चाहिये। जनसाधारण की दशा बिना सुधारे देश में प्रगति नहीं हो सकती। इस काम में कुछ रुपये बरबाद भी हो जायें या आपको ५०० करोड़ रुपयों तक के नोट छापने पड़ें, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। आशा है, अगले आयव्ययक तक सभी गावों में सहकारी बैंक या देहाती ऋण बैंक खुल जायेंगे। ऋण की राशि से दसगुनी प्रतिभूति नहीं मांगी जानी चाहिये। खेतिहर हमारे देश के मेरुदंड हैं, उनकी सहायता के लिये सरकार को सब कुछ करना चाहिये। जब तक खेतिहरों के पास कुछ रक्षित राशि न होगी, कोई भी कुटीर उद्योग, या हस्तशिल्प प्रगति नहीं कर सकता। या जब तक उनका जीवन स्तर नहीं सुधारा जाता, राष्ट्रीय आय और उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकती।

श्री सी० आर० अय्युणि (त्रिचूर): कई बातों के लिये वित्त-मंत्रालय हमारे धन्यवाद का पात्र है। छोटे-मोटे दियासलाई कारखानों को दी गयी रियायत के कारण जो कारखाने बड़े कारखानों की स्पर्धा में बंद होते जा र थे। त्रिचूर और वैसे ही अन्य छोटे नगरों में निर्धन व्यक्ति इन छोटे कारखानों में चार से आठ आने तक प्रति दिन कमा लेते थे। पर अब सरकार ने उनको कुछ रियायतें दी हैं।

बेकारी दूर करने के लिये सरकार कुछ योजनायें अपनाने जा रही है। त्रावणकोर-कोचीन में जनसंख्या का घनत्व शायद दुनिया में सबसे अधिक—प्रति वर्गमील १००० व्यक्ति है। इसमें भी खेती योग्य जमीन बहुत ही कम है। ऐसी भीषण परिस्थिति में लोग बाहर जाने लगे हैं। वहां पर बहुत से शिक्षितों और अशिक्षितों की आजीविका का कोई साधन नहीं है।

खेद है कि पहली पंचवर्षीय योजना में लोगों को एक स्थान से ले जाकर दूसरे स्थान में बसाये जाने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। आशा है अगली पंचवर्षीय योजना में इसका ध्यान रखा जायेगा। यदि राज्य से एक लाख

परिवार अन्यत्र न ले जाये गये, तो वह शिक्षा स्वास्थ्य आदि में वर्तमान उच्च स्तर न बनाये रख सकेगा । त्रावणकोर, यू० पी०, पश्चिमी बंगाल आदि घने राज्यों से यदि कुछ लोग दूसरे स्थानों को भेज दिये जायें, तो इससे देश को लाभ होगा । गत छः वर्षों में २ लाख व्यक्ति त्रावणकोर से मलाबार की ओर गये और वहां की बंजर भूमि अब उद्यान बन गयी है । देश में कहीं पर जनसंख्या १००-२०० प्रति वर्ग मील है, पर यहां पर यदि पहाड़ों आदि को निकाल दिया जाये तो अनुपात १५—१६ सौ प्रतिवर्ग मील तक आयेगा ।

रक्षित बैंक द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिशों के बारे में मैं माननीय मित्र अच्युत ा के खेतिहरों को विशेष सुविधायें देने संबंधी सुझावों का समर्थन करता हूं । उनका कहना है कि ऋण देते समय पर्याप्त सुरक्षा का तो ध्यान रखना ही होगा । यदि इस पर जोर दिया गया तो किसी को कुछ भी लाभ न होगा । ब्याज की दर २ प्रतिशत होनी चाहिये । यह ऋण खेतिहरों को ही मिले, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिये । लोगों में रुपया बांटने के लिये और इसे दृढ़ आधार पर चलाने के लिये कुछ कड़े नियम बनाने होंगे । बिना कुछ खतरा उठाये इनको खेतिहरों तक पहुंचाना कठिन ही होगा ।

रक्षित बैंक खतरा नहीं उठाना चाहता । वह एक बड़े बैंक को रुपया देने को तैयार है, वह बड़ा बैंक सहकारी संस्थाओं को ऋण देगा और वे किसानों को देंगी । इस प्रकार सारा खतरा सहकारी संस्थाओं को ही झेलना पड़ेगा । यह अनुदान का प्रश्न नहीं, ऋण का प्रश्न है और रक्षित बैंक को कुछ खतरा उठाना ही चाहिये, जिससे ऋण सीधे खेतिहरों को मिल सके । इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण की बात चल रही है । उसका कारबार यही है कि ऋण से दूने माल का निक्षेप रख कर ऋण देना । मेरे यहां ६५००० की जनसंख्या में जिन व्यक्तियों को लेखे से अधिक पैसा निकालने की सुविधा दी गयी है, उन की संख्या छः से अधिक नहीं है । साधारण व्यक्ति को छोटे-मोटे बैंक के पास जाकर अधिक ब्याज देना पड़ता है । उसे राशि भी मनचाही नहीं मिलती । इस प्रकार वह दिन-दिन और अधिक कर्जदार होता जाता है । रक्षित बैंक यदि ऋण देने में इतना कड़ा बना रहा तो उससे कुछ लाभ न होगा ।

प्रतिवेदन के अनुसार पूंजी-निर्गम के लिए आवेदन-पत्र पर ५० रुपये लिये जायेंगे । सरकार इससे कुछ रुपया चाहती है, तो इसमें कोई बुराई नहीं, पर यदि उसका आवेदन-पत्र स्वीकृत नहीं होता, तो उसे इसमें छूट मिलनी चाहिये और कम से कम ५० प्रतिशत राशि उसे वापस लौटा देनी चाहिये । यह रुपया किसी बैंक या संस्था में जमा होना चाहिये और वहीं से उसका ५० प्रतिशत उसे वापस मिल जाना चाहिये ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चितौड़): सबसे अधिक धन राशि व्यय करने वाले वित्त-मंत्रालय का प्रतिवेदन सबसे छोटा है । अफीम की खेती की अनुज्ञप्तियों के दिये जाने में भेद-भाव के बारे में मैंने विगत सत्र में कुछ कहा था, पर कोई प्रतिफल नहीं हुआ । मंत्री जी ने मेरे यह कहने पर कि अन्तर्राष्ट्रीय शिष्टाचार (प्रोटोकोल) भंग किया गया है, यह कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है । उसके अनुच्छेद ३ में अफीम की खेती का क्षेत्र सीमित कर देने की बात कही गयी है । एक बार निश्चित की गयी सीमा में हमें फिर वद्धि नहीं करनी चाहिये । उज्जैन जिले की आगर तहसील में १९५० में कोई अनुज्ञप्तियां नहीं दी गयी थीं, पर १९५४ से फिर दी जाने लगी हैं और कपासिन तहसील में बंद कर दी गयी हैं । इस भेद-भाव का

[श्री यू० एम० त्रिवदी]

और घटाकर फिर क्षेत्रे बढ़ाने का कारण क्या हो सकता है।

कुछ स्थानों पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक नेताओं न कुछ किसानों से बिना अनुज्ञप्ति ही अफीम की खेती करायी और फिर अधिकारियों पर दबाव डालकर उन्हें पिछली तारीख से अनुज्ञप्तियां दिला दीं। सरकार को ये बातें रोकनी चाहियें।

संविधान के अनुसार अफीम की खेती और वितरण केन्द्र के हाथ में है, पर उसकी बिक्री से राज्यों को आय होती है। पर राज्यों में एक सी नीति नहीं अपनायी जाती है। अजमेर, दिल्ली, राजस्थान और मध्यभारत सरकार उसे विभिन्न दरों पर बेचती हैं। फलतः छपे-चोरी उसका व्यापार चलता रहता है। अतः राज्यों में एक सी नीति का अपनाया जाना राज्य के हित में है। भारत सरकार को एक दर निश्चित कर देनी चाहिये, जिससे ये लोग उससे कम-ज्यादा पर उसे न बेच सक।

डाकखाना बचत बैंक में ब्याज की दर संबंधी-नीति की ओर मैंने गत वर्ष भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। इसका नियंत्रण पूर्णतः केन्द्रीय वित्त-मंत्रालय के हाथों में है। राष्ट्रीय बचत योजना का संगठन भी उसी के नियंत्रण में है। एक ओर तो सरकार को बिना कुछ व्यय किये बहुत सी राशि मिल जाती है, पर आप दूसरी ओर उस बेचारे गरीब आदमी को कुल दो प्रतिशत ही ब्याज देते हैं, और फिर कौन कह सकता है कि आप उसके धन के सर्वोत्तम अभिरक्षक हैं।

उन निर्धन व्यक्तियों को आप दो प्रतिशत की दर से ब्याज देते हैं परन्तु राष्ट्रीय बचत संगठन को आप तीन प्रतिशत की दर से ब्याज देते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आप राष्ट्रीय बचत संगठन में, जिस में धनवान व्यक्ति हैं जो उससे कमाई भी करते हैं इस प्रकार ऊंची दर क्यों दी जाती है। भला एसा होता क्यों है कि राष्ट्रीय बचत संगठन को बन्द नहीं किया जाता है और डाकघर बचत बैंक के ब्याज की दर नहीं बढ़ाई जाती।

सरकार ने राजस्थान और मध्यभारत के दो भाग (ख) राज्यों के आयात-निर्यात शुल्क समाप्त कर दिये हैं, परन्तु वह राज्य किसी-न-किसी रूप में शुल्क लेते ही रहते हैं। सरकार का कर्तव्य है कि वह इस मामले में खोज करे।

हम इतने समय से चिल्लाते रहे हैं कि सरकार ने निजी थैली के सम्बन्ध में जो उपबन्ध किये हैं वे ठीक नहीं हैं। मैं यह नहीं चाहता कि उनको समाप्त कर दिया जाय परन्तु देश के हित में आप और अन्य लोगों को निजी थैलियां न दें। विशेष व्यक्तियों को करदाता के धन से इस प्रकार के अंशदान देना उचित नहीं है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जब हम चाहते हैं कि निजी थैलियों के मामले का पुनर्विलोकन हो तो सरकार का धन इस प्रकार से बर्बाद न किया जाय।

जहां तक राजनैतिक पेंशनों का प्रश्न है राजस्थान में एक वेश्या को राजनैतिक पेंशन दी जाती है। सरकार राज्य को आर्थिक सहायता देती है और राज्य-सरकार विशेष व्यक्तियों को उसमें से पेंशन देती हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि एक वेश्या को किस प्रकार राजनैतिक पेंशन दी जा सकती है।

तम्बाकू के उत्पादन शुल्क के बारे में एक विशेष प्रणाली है जिसके अधीन तम्बाकू की विशेष मात्रा पर उत्पादन शुल्क नहीं लगाया जाता है। परन्तु इस प्रकार की छट देने के लिये सारे देश म समान नीति होनी चाहिये। इस

समय क्या हो रहा है कि साथ साथ वाले तम्बाकू के क्षत्रों में एक जैसी छूट नहीं दी जाती, जिसके फलस्वरूप लोगों में रोष फैलता है। मेरी प्रार्थना है कि जहां कहीं भी सरकार तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क लगाना चाहती हो या उस पर छूट देना चाहती हो वहां सारे देश के लिए उसकी व्यवस्था एक समान नीति से की जानी चाहिए।

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता—दक्षिण पूर्व): देश के आर्थिक विकास और उद्योगीकरण की दृष्टि से राजकोषीय नीति एक अत्यन्त महत्व-पूर्ण तत्व है। परन्तु हमारे देश की राजकोषीय नीति बिल्कुल उलट मार्ग पर चल रही है। आज हमारा वित्त मंत्रालय देशी और विदेशी शोषकों की हां में हां मिला रहा है।

वित्त मंत्रालय एक ओर तो निर्धन श्रेणी अथवा मध्यम श्रणी के लोगों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं—जैसे कपड़ा, जूते, खांड और साबुन आदि का मूल्य बढ़ा रहा है और दूसरी ओर बड़े बड़े व्यापारियों के प्रति उदारता दिखा रहा है। इस प्रकार से सारे देश के हित को कुछ एक बड़े बड़े व्यापारियों के चरणों में समर्पित किया जा रहा है।

औद्योगिक वित्त निगम का ही उदाहरण लीजिए। सुचेता कृपलानी समिति ने स्पष्टतया बताया है कि निगम के निदेशकों ने अपनी स्वार्थपूर्ति की भावना से प्रेरित होकर १२ करोड़ रुपये के ऋण में से ४·६७ करोड़ रुपया तो अपने अपने समवायों को बांट दिया। जब इसके विरुद्ध शिकायत की गयी तो वित्त मंत्री ने इस मामले को दबा देने का प्रयत्न किया। सभा में जब इस के विरुद्ध शिकायत की गयी तब मंत्री महोदय न केवल निदेशकगण बदल दिए; परन्तु अभी तक यह मामला सुलझा नहीं है। आज भी ये ऋण ऐसे समवायों को दिए जा रहे हैं जो कि स्वयं अपनी पूंजी के बलबते पर अपना कार्य चला सकते हैं, और जिन्हें ऋण की आवश्यकता है, उन्हें एक धेला भी नहीं दिया जा रहा। तो इस प्रकार से ऋणों के आवंटन में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है।

सारा देश आज आपसे यह पूछना चाहता है कि वित्त मंत्री महोदय इसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखते हैं। क्या औद्योगिक वित्त निगम इसी प्रकार से देश के धन को लूटता रहेगा? तो, इस प्रकार से आज हमारी स्वदेशी पूंजी की इतनी दुर्दशा हो रही है।

जहां तक विदेशी पूंजी का सम्बन्ध है, हमें आज इसकी अत्यधिक आवश्यकता है क्योंकि हमारे देश में आज अपनी पूंजी इतनी पर्याप्त नहीं है। ऐसा कहना असत्य है कि अत्यधिक करों के कारण ही देश में पूंजी का निर्माण नहीं हो रहा है।

कराधान जांच आयोग ने स्पष्टतया यह बात कही है कि पूंजी पर प्राप्त होन वाले लाभ का एक बड़ा अंश तो प्रबन्ध-अभिकर्ता ले जाते हैं, १४ प्रतिशत लाभ सम्बन्धित समवायों को प्राप्त होता है और ५० प्रतिशत लाभांश अंशधारियों को प्राप्त होता है,।

आय-कर आंकड़े यह स्पष्टतया बताते हैं कि कराधान, देश के पूंजी-निर्माण के मार्ग में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि आय-कर अदा करने के उपरान्त भी समवायों के पास अतिरिक्त राशि बच जाती है।

देश में पूंजी निर्माण के रास्ते में प्रमुख रूप से बाधा यह है कि समवायों की प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली व्यवस्थित ढंग से नहीं चल रही। इसके सम्बन्ध में एक और बड़ी बाधा यह भी है कि देश की सारी आय कुछ एक बड़े बड़े पूंजी पतियों के हाथों में केन्द्रित है और वे उसका विनियोग नहीं कर रहे हैं। अतः इस अव्यवस्था के निवारण के हेतु एक विनियोग

[श्री साधन गुप्त]

निधि बनाई जाए। हम सरकार से कई बार प्रार्थना कर चुके हैं कि एक औद्योगिक बैंक स्थापित किया जाए, जिसमें सभी कम्पनियां अनिवार्य रूप से अपने लाभ का एक निर्धारित अंश जमा कराया करें। उस में रुपया जमा कराने वाली कम्पनियों को उस पर ब्याज अदा किया जाए। यदि कोई कम्पनी अपने उद्योगों का विस्तार करना चाहे तो वह उस बैंक से धन ले सके। लोक निर्माण के कार्यों के लिए भी वह धन काम में आ सकेगा। इस प्रकार से हम देश की पूंजी का सदुपयोग कर सकते हैं। अतः हमें विदेशी पूंजी पर निर्भर करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी।

आज हम व्यर्थ में ही अमरीकन पूंजी का मुंह ताक रहे हैं। ऐसा मालूम हुआ है कि अमरीका से ६०५ लाख डालर आर्थिक सहायता के रूप में और १९५ लाख डालर शिल्पिक सहायता के रूप में आ रहे हैं। परन्तु यह आर्थिक सहायता किस रूप में प्राप्त होगी ? यह सहायता घी और माखन के रूप में प्राप्त होगी। बात यह है कि वहां पर उनके पास बहुत सा घी और माखन फालतू बचा हुआ है जिसे वे बेच नहीं सकते, इसलिए यहां भेज रहे हैं।

और इस शिल्पिक सहायता के सम्बन्ध में भी उन्होंने यह शर्त रखी है कि ऐसी सहायता तभी दी जाएगी जब कि हम अमरीकन शिल्पिज्ञों को इस काम के लिए नियुक्त करेंगे। परन्तु आपको पता है कि अमरीकन शिल्पज्ञ हमारे देश के लिए बड़े ही महंगे हैं।

इसमें उन्होंने एक यह भी शर्त रखी है, कि यदि भारत अमरीका के अतिरिक्त किसी और देश से किसी भी प्रकार की शिल्पिक सहायता प्राप्त करे, तो उसके सम्बन्ध में अमरीका को सूचित कर दे। यह तो हमारे देश की स्वतंत्रता पर प्रत्यक्षतया छापा मारना है।

यद्यपि यह विदेशी पूंजी ब्याज के उचित दरों पर ली जा रही है, तथापि इसमें आपत्तिजनक बात यह है कि यह निजी उद्योगपतियों की ओर से आ रही है। इस प्रकार से विदेशी पूंजीपति हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था पर अपना अधिकार जमा लेंगे। इसके कारण एक और भी यह कठिनाई उत्पन्न होगी कि देश के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करते समय हम इन विदेशी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण न कर सकेंगे। उनके राष्ट्रीयकरण करने में अनेकों राजनीतिक और अन्तर्राष्ट्रीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार से ये विदेशी कम्पनियां हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था को अव्यवस्थित कर देंगी। अतः इसके सम्बन्ध में मैं वित्त मंत्री महोदय को सचेत कर देना चाहता हूं, ताकि बाद में हमें पछताना न पड़े।

तेल-शोधक कारखाने ऋण-पत्रों के द्वारा अपनी पूंजी बढ़ाते जा रहे हैं और भारतीय राष्ट्रजनों को इन कारखानों में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं दे रहे हैं। यह तो वास्तव में महान अन्याय है। अतः इन कारखानों से किए गए करारों को संशोधित किया जाए।

अमरीकन पूंजी के सम्बन्ध में अमरीकन पत्रिका "टाईम" स्पष्टतया लिखती है कि इस पूंजी से केवल वे ही उद्योग चलाए जाएंगे जिनसे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। तो इसका अर्थ यह है कि केवल बड़े बड़ उद्योगों को ही प्रोत्साहन मिलेगा और बुनियादी उद्योगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार से बुनयादी उद्योगों का विकास न हो सकेगा।

हमें अपना आर्थिक क्षेत्र विदेशियों के हाथों में नहीं सौंपना चाहिए। वे हमारे आर्थिक

क्षेत्र पर एकाधिकार जमा लेंगे और फिर उनसे जान छुड़ाना कठिन हो जाएगा। हमें इस भयंकर राष्ट्रीय आपत्ति के विषय में पहले से ही सचेत हो जाना चाहिए।

अन्त में हम इस बात की बलपूर्वक मांग करते हैं कि इस औद्योगिक वित्त निगम को समाप्त कर दिया जाए तथा प्रबन्ध अभिकरण की पद्धति का शीघ्र ही उत्सादन करके, पूंजी निर्माण के लिए एक विनियोग निधि बनाई जाए। अनुचित और अव्यवस्थित आधारों पर विदेशी सहायता लेने के स्थान पर उचित आधारों पर ऋण-पूंजी ली जाए और शिल्पिक ज्ञान प्राप्त किया जाए। औद्योगिक धन पर राज्य का नियंत्रण हो। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री महोदय इन सभी बातों पर अच्छी प्रकार से सोच विचार करेंगे।

श्री मोहन लाल सक्सेना (जिला लखनऊ व जिला बाराबंकी): माननीय वित्त मंत्री के भाषण सुनने, वित्त मंत्रालय के प्रतिवेदन पढ़ने और कराधान जांच आयोग का प्रतिवेदन पढ़ने के उपरान्त मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वित्त मंत्रालय मितव्ययता की नीति को कार्यान्वित करन में असफल रहा है।

मितव्ययता के सम्बन्ध में विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों की जांच करने के उद्देश्य से वित्त मंत्री ने एक समिति नियुक्त की थी जिसने कुछ एक सिफारिशें दी थीं। इसके सम्बन्ध में जबकि बड़ी रिपोर्ट में यह लिखा है कि सरकार ने इनमें से बहुत सी सिफारिशें मान ली हैं और कई एक को कार्यान्वित भी किया जा चुका है, तो छोटी रिपोर्ट में यह लिखा है कि सरकार ने इन में से कुछ एक को केवल माना ही है, अभी कार्यान्वित नहीं किया है। मैं यह पूछता हूं कि इन दो रिपोर्टों में इतना भेद क्यों है? फिर राज्य सभा में भाषण देते हुए वित्त मंत्री ने बताया था कि वे अभी तक इस समस्या को हल नहीं कर सके हैं। कर्मचारियों की छंटनी के सम्बन्ध में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम किसी भी हालत में छंटनी करने के लिए तैयार नहीं क्योंकि इससे बेकारी फैल जाएगी।

मैं उनके इस विचार से सहमत नहीं हूं। चाहे इसका कुछ भी परिणाम हो हमें अपने कार्यालयों में एक भी कर्मचारी फालतू नहीं रखना चाहिए। कराधान जांच समिति ने बिल्कुल ठीक सुझाव दिया है कि पूर्व इसके कि हम इधर उधर छोटे बड़े पर कर लगाते फिरें, हम इस बात का आश्वासन चाहते हैं कि सरकारी खजाने में दिए गए धन में से प्रत्येक पाई का उचित प्रयोग किया जा रहा है।

कराधान जांच समिति ने यह भी कहा है कि साधारण प्रशासन पर खर्च बहुत ही बढ़ गया है। केवल केन्द्रीय सरकार के साधारण प्रशासन का खर्च जो १९३८-३९ में २ करोड़ था, १९५१-५२ में ९ करोड़ रुपया हो गया और १९५३-५४ में १२·४ करोड़ रुपया हो गया। और इस वर्ष तो और भी बढ़ जायेगा।

अतः कार्यालयों में पड़े हुए फालतू कर्मचारियों का शीघ्र ही कोई प्रबन्ध होना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि आप उन्हें धक्के दे कर सड़क पर फेंक दें। अपितु इस समस्या का कोई और उपाय सोचना चाहिए। उन फालतू कर्मचारियों को सरकारी खर्चे पर कोई शिल्पिक प्रशिक्षण दिया जाए प्रशिक्षण काल में भी उन्हें पूरा अथवा अधूरा वेतन मिलता रहे और उसके उपरान्त उन्हें देश के शिल्पों और उद्योगों में लगा दिया जाए। सरकारी कार्यालयों में लगभग २५ से ३३ प्रतिशत तक फालतू कर्मचारी हैं। उन्हें इसी स्थिति में कार्यालय में रखना

[श्री मोहन लाल सक्सेना]

देश के लिए, सरकार के लिए और उन कर्मचारियों के लिए अहितकर है।

इन लोगों को अन्य उपयोगी कार्यों में लगाया जाना चाहिए। मैं वित्त मंत्री से कई बार यह निवेदन कर चुका हूं कि आज देश में एक बड़े पैमाने पर गृह-निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की आवश्यकता है। निजी उद्योगपति यह कार्य नहीं कर सकते। पंचवर्षीय योजना के अधीन इस कार्य के लिए नाई गयी योजना भी सफल नहीं हुई है, इसका कारण यह है कि योजना ठीक रूप में नहीं नाई गयी थी। देश में लगभग दो लाख ऐसे लोग हैं जो कि अपना घर स्वयं नाने के लिए तैयार हैं। उन्हें केवल भूमि की आवश्यकता है। यदि आप उन्हें भूमि प्रदान करें, तो वे अपने घर बना सकते हैं। यह भूमि लगभग २००० करोड़ रुपये की होगी। इस गृह-निर्माण कार्य पर लगभग ५ करोड़ रुपया प्रति वर्ष लगेगा और इससे १५,००० श्रमिकों को काम पर लगाया जा सकेगा। श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने वाला सब से बड़ा उद्योग यही गृह-निर्माण उद्योग ह। और इस कार्य के लिए सरकार के पास अतिरिक्त भूमि भी है। लखनऊ, इलाहाद, कानपुर, आगरा और बनारस इन पांच नगरों की नगर पालिकाओं के पास लगभग ८००० बीघे भूमि पड़ी हुई है। क्यों न उसे काम में लाया जाए? 'गृह' वास्तव में जनता की बुनियादी आवश्यकताओं में से एक है। अतः हमारा यह सर्वप्रथम कर्तव्य है कि जनता को आवास प्रदान करने का शीघ्रातिशीघ्र प्रबन्ध करें।

मैं माननीय वित्त मंत्री से ऐसा कहूंगा कि वे नमूने के तौर पर दिल्ली नगर का ही सर्वेक्षण कर लें। यहां पर आवास स्थानों की कितनी कमी है। परन्तु वित्तमंत्री तो पूंजीपति नीति को अपनाए हुए हैं, और सरकारी भूमि बेचेंगे तो उसी को बेचेंगे जो नीलाम में सब से बढ़ कर बोली देगा। इस प्रकार से निर्धन बेचारे देखते ही रह जाते हैं और उन्हें फिर से पूंजीपतियों के ही मकानों में भारी किराया दे कर रहना पड़ता है। अतः निर्धन और मध्यम श्रेणी के लोगों के लिए आवास स्थानों के निर्माण की ओर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए और इस सारी योजना पर २००० करोड़ रुपये से अधिक खर्च नहीं आएगा। हो सकता है कि इस कार्य पर इससे भी कम खर्च आए, केवल १५०० करोड़ रुपया खर्च आए।

[सरदार हुक्म सिंह पीठासीन हुए]

इसके सम्बन्ध में, मैं एक और सुझाव भी देना चाहता हूं। विदेशों में रेलवे लाइनों के आस पास की भूमि भी खेती के काम में लाई जाती है। परन्तु हमारे देश में रेलवे लाइनों के आसपास बहुत सी भूमि व्यर्थ में पड़ी रहती है? ऐसी भूमि लगभग २५ लाख एकड़ है। तो यदि ऐसी भूमि पर आवास-स्थान बना दिए जाएं, तो इन में एक या दो लाख परिवार बस सकते हैं।

बेकार व्यय के प्रश्न को ही लीजिये। मैं केवल एक उदाहरण दूंगा। संसद सदस्यों के फीरोजशाह रोड पर स्थित निवास स्थानों में स्नानागारों के फर्श सीमेन्ट के थे जो अच्छे भले थे किन्तु उनमें से एक एक स्नानागार के फर्श को पच्चीकारी वाला फर्श ना दिया गया है। दिल्ली के गन्दे गली कूचों को सुधारने के लिए तो हमारे पास धन नहीं है किन्तु इस प्रकार के अपव्यय के लिए हमें धन मिल जाता है।

खाद्य और कपड़े की समस्या के हल के पश्चात जो दो समस्याएं शेष रह जाती हैं वे रोजगार और आश्रम की है।

भारत सरकार ने औद्योगिक प्रत्यय तथा विनियोजन निगम को ७ १/२ करोड़ रुपये का ऋण देने का वचन दिया है। यह

अमरीका की सरकार के साथ हुए किसी करार के अन्तर्गत किया जा रहा है। मुझे इस करार की शर्तों के बारे में तो जानकारी नहीं है, किन्तु यह राजकीय सहायता २६ लाख तक पहुंच जायेगी। आप इस निगम को तो यह सब सहायता दे सकते हैं किन्तु एक केन्द्रीय आवास वित्त निगम बनाने के लिए तैयार नहीं हैं। वित्त मंत्री चाहें तो मैं अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर सकता हूं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : जनाब चेअरमैन साहब, जब कभी फाइनेन्स मिनिस्टर साहब की कोई डिमान्ड यहां पर आती है, या जब कभी फाइनेन्स मिनिस्टर साहब यहां पर अपनी स्पीच देते हैं तो इस खूबी से वह अपनी बात को बयान करते हैं कि उससे सारा हाउस कैरोड हो जाता है। जब कभी हम देखते हैं कि हमारी फाइव इअर प्लैन चली आ रही है और गवर्नमेंन्ट को उसके लिये ५६०० करोड़ रु० का इन्तजाम करना है, या फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को उसका इन्तजाम करना है, तो हम इतनी बड़ी रकम का जो ऐम्पलीट्यूड है उसी में गर्क हो जाते हैं। हमारी समझ में नहीं आता कि इतनी बड़ी रकम कहां से और कैसे आयेगी। जब हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब डेफिसिट फाइनेन्सिंग या डेफिसिट बजेटिंग का जिक्र करते हैं तो सिवा इसके कि हम यह यकीन कर के कि फाइनेन्स मिनिस्टर साहब हम से बहुत ज्यादा काबिल हैं, वह इसको हम से ज्यादा समझते हैं, अपना वोट दे दें, और कोई चारा हमारे पास नहीं रहता है। और हम ज्यादा इन्टेलिजेन्टली अपना वोट एक्सर्साइज नहीं कर पाते।

हम चुनाचे भरोसा रखते हैं क्योंकि, जो हमारे रुपया खर्च करने वाले हैं वे ऐसे आदमी हैं जो बड़े काशस हैं और कभी कोई एक्सेसिवनेस नहीं करेंगे। इसके बावजूद भी जब हम कंटरीसाइड की हालत को देखते हैं तो हमको कभी कभी इस बात पर भरोसा नहीं होता कि जो कुछ यहां पर बताया जाता है वह ठीक ही है। आज आप किसी मुफस्सिल टाउन में जाकर, पंजाब के किसी जिला हेड क्वार्टर में जाकर देखें, मंडियों में जा कर देखें, गांवों में जाकर देखें आपको यह नजर नहीं आएगा कि किसी आदमी की भी आमदनी जितनी कि फाइनेंन्स मिनिस्टर साहब कहते हैं उतनी बढ़ गई है या जल्द बढ़ने वाली है। आप हिसार की मंडियों में जाकर देखें, वहां की किसी एक सारी मंडी में अगर आप एक हजार रुपया इकट्ठा करना चाहेंगे तो शायद नहीं कर सकेंगे। तजारत पेशा करने वाले लोगों की हालत इतनी खराब है कि जो बयान नहीं की जा सकती। अगर आप जो छोटे छोटे तजारत करने वाले लोग हैं, आप यकीन करें या न करें, लेकिन यह सच है कि उनको दो वक्त का खाना मुय्यसर नहीं होता। वे लोग आज पूरी तरह से उतना रुपया नहीं कमा पाते जितना वे कमाया करते थे। आप गांवों में जा कर देखिये वहां पर भी आपको यही चीज दिखाई देगी। वह पुरानी प्रास्पेरिटी, वह पुरानी लहलहाहट खत्म हो चुकी है और उनकी हालत भी बहुत खराब है।

दो साल पहले हम देखते थे कि छोटे शहरों और गांवों में बिल्डिंग आपरेशंस जारी थी। लोग स्कूलों के वास्ते बिल्डिंग बनवाते थे, उन्होंने पंचायत घर भी बनवाए और यह सब चन्दा इकट्ठा कर के किया। आज आप यह बिल्डिंग आपरेशंस वहां पर नहीं देखेंगे। दिल्ली और बम्बई में कुछ भी हो, यहां पर जो बिल्डिंग आपरेशंस चल रहे हैं, इनको आप छोड़ दीजिए लेकिन जो कंटरीसाइड की हालत है उसको आप देखिये। वहां पर न तो तजारत पेशा लोगों की हालत अच्छी है और न ही जो खुद काश्त करते हैं उनकी हालत ऐसी है जो कि तसल्लीबक्श हो। इसके बरअक्स जितनी भी हम उनको उम्मीदें देते हैं और बतलाते हैं

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

कि देश तरक्की कर रहा है, इतनी यहां पर बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं, इतनी बन चुकी हैं. इतनी बनने वाली हैं, इतने कारखाने खुल गए हैं, इतने और खुलने वाले हैं, उनके चेहरों पर कोई खुशी की लहर नहीं दौड़ती और वे चेहरे मायूस ही नजर आते हैं ? उनको यकीन नहीं आता कि नीयर फ्यूचर में उनकी आमदनी पर कोई बड़ा भारी असर पड़ेगा। ऐसी हालत में अगर यह कहा जाए कि देश की फाइनेन्शल हालत अच्छी है और जो रोजी फिक्चर, जो एक खूबसूरत नक्शा हम उनके सामने पेंट करते हैं उससे उन पर कोई असर नहीं पड़ता। इन हालात में मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि जब तक हमारी गवर्नमेंट इस तरफ खास तवज्जह नहीं देगी और तजारत पेशा लोग जो हैं, अपने हाथ से आप खेती करने वाले जो लोग हैं, उनकी हालत नहीं सुधरती, उस वक्त तक वे नतायज जिनको हम देखते हैं कि पांच साला प्लान के पूरा होने पर हमें हासिल होंगे या जो नेक्सट प्लान हम बना रहे हैं उसके पूरा होने पर हमें हासिल होंगे, हम उन्हें हासिल नहीं कर पाएंगे। मैं यह नहीं कहता कि जो आपकी बड़ी बड़ी स्कीमें हैं जैसे भाखड़ा नंगल वगैरह वगैरह इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा था और अब मैं दुबारा कहता हूं कि जिन जिन इलाकों में भाखड़ा का पानी गया है वहां के लोगों की जितनी उम्मीदें थीं और जितने उनके एस्पीरेशंस थे—वे इस कदर ज्यादा थे कि लोग खुशी से नाचते थे—वे पूरे नहीं हुए और उनके एस्पीरेशंस के ऊपर साया पड़ गया है, उन पर ओस पड़ गई है। अब तो हालत यह है कि उन को अपनी प्रोड्यूस की जितनी कीमत मिलने की आशा थी और जितनी मिलनी चाहिए थी वह उनको नहीं मिल रही है जिसकी वजह से जो उनकी खुशी थी वह एक तरह से मायूसी के अन्दर किसी हद तक तबदील हो गई है।

अब मैं आपके सामने एक और नक्शा खींचना चाहता हूं ताकि आप इस खयाल में न बैठे रहें कि हालत अच्छी है और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर मैं आपको असली हालत बताऊंगा और जब वह हालत फाइनेंन्स मिनिस्टर साहब को मालूम होगी तो वे कम सेकम इसकी तरफ भी जरूर तवज्जह देंगे। मैं उन धंधों का जिक्र करना चाहता हूं जिन से कि छोटे छोटे आदमियों का गुजारा होता है। मैं चाहता हूं कि इस तरफ खास तवज्जह दी जाए। चुनाचे जब तक हम नहीं देखते कि हर गांव में लोगों को ज्यादा काम मिले उस वक्त तक हम यह नहीं कह सकते कि यह जो नैशनल प्राब्लेम है यह हल हो गयी ह। आप उनको ज्यादा काम दीजिये। जितना काम अब तक हुआ है और जितने रुपये खर्च किए गए हैं इन काटेज और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज पर उन में से एक पैसे का भी मैं निशान व असर नहीं देखता जो कि मेरे जिले में खर्च किया गया हो। अपने जिले भर के एक गांव में भी मैं यह नहीं देखता कि जहां पर काटेज इंडस्ट्री की वजह से या स्माल स्केल इंडस्ट्री की वजह से इस सूत कातने की वजह से, कपड़ा कातने की वजह से किसी जमींदार की आमदनी में इजाफा हुआ हो। और जिलों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं नहीं जानता कि मद्रास में या किसी और सूबे में इससे फायदा हुआ है या नहीं मगर मैं इतना जरूर अपने ज़िले के बारे में जानता हूं कि वहां किसी किस्म की कोई तरक्की हमें दिखाई नहीं देती।

अब मैं एक और चीज़ की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। आज एक बिल यहां पेश किया गया है जिसके बारे में मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूं और अब मैं फिर फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को मुबारिकबाद देता हूं कि उन्होंने इस किस्म का बिल यहां पर पेश

किया। जिस कंस्टीट्युएंसी से मैं आता हूं अगर उसकी मैं आपको हालत सुनाऊं कि इंडेटिडनेस की वजह से उनकी कितनी बदतर हालत हो गई है तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपका कलेजा आपके मुंह से बाहर निकल आएगा। वहां पर एक पैसा या दो पैसा फी रुपया के हिसाब से सूद नहीं लिया जाता वहां पर दो आने और ढाई आने फी रुपया के हिसाब से चार्ज किया जाता है जो कि १८० परसेंट वर्क आउट करने पर आता है। इस पर शायद आप यकीन न करें मगर मैं खुद उन गांवों में गया जहां इस रेट पर रुपया दिया जाता है और लेने वालों और देने वालों दोनों से मैंने दरयाफ्त किया और उसी की बिना पर मैंने आपके सामने यह फिगर रखी है। ऐसी हालत में गरीब आदमियों की, टेनेंट्स की या जो लोग खुद अपने हाथ से काश्त करते हैं उनकी हालत का आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं और मैं इसके बारे में कुछ और ज्यादा कहने की जरूरत महसूस नहीं करता। परमात्मा की कृपा है कि अब कुछ उम्मीद की शुआ उन अंधेरे घरों में नजर आने लगी है और वे उम्मीद करते हैं कि यह रूरल क्रेडिट बढ़ेगा और लोगों को इस लानत से जिस में कि वे फंसे हुए हैं, नजात मिलेगी। कोई जमाना था जब १९१९ में प्रिवी काउंसल ने दो पैसा रुपया सूद एक्सेसिव करार दिया था। पंजाब गवर्नमेंट ने ९ परसेंट से ज्यादा रेट आफ इंट्रेस्ट को कहा था कि यह एक्सेसिव है लेकिन जब हम १८० परसेंट देखते हैं तो अगर कोई रे आफ होप आ सकती है तो वह तभी आ सकती है जब देश में रूरल क्रेडिट बढ़े और हमारे इस इलाके में जाए जिससे लोगों को कुछ आराम मिले।

अब मैं आपकी तवज्जह इन्कमटैक्स डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट और कस्टम्स डिपार्टमेंट की तरफ दिलाना चाहता हूं। जहां तक कस्टम्स डिपार्टमेंट का ताल्लुक है इससे मुझे ज्यादा वाकफियत नहीं है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा नहीं कह सकता। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जो लोग बाहर के मुल्कों से आते हैं और वे जो यहां रहने वाले हैं दोनों ही शिकायत करते हैं कि दुनिया भर में कहीं इतना हार्श, अन-सिम्पैथेटिक और अनजस्ट ट्रीटमेंट नहीं होता जितना यहां पर होता है।

फारेनर्स के साथ तो फिर भी कुछ अच्छा बरताव होता है क्योंकि सफेद चमड़ी अब भी इस देश के अन्दर बहुत रिस्पेक्ट कमांड करती है लेकिन जो यहां के लोग हैं उनके साथ तो बहुत बुरी तरह पेश आया जाता है। जो लोग दूसरे मुल्कों में जाते हैं वे बताते हैं कि वहां उनके साथ उस कदर हार्श ट्रीटमेंट नहीं हुआ जिस कदर कि अपने देश में वापस आने पर हुआ..... ।

श्री त्यागी : पुरानी खबर है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : पुरानी नहीं है। जो रूल्ज में कुछ तबदीली हुई है कि इतनी कीमत की कोई चीज लाएगा तो उस पर कस्टम्स टेक्स नहीं लिया जाएगा उससे कुछ असर जरूर पड़ा होगा लेकिन जितनी शिकायतें आपके पास पहुंचती हैं उनसे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना हार्श ट्रीटमेंट होता है। यह पुरानी खबर नहीं है। यह पुरानी खबर उस वक्त हो सकती थी जब त्यागी जी इस महकमे में थे।

इस महकमे को छोड़ कर अब मैं इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूं और इसके बारे में कुछ वसूक के साथ भी बोल सकता हूं। जहां तक इन्कम टैक्स का सवाल है मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अब भी इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट में सरकल रेट्स और फ्लैट रेट्स नहीं चलते, क्या आपके असिस्टेंट कमिश्नर साहब या घोस्ट असिस्टेंट कमिश्नर साहब कोई तहकीकात किए बगैर अदम मौजूदगी अससी में यह हुक्म इन्कम टैक्स आफिसर को नहीं दे देते कि फलां आदमी के पऊर इतना

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

टैक्स लगा दो, असिस्टेंट कमिशनर क्या अभी भी उस कैडर से नहीं आते जो कि ज्यूडिशल कैडर नहीं है, क्या उनकी सब ट्रांस्फर्स और प्रोमोशंस वगैरह सब की सब एग्जेक्टिव के हाथ में नहीं हैं ? मैं अदब से पूछना चाहता हूं कि आप अपनी छाती पर हाथ रख कर बताएं कि इन्कम टैक्स आफिसर जो विलायत के अन्दर हैं उनके पास जो लोग जाते हैं क्या उनके साथ भी वैसा ही सलूक होता है जैसा कि जो यहां के असैसी हैं उनके साथ किया जाता है ?

क्या यह दुरुस्त नहीं है कि जब एक ऐसेसी ब्रिटेन में इन्कम टैक्स आफिसर के पास जाता है तो वह यह समझता है कि यह आफिसर मेरा फ्रैंड, फिलासफर और गाइड है और मेरे ऊपर यह ज्यादा असेसमेंट नहीं करेगा । और क्या यह दुरुस्त नहीं है कि यहां पर जब एक असेसी इनकम टैक्स आफिसर के पास जाता है तो वह डरता डरता जाता है और वह उस आफिसर को अपना दुश्मन समझता है और वह अफसर यह समझता है कि यह मेरा शिकार आया और अगर मैं इसका असेसमेंट बढ़ा दूंगा तो मेरी तरक्की के इमकानात ज्यादा हैं । हमारे यहां असेसीज को जितनी तकलीफ होती है उसको आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। मुमकिन है कि पहले से हालात कुछ बेहतर हो गये हों, लेकिन हमने अभी तक ऐसा कदम नहीं उठाया है कि एक असेसी यहां पर इनकम टैक्स आफिसर पर उसी तरह से भरोसा करे जिस तरहसे कि ब्रिटेनमें होता है। इसी तरहसे पुलिस का हाल है । मैं चाहता हूं कि पुलिस अफसर हमारा प्रोटेक्टर हो । मैं चाहता हूं कि अगर मैं इनकम टैक्स आफिसर के पास जाऊं तो मुझे यह यकीन हो कि यह मेरे ऊपर ज्यादा टैक्स नहीं लगावेगा अगर उसके लिए ऐसा करना लाजिमी ही न हो । हमको आज अपना इन्तिजाम हाथ में लिए हुए सात साल हो चुके । अगर आज भी हमारा असेसी वैसा ही अनुभव करता है जैसा कि पहले करता था तो मैं नहीं समझता कि यह सिचुएशन ऐसी है कि जिस पर हम प्राइड कर सकते हैं । मैं अदब से अर्ज करूंगा कि इसके अन्दर तबदीली होनी चाहिए ।

इसके अलावा मैं जनाब फाइनेन्स मिनिस्टर साहब की तवज्जह एक और अमर की तरफ दिलाना चाहता हूं । बहुत बरसों से मैं उनकी खिदमत में और उनके प्रिडेसेसर्स की खिदमत में जाइंट हिन्दू फैमिली का किस्सा कहता चला आया हूं । आपकी टेक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी ने इस बारे में कुछ दिक्कत देखी और इसलिए लिख दिया है कि अभी सक्सेशन ला और हिन्दू कोड बिल आने बाकी हैं, न मालूम उनका हिन्दू जाइंट फैमिली पर क्या असर हो, न मालूम जाइंट हिन्दू फैमिली रहेगा भी या नहीं, या क्या सूरत होगी, इसलिए इस मसले पर उसके बाद गौर किया जायगा । यह मामला सन् २७, २८ से चला आ रहा है और हमसे बार बार यही कहा गया कि इसका फैसला टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी में होगा । आप भी हमें यही बतलाते रहे हैं कि जब टेक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी आवेगी तो यह मसला तै किया जायगा । लेकिन अब फिर टेक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी ने इस मामले को रद्दी की टोकरी में डाल दिया और कह दिया कि हिन्दू कोड बिल खत्म हो जायगा तब इसको देखा जायगा । अगर आपकी यही मंशा है तो आप साफ बतला दीजिये ताकि हम ऐसी कोशिश करें कि हिन्दू सक्सेशन बिल में यह जाइंट हिन्दू फैमिली खत्म ही हो जाय और टंटा हटे, और लोगों को तकलीफ न हो । आपने टैक्स से एग्जेम्पशन के लिए ४२००० और २००० की रकम रखी है । मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि आप इस २००० की रकम को नम्बर आफ को-पार्टनर्स से जरब देकर निकाल दें और फिर टैक्स लगावें तो जस्टिस होगी । जो सिफारिशात इनवेस्टीगेटिंग

ट्रिब्यून ने की थी वे सिफारिशात भी हमारी टेक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी को हज्म नहीं हुई। इनवेस्टीगेटिंग ट्राइब्यूनल ने लिखा है कि इनकम टैक्स और सुपर टैक्स में कोई फर्क नहीं है । उसने कहा था कि जिस जाइंट हिन्दू फैमिली में दो या तीन मैम्बर हों उनको इनकम टैक्स और सुपर टैक्स में रियायत मिलनी चाहिए । इनकम टैक्स के लिए तो उन्होंने इसको बतौर रेडी जस्टिस के मंजूर कर लिया लेकिन बगैर कोई वजूहात दिये उन्होंने इसको सुपर टैक्स के लिए रद्द कर दिया । मैं नहीं समझ सकता कि इसमें क्या लाजिक है क्या इन्साफ है । यह तो एक तरह की रेवेन्यु है, और जिस मुल्क में गवर्नमट रेवेन्यू बटोरने के पीछे पड़ जाती है तो उसकी वह पालिसी बहुत दिन तक कायम नहीं रह सकती । और इस पालिसी से देश में बहुत खराबी पैदा हो सकती है । अगर आप इनकम टैक्स में रियायत दे सकते हैं तो कोई वजह नहीं मालूम होती कि आप सुपर टैक्स में क्यों रियायत न दें, और इनवेस्टीगेटिंग ट्रिब्यूनल के उसूल को क्यों न एक्सेप्ट करें । उन्होंने इस उसूल को सुपर टैक्स के मामले में खत्म कर दिया और उस पर कोई तवज्जह ही नहीं दी है ।

जनाब वाला, मुलाहिजा फरमावें कि इस ४२०० की रकम का चन्द आदमियों को तो एग्जेम्पशन मिलेगा और कुछ को नहीं दिया जायेगा । यह बिलकुल डिस्क्रिमिनेशन है । और मैं अदब से अर्ज करूंगा कि जब तक देश में आपके इस कानून में इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन है तब तक और चीजों में भी इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन कायम रहेगा। जस्टिस का यह तकाजा है कि आप हर एक इन्सान को बराबरी का दर्जा तो दें । लेकिन आप टैक्स के वास्ते हिन्दू जाइंट फैमिली में जिसमें पांच से ज्यादा मैम्बर हों और दूसरों के अन्दर कोई तमीज नहीं करते । फर्ज कीजिये कि किसी जाइंट हिन्दू फैमिली की आमदनी १३ या १४ हजार है । तो उस हालत में पांच आदमियों से उतना ही टैक्स चार्ज किया जायेगा जितना कि एक शख्स से । इसका असर क्या होगा । मैं चाहता हूं कि हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब इसका फैसला कर दें । अगर वह इस मामले में कुछ नहीं करना चाहते हैं तो वैसा कह दें ताकि हम कोशिश करके इस जाइंट फैमिली को ही खत्म करवा दें । आप उसके साथ इन्साफ नहीं करते । मैं यह नहीं चाहता कि आप इस मामले को आगे के लिए टालते चले जायें ।

मैं फाइनेन्स मिनिस्टर साहब का शुक्र-गुजार हूं कि उन्होंने जो नये टैक्स लगाये हैं उनके बारे में ओपिन माइंड रखा है । मैंने कई आइटम्स देखे हैं, जैसे कि पेंट्स एंड वार्निशेज और वूलन गुड्स । इन पर आपने इतना ज्यादा टैक्स लगाया है कि इसका नतीजा यह होगा कि जिनको आप फायदा पहुंचाना चाहते हैं उनको फायदा नहीं पहुंचा सकेंगे । मैं नहीं चाहता कि आप बड़े कारखानों पर टैक्स न लगायें लेकिन अगर आप उन छोटे छोटे आदमियों पर टैक्स लगायेंगे जिनका कि प्रोडक्शन बहुत कम है तो उसके मानी यह होंगे कि वह स्माल स्केल इंडस्ट्रीज और काटेज इंडस्ट्रीज जिनके वास्ते आपके दिल में बड़ा साफ्ट कार्नर है उनको बहुत नुकसान होगा । ये लोग इलेक्ट्रिसिटी नामिनल तौर पर ही इस्तेमाल करते हैं । अगर आपने इन पर टैक्स लगाया तो इनको बहुत नुकसान होगा । चूंकि मिनिस्टर साहब ने अपना माइंड ओपिन रखा है और एक दो आइटम्स पर उन्होंने टैक्स कम भी किया है मैं उनकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि मुमकिन है कि एक दो और आइटम्स पर उनको टैक्स खत्म करना पड़े ।

मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे वक्त दिया ।

श्री चिनारिया (महेन्द्रगढ़) : सभापति महोदय, आपने मुझे जो अवसर दिया है इसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूं ।

मैं चाहता हूं कि मैं इस फाइनेन्स बिल को सपोर्ट करूं, और करना भी होगा, लेकिन मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब को बधाई नहीं दे सकता । किसी देश का फाइनेन्स बिल उस देश की आर्थिक पालिसी का प्रतीक होता है । अब तक हमारी आर्थिक पालिसी काफी साफ नहीं थी और अब भी मैं समझता हूं कि बहुत साफ नहीं है । लेकिन फिर भी जितनी है उतनी की तरफ हमारा बजट या हमारा फाइनेंन्स बिल नहीं जा रहा है । इस वक्त हमारा लक्ष्य यह है कि हम सोशलिस्ट पैटर्न की तरफ चलें । ठीक है पैटर्न का होना जरूरी है । जब तक आपके सामने कोई निशाना न हो तो आप कहां जायेंगे । लेकिन मैं तो अभी तक यह भी नहीं समझा कि यह सोशलिस्ट पैटर्न है क्या चीज ।

अभी पिछले दिनों ही कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल पर बोलते हुए यह कहा गया कि प्राइवेट सेक्टर को पांच, दस, पन्द्रह बरस और शायद कभी भी हाथ न लगाया जाये । मैं समझ नहीं पाया कि हमारा वह सोशलिस्ट पैटर्न किस जगह आजमाया जायेगा । अगर प्राइवेट सेक्टर इतना सेक्रोसेक्ट है कि उस पर हाथ नहीं लगाया जा सकता तो मैं नहीं समझता कि इस सोशलिस्ट पैटर्न के मानी क्या हैं । मैं तो चाहता था कि हम इस चीज को साफ कर देते कि यह सोशलिस्टिक वे से किया जायेगा या यही कह देते कि यह कम्युनिस्टिक वे से किया जायेगा अगर ऐसा नान वायलेंट तरीके से हो सके, तो मुझे इसमें भी के एतराज नहीं होता। लेकिन दुनिया हिन्दुस्तान से किसी और चीज की उम्मीद करती है । वह यह देखना चाहती है कि महज नान वाइलेंट तरीके से ही नहीं बल्कि गांधियन तरीके से मुल्क में इकानमिक तबदीली करके हिन्दुस्तान दुनिया के सामने एक मिसाल पेश करे ।

हम जा रहे हैं बड़ी बड़ी मशीनें लगाने और हम कहते हैं कि हम इससे बेकारी दूर करना चाहते हैं लेकिन अब तक सात साल का नतीजा तो यह है कि बेकारी बढ़ी है और हालत यह हो रही है कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की । आगे इस पांच साला प्लान में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब यकीन दिलाते हैं कि लाखों करोड़ों आदमियों को काम दिया जायेगा, ठीक है, लेकिन मैं यह कहता हूं कि बेकारी फिर भी दूर नहीं होगी और यह तरीका और यह रास्ता बेकारी दूर करने का नहीं है । मशीनें कितनी ही बड़ी हों, यह ठीक है कि वह काम को हलका करती हैं, थोड़े वक्त में ज्यादा काम कर दिखाती हैं । छोटे से मुल्क इंग्लैंड के लिए जापान के लिए ठीक है कि ज्यादा से ज्यादा वह धन कमायें और दुनिया में इधर उधर अपना माल भेज कर मालदार हों, लेकिन मैं यह समझता हूं कि जिस देश के ३६ करोड़ लोग बल्कि दस बीस साल में यह ३६ करोड़ ५६ करोड़ बन जायेंगे, उनके लिए मशीनों से समस्या हल होने वाली नहीं है और मैं कहूंगा कि भारी मशीनों के जरिए आपने सब को काम दिया तो मैं यह कहूंगा कि आपको भी इस अहिंसा को छोड़ने की जरूरत पड़ेगी और आपको भी मार्केट्स की और मंडियों की इस मुल्क से बाहर जरूरत पड़ेगी । इंडस्ट्रीज में हालांकि अभी कुछ भी नहीं हुआ है लेकिन हमें कपड़ा बाहर भेजने की जरूरत है और २० वर्ष में जब आप मशीन के जरिए ३६ करोड़ से बढ़कर ५६ करोड़ हो जायेंगे, इन सब को एम्पलाय कर देंगे, आपको भी अमरीका की तरह जरूरत होगी कि आप कोल्ड वार के लिए नहीं बल्कि हौट वार के लिए भी कोशिश करें आपका इनफ्लूएंस जगह जगह बढ़े और मैं यह समझता हूं कि यह न आपका ध्येय है और न आगे होगा और आप कर भी नहीं सकेंगे

क्योंकि हमारे मुल्क की हिस्ट्री का कंसेप्शन यह नहीं है कि हम एग्रैसिव हों, या किसी जगह कौलोनीज बनायें या किसी जगह इनफ्लूएंस बढ़ायें, आप देख लीजिये कि क्या नतीजा होगा इस सारी चीज का ? अब आप मुझे इसके लिए कुछ भी कहें, रिएक्शनरी कहें या तो कंजरवेटिव कहें, लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि स्वयं गांधी जी भी हाथ से काम चाहते थे, यह ठीक है कि वे मशीन के खिलाफ नहीं थे लेकिन उसके हक में भी नहीं थे। महज इसलिए कि नतीजा मशीन का क्लास वार की तरफ जाता है एक ओर बड़े पूंजीपति जो लाखों और करोड़ों रुपये के मालिक होते हैं दूसरे मजदूर जो उनकी तरफ आंख उठा कर देखते हैं और जितना चाहे उनको दे दें तो यह चीज जब होती है तो ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। आप कहते है कि हम धन इकट्ठा करके बांटेंगे, गरीबों को क्या बांटें, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इकट्ठा धन बगैर वायलेंस के नहीं बंट सकता। सोशलिज्म अगर दुनिया में आया है तो वायलेंस के जरिए आया है और आप भी अगर सोशलिज्म की तरफ जाते हैं तो आपको वायलेंस के वास्ते तैयार रहना चाहिए और गांधी जी का नाम छोड़ देना चाहिए। मैं तो वह नतीजा देखता हूं कि दुनिया किस तरफ जा रही है, यह ठीक है कि ऐटम शक्ति भी तैयार हो रही है और उसकी वजह से कोयले और बिजली की बचत होगी, यह सारी बातें हैं लेकिन इसके साथ ही ऐटम शक्ति से दुनिया में आदमियों का काम भी कम हो जायेगा। दुनियां रोजाना बढ़ती जा रही है, एक तरफ हम अपनी आवाज अमन के लिए लगा रहे हैं और दूसरी तरफ ऐटम और दूसरी और सारी चीजें तैयार कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि सारी दुनिया मशीन पर लग कर किस तरह सबको काम दे सकेगी और किस तरह अमन और शांति से रह सकेगी।

मने दुनिया के सामने जिस तरीके से मिसाल पेश की कि बगैर वायलेंस के संसार के काफी तगड़े और मजबूत ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म को हमने अपने देश से समाप्त किया, उसी तरह से दूसरी मिसाल हमें दुनिया के सामने देनी है कि हमें इस आर्थिक भूत को इस गरीबी को और इस भयंकर बेकारी को भी गांधी जी के तरीकों से ही इस मुल्क से दूर करके दिखाना है लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों पंडित जी ने कहा था कि हमारी आर्थिक पालिसी के तीन कंसेप्शन हैं। एक तो सम कंसेम्पशन, दूसरा हिस्टौरिक कंसेप्शन और तीसरा इंटरनेशनल कंसेप्शन सम कंसेप्शन हमारी पालिसी में मौजूद है, उनका कंसेप्शन है जिनके हाथ में ताकत है और इंटरनैशनल कंसेप्शन भी है कि हम गांधी जी की पैरवी करते करते सोशलिस्टक पैट्रन की तरफ चले गये और उसी प्रकार बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े कारखाने, और तमाम चीजें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की हम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या हमारा हिस्टौरिक कंसेप्शन भी उन सारी चीजों से तालमेल खाता है जो हम कर रहे है ? मैं कहूंगा कि हम उससे बहुत कुछ दूर जा रहे हैं, हम सेंट्रलाइजेशन की तरफ जाना चाहते हैं, जबकि गांधी जी डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ देश को ले जाना चाहते थे। आप धन पैदा करके बांटना चाते है जबकि गांधीजी कहते थे कि इतना बड़ा काम ही किसी को न करने दिया जाये जिससे उसके पास इतना धन इकटठा हो। आज हमारे गांवों में और देहातों में धन नहीं है, छोटे स्केल पर काम करने वालों के पास और कोटेज इंडस्ट्रीज वालों के पास धन नहीं है, अगर थोड़ा बहुत धन है तो वह इंडस्ट्रयलिस्टस और व्यापारियों के पास है और मुझे इसमें जरा भी शक नहीं है कि अगर सरकार की यही पालिसी चलती रही तो दस वर्ष बाद उनके पास अपार धन इकट्ठा हो जायेगा। जिस तरीके से आज का टाटा सन

[श्री चिनारिया]

१९४७ का टाटा नहीं रहा, बल्कि उससे जबर्दस्त टाटा है, आज का बिड़ला सन १९४७ का बिड़ला नहीं है, उससे बड़ा बिड़ला है और ४७ के डालमिया में और आज के डालमिया में बड़ा फर्क है, आज का डालमिया पहले से बड़ा डालमिया है और अगर आपने जिस तरह से आज प्राइवेट सेक्टर चल रहा है, उस तरह से चलने दिया तो दस, बीस वर्ष बाद वे और भी बड़े हो जायेंगे और जो उनकी ताकत इस हाउस में और बाहर अब है और बढ़ जायेंगी, ताकत पैसे में होती है और वह कल और ज्यादा होगी और अगर यही क्रम चलता रहा तो दस वर्ष के अन्दर मैं आपको इन बैंचेंज पर कैपिटिलिस्ट्स के आदमी बैठ हुए दिखा दूंगा और आज जो कुछ आप करना चाहते हैं दस वर्ष के बाद सीधे हाथों से उसको नहीं कर सकेंगे। इसलिए आपके हाथ में ताकत आई है आप गांधीवाद की तरफ जाना चाहते हैं, बेकारी की समस्या को हल करना चाहते हैं तो आप गांधी जी के बताये हुए मार्ग पर चलिये। आज आप कोटज इंडस्ट्रीज और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए साढ़े चार करोड़ रुपये की मंजरी देते हैं, उधर अकेले टाटा को १२ करोड़ दे देते हैं, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरशन से वे करोड़ों रुपये ले सकते हैं, रिजर्व बैंक, इम्पीरियल बैंक और इंश्योरेंस कम्पनीज, सारी की सारी उनकी मदद पर हैं लेकिन किसानों और छोटे काम धंधे करने वालों के लिए साढ़े चार करोड़ रुपये रखे गये हैं, लेकिन उस साढ़ चार करोड़ रुपये का भी जैसा इस्तेमाल होना चाहिए वह नहीं होता है। आपकी तालीम तो यह है कि आप उनको चन्द एक हरूफ लिखना पढ़ना सिखा देते हैं। साइंस का ज्ञान तो देहातियों को दिया नहीं जाता और दूसरे यहां की साइंस भी एसी नहीं है जो विशेष उपयोगी सिद्ध हो और उनको किसी इंडस्ट्री के विषय में ज्यादा दूर तक ले जा सके। आप एक देहाती को महज अक्षर बोध करा कर उसको लिखना पढ़ना सिखा कर, कैसे उससे उम्मीद कर सकते हैं कि वह किसी इंडस्ट्री को सफलतापूर्वक चला सकता है और यह जो साढ़े चार करोड़ रुपये आपने मंजूर किये हैं, कैसे उसके काम में आयेंगे आज हमारे देहात में रहने वाले किसानों को टैकनिकल नौलेज की जरूरत है जो कि उनको नहीं मिल रही और न ही यह साढ़े चार करोड़ रुपया ही लाखों और करोड़ों देहातियों के लिए काफी है, फिर मैं नहीं समझता कि आप किस तरह इस बेकारी की समस्या को सफलतापूर्वक हल कर सकेंगे, क्योंकि जहां आपका ध्यान जाना चाहिए और जहां आपको काम करना चाहिए, वहां आप पहुंच ही नहीं सकते, पहुंचने का जरिया नहीं है, आपके इंडस्ट्रियल डिपार्टमैंट्स के लोग जितने हैं वे सारे या तो बड़ी फैक्टरीज के चक्कर काटते हैं . .

सभापति महोदय : आपका समय खत्म हो गया है।

श्री चिनारिया : मुझे एक दो मिनट और दिया जाये, वैसे कहना तो मुझे बहुत था। मेरा मकसद यही था कि आप थोड़ा विचार कीजिए कि हम जिन गांधी जी के नाम के ऊपर खड़े हैं और कायम हैं उनकी मनशा क्या थी। आप पश्चिम की बातों की तरफ इतना न जाइये जितना कि इस वक्त जा रहे हैं। सब से बड़ी चेतावनी मुझे यही देनी थी।

मैं थोड़ा सा और कहना चाहता हूं। हम आज प्राइवेट सेक्टर में प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन मेरे सामने एक ऐसी नजीर है कि मैनजिंग एजन्सी को कायम हुए १३, १४ साल हो गये हैं एक फैक्ट्री में, शेअर होलडर्स को १३ साल में सिर्फ एक दफा मनाफा दिया गया है ६ परसेन्ट के हिसाब से, लेकिन खुद अपनी मैनेजिंग एजेन्सी का कमिशन वह हर साल लेकर १२, १३ लाख वसूल कर चुकी है,

और यही नहीं, बल्कि पांच साल पहले एडवान्स में ले लेती हैं। जब कि उस फैक्ट्री में यह हालत है कि शेअर होल्डर्स की तरफ कतई निगाह नहीं हैं, सिर्फ चन्द आदमी मिल कर सारा रुपया हड़प करते रहते हैं। आप ऐसे प्राइवेट सेक्टर को जिन्दा रखना चाहते हैं और हमेशा के लिये लीज देना चाहते हैं।

अन्त में मैं तम्बाकू की एक्साइज ड्यूटी के मुताल्लिक भी अर्ज करना चाहता हूं जो कि देहात पर लगाई गई है। गो मैं तम्बाकू पीता हूं इसलिए इसके हक में नहीं हूं कि यह ड्यूटी कम होनी चाहिये। पर इस डयूटी का एसेसमेन्ट इस बुरी तरह से होता है कि किसान जो उसका ग्रोअर है उसका कोई खयाल नहीं किया जाता। अगर किसान एक एकड़ बोता है तो यह पटवारी की मर्जी पर है कि वह उसको पांच एकड़ लिख दे, और भले ही आठ आदमियों की शमूलियत में काम किया गया है, लेकिन एक आदमी के नाम लिख द और आठ आदमी जो अपनी प्राइवेट यूज के लिये तम्बाकू रख सकते थे वे सिर्फ एककी रह गई और सात आदमियों की खत्म हो गई। उनको इस तरह स कितना घाटा होता है ? फिर जिस वक्त आप यह ड्यूटी वसूल करते हैं उस वक्त कहते हैं कि अपील का हक तुम को तब होगा जब यह रकम दाखिल कर दो। गरीब आदमी जो रकम दाखिल करेगा वही कर्ज लेकर करेगा, अपील के लिय पैसा नहीं होता है, तो वकील के लिए कहां से लावे। इस लिये उन किसानों को बड़ा कष्ट है। इसके अलावा आप देखिये कि मेरे इलाके में क्या हालत है। वहां बारिश बहुत कम होती है, कोई नहर नहीं है और कुओं का पानी खारी है, और वह भी इतनी गहराई पर है कि बड़ी मुश्किल से और मेहनत तथा लागत से ऊपर आ सकता है। कभी कहतसाली हो जाती है तो लोग चार पांच महीने तक बेकार बैठने वाली बैलों की जोड़ी को काम देने के लिये कुछ थोड़ी सी तम्बाकू बो देते हैं जो कि खारी पानी में भी हो जाती है। लेकिन आपने उस पर इतना टेक्स लगाया है कि बिचारे किसान के लिये यह भी सम्भव नहीं कि वह तम्बाकू बो कर अपने बैलों की जोड़ी को भी बचा ले। इसकी तरफ भी ख्याल करना चाहिय। यही बातें थीं जो मैं कहना चाहता था।

श्री आर० एन० सिंह (जिला गाजीपुर-पूर्व व जिला बलिया-दक्षिण पश्चिम) : सभापति जी मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे मौका दिया। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने कट मोशन नं. १२२ डिमान्ड नं. २७ की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

अभी मेरे पहले जो सदस्य बोले हैं और तम्बाकू के सम्बन्ध में बोले हैं, इसी के सम्बन्ध में मूझे भी कुछ कहना है। मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय का ध्यान उस तम्बाकू की तरफ दिलाना चाहता हूं जो कि किसानों के यहां पैदा होती है और जिसका अधिकतर किसान लोग ही उपयोग करते हैं। आप सिगरेट और सिगार वाली तम्बाकू के लिये जो भी चाहे ड्यटी लगायें, लेकिन जो हुक्के वाली तम्बाकू है मैं उसके सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

हमारे उत्तर प्रदेश में जो हुक्का पीने वाली तम्बाकू है वह कई जगह बोई जाती है, मेरे क्षेत्र में भी बोई जाती है। आज हुक्का पीने वाली तम्बाकू की हालत इतनी शोचनीय और दयनीय है कि बेचारे किसान जो एक्साइज ड्यूटी उन पर लगाई जाती है वह दे नहीं पाते जिसके कारण से उनके बैल, भैंस और गाय आदि तक कुर्क कर लिए जाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि आज बाजार में हुक्का पीने वाली तम्बाकू की जो दर है उसको देखने से और जो किसानों के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, उसको देखने से यह पता नहीं चलता कि उन बेचारों को क्या मिलता होगा। मैं आपके सामने जो

[श्री आर० एन० सिंह]

मार्च की टुबेको बुलेटिन है उसको रखता हूं। उसमें बहुत सी जगहों की रिटेल प्राइस तो अभी तक मालूम नहीं हुई है, लेकिन होलसेल कीमत है उसको देखने से यह पता चलता है कि जितनी एक्साइज ड्यूटी आप तम्बाकू बोने वाले किसानों पर लगाते हैं करीब करीब वही भाव आज तम्बाकू का बाजार में है। ऐसी हालत में मेरी समझ में नहीं आता है कि उन बेचारे किसानों को क्या बचत होती होगी।

दूसरी चीज जो मैं माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं वह यह है कि जो एक्साइज ड्यूटी किसानों से ६ आ० पाउंड के रूप में वसूल की जाती है, उसको बेचारे किसान समझ नहीं पाते हैं। आज जब हमारी भारतीय तौलें मौजूद हैं तो क्या कारण है कि उनसे भारतीय तौलों के अनुसार एक्साइज ड्यूटी नहीं ली जाती है ? मैं जानता हूं कि आप दूसरे देशों के साथ व्यापार करते हैं अगर आप उनसे पाउंड के हिसाब से ही व्यवहार करना चाहते हैं तो भले ही करते रहें लेकिन आप किसानों से भारतीय तौलों के अनुसार ही यह एक्साइज ड्यूटी वसूल करें। साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि आपको हुक्का पीने वाली तम्बाकू और उसकी एक्साइज ड्यूटी के सम्बन्ध में भी विचार करना होगा।

अभी आज ही एक प्रश्न के सम्बन्ध में मुझे यह मालूम हुआ कि यहां के कृषि विभाग में कोई ऐसी भी स्कीम है जिसके अनुसार दूसरे देशों के तम्बाकू की खेती की ट्रेनिंग के लिये लोग भेजे जाने वाले हैं। मैं आप से यह अर्ज करना चाहता हूं कि यहां पर किसान तम्बाकू बोना और उसकी खेती करना अच्छी तरह से जानते हैं लेकिन आज उनके सामने ऐसी समस्या है जिसके कारण वे अपनी तम्बाकू की खेती को छोड़ते जा रहे हैं। इसके सम्बन्ध में मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश के दो एक जिलों में जो बातें हुई हैं उनको रखना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप उन पर ध्यान भी देंगे। मेरे पास एक रायबरेली जिला से पत्र आया है जिसमें यह लिखा गया है कि सुपरिन्टेन्डेन्ट सेन्ट्रल एक्साइज को इस आशय के प्रार्थना पत्र दिय गये हैं कि बहुत से ऐसे किसान है जिन्होंने तम्बाकू की खेती नहीं की उन्होंने किसी भी डिमाण्ड के नोटिस फार्म पर अपने हस्ताक्षर भी नहीं किये हैं लेकिन फिर भी उन के गलत अंगूठे लगा कर उनसे यह ऐक्साइज ड्यूटी वसूल की जाती है। इसमें और भी ऐसी ही बातें हैं जिन में यह भी है कि पहले कुछ ऐसे किसान थे जो तम्बाकू की खेती करते थे लेकिन कुछ समय हुआ जब से कि उन्होंने खेती करना छोड़ दिया। उसके बाद भी जो उनकी विधवा बूढ़ी औरतें हैं या जो खेतों में कोई काम नहीं करतीं कोई भी तम्बाकू की खेती नहीं करतीं उनके ऊपर भी यह एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है और वसूल की जाती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपके ऐक्साइज ड्यूटी विभाग की तरफ से जो भी ऐसी ड्यूटी लगाई जाती है वह गलत ढंग से लगाई जाती है। इसका कारण मैं यह समझता हूं कि जो भी एक्साइज इन्स्पेक्टर्ज होते हैं वह किसानों के खेतों पर नहीं पहुंच पाते हैं जिसके कारण से सही सही तखमीना उसका नहीं लग पाता है। आपके पास जो तम्बाकू की खेती करने वालों के नाम पहले से मौजूद हैं उन्हीं पर वह ड्यूटी लगती चली जाती हैं और जिससे बहुत सी गलतियां होती जा रही हैं। इससे किसान बेचारे ऊब कर तम्बाकू की खेती करना खत्म करते जाते हैं। हमारे देश को तम्बाकू की खेती से काफी रेवेन्यू मिलती है जिससे बहुत से और भी काम होते हैं और हो सकते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि किसान आज एक्साइज ड्यूटी के डर की वजह से इस खेती को छोड़ते चले जाते हैं।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर कि तम्बाकू की खेती होती है। १९५३ और १९५४ और उसके पहले भी ऐसी बातें हुई हैं जिनके कारण तम्बाकू की खेती करने वाले किसान एक्साइज ड्यूटी अदा नहीं कर सके जिसके फलस्वरूप उनके बैल भैंस इत्यादि कुड़क कर लिए गए। इस तरह का सलूक तम्बाकू की खेती करने वालों के साथ होता है तो मैं आपका ध्यान उस तरफ दिलाना चाहता हूं कि जो आपके ऐक्साइज इन्स्पेक्टरों में जो क्षत्र बंटे हुए हैं और जितना क्षेत्र एक इन्स्पेक्टर के हिस्से आता है वह इतना विस्तृत और लम्बा होता है कि वह सारे क्षेत्र में पहुंच भी नहीं पाता और अपनी नौकरी को कायम रखने के लिए फर्जी तौर पर ही एक्साइज ड्यूटी किसानों के ऊपर लगा देता है। इसलिए इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। उन इन्स्पेक्टरों का क्षेत्र सीमित होना चाहिए थोड़ा होना चाहिए जिससे कि वह सारे क्षेत्र में जा सकें और सही सही एक्साइज ड्यूटी तम्बाकू के ऊपर लगा सकें।

इसके बाद मैं बुलन्दशहर के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। वहां पर भी ऐसे मौके आए हैं कि जहां पर फर्जी टैक्स लगाये गये हैं और जहां पर किसान खेती भी नहीं करते थे उन के ऊपर भी एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है। इस तरह की हालत वहां पर हो रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर ऐसी ही हालत रही तो तम्बाकू की ही खेती कम नहीं होगी बल्कि और भी इसी तरह की चीजें जिन पर कि एक्साइज ड्यूटी या टेक्सिस लगते हैं उन चीजों की जिस स्थान में खेती होती है उसमें भी कमी आ जाएगी। इससे हमारे देश को कितना नुकसान होगा इसका अनुमान आप ही कर सकते हैं।

इसके बाद मैं आपका ध्यान अपने जिले की उस फैक्टरी की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसको (अफीम की कोठी) या अफीम फैक्टरी कहते हैं। उस फैक्टरी का कारोबार अब एक तरह से करीब करीब समाप्त होता जा रहा है मुझे जहां तक मालूम है अब आप कच्ची अफीम दूसरे देशों में भेजने की इजाजत नहीं देते। मैं समझता हूं कि यह ठीक बात है और होना भी ऐसा चाहिए। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह फैक्टरी हमारे देश की बहुत बड़ी फैक्टरियों में से एक है और इससे देश को काफी लाभ होता है। जो भी चीज या दवा आप दूसरे देशों को भेजना चाहते हैं मैं अर्ज करता हूं कि वह चीज उस फैक्टरी के जरिये तैयार करवा के आप दूसरे देशों को भिजवा सकते हैं। यह एक अच्छी बात होगी। ऐसा करने से कच्ची अफीम जो कि आप दूसरे देशों में नहीं भेजाना चाहते वह भी नहीं भेजी जाएगी और देश को भी लाभ होगा।

अब मैं आपका ध्यान उस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें कि एक सदस्य महोदय ने कहा है कि अफीम की फैक्टरी को एक शूगर फैक्टरी में तबदील कर दिया जाये मैं इस मत से सहमत नहीं हूं कि इस अफीम की फैक्टरी को एक शूगर की फैक्टरी में तबदील कर दिया जाए। हां मैं इस का समर्थक हूं और आपसे निवेदन भी करना चाहता हूं कि आप यू.पी. में और खासकर कर यू.पी. के पूर्वी जिलों में यानी आजमगढ़, गाजीपुर और बलिया में जहां पर एक भी शूगर फैक्टरी नहीं है और जहां पर एक ऐसी फैक्टरी की बड़ी आवश्यकता भी है, एक फैक्टरी चालू करें। मुझे पता नहीं लेकिन मेरा खयाल है कि इस सम्बन्ध में यू. पी. की सरकार ने भी चर्चा की होगी और आपसे वहां पर एक फैक्टरी चालू करने के लिए कहा होगा। यदि उन्होंने आपसे नहीं कहा है तो मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इन जिलों में काफी मात्रा में गन्ना पैदा होता है लेकिन वहां पर आज तक एक फैक्टरी न होने के कारण गन्ने की जो खेती वहां होती है वह

[श्री आर० एन० सिंह]

कम होती जाती है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप आजमगढ़, गाज़ीपुर और बलिया में से किसी एक ऐसे क्षेत्र को चुनें कि जो इन तीनों 'जिलों के प्रपर्ज़ को सर्व कर सके और वहां पर गन्ने की खेती को बढ़ावा मिल सके।

क्यों कि मेरा समय खत्म हो गया है इसलिए मैं और ज्यादा न कहते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि जो बातें मैंने बताई हैं उन की तरफ आप ध्यान दें और किसानों पर जो गलत टैक्स लगाये जाते हैं कोई ऐसा प्रबन्ध करें जिस से कि यह गलत टैक्स न लगने पाएं।

इतना कह कर मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री पी० सुब्बा राव (नौरंगपुर): सामान्यतया आयकर सम्बन्धी प्रस्थापनाएं अच्छी हैं किन्तु विवाहित और अविवाहित व्यक्तियों में विभेद की नीति न्यायसंगत नहीं है। वास्तव में आयकर की दरें आश्रितों की संख्या पर आधारित होनी चाहिएं। कई बार ऐसा होता है कि विवाहित व्यक्ति पर कुछ अधिक ऐसा बोझ नहीं होता किन्तु अविवाहित व्यक्ति को कितने ही लोगों का पेट पालना पड़ता है।

आश्रितों की परिभाषा आसानी से की जा सकती है। मेरे विचार में सरकार का अभिप्राय जनसंख्या में वृद्धि करना तो नहीं है, क्योंकि वे तो परिवार आयोजन की बातें कर रहे हैं। हमारी अवस्था फ्रांस जैसी नहीं है जहां किसी समय अविवाहितों पर कर लगाया गया था और बड़े परिवारों की सहायता का उपबन्ध रखा गया था।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

मैं माननीय मंत्री की इस बात के लिए प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने मोटे और मध्यम प्रकार के कपड़े और सिलाई की मशीनों पर लगाए जाने वाले शुल्क में कमी करना मन्जूर कर लिया है। ऐसा करने में उन्हें घाटा तो होगा किन्तु इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए।

परोक्ष करों का भार भिन्न प्रदेशों तथा श्रेणियों के लोगों पर असमान रूप से पड़ रहा है कहा जा रहा है कि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय १९५०-५१ में बढ़ कर २६५ रुपये तक पहुंच गई है, किन्तु मूल्य-स्तर को ध्यान में रखा जाए तो यह राशि केवल ६४.२ रुपये रह जाती है। ६२ रुपये तो १९३१-३२ में भी थी अतः राष्ट्रीय आय में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है।

हमें यह भी याद रखना है कि पूर्वी प्रदेशों की प्रति व्यक्ति आय पश्चिमी और उत्तरी प्रदेशों की अपेक्षा कम है। यदि प्रति व्यक्ति का राजस्व से सापेक्ष दरिद्रता का अनुमान लगाने से हम इस परिणाम पर पहुंचेंगे कि उड़ीसा के लोगों पर बड़ा बोझ है।

चाय उद्योग की हालत के बारे में भी हम जानते हैं। ब्रिटेन ने हमारी चाय नहीं खरीदी। इससे कई बागान में चाय का उत्पादन बंद हो गया और कई श्रमिक बेरोजगार हो गये। उत्पादन शुल्क और निर्यात शुल्क को इस प्रकार विनियमित करना चाहिये कि भारतीय चाय अन्य देशों की चाय से कम मूल्य पर बिके।

केन्द्रीय उत्पादन नियमों का नियम २० व्यक्तिगत उपभोग के लिये रखे गये तम्बाकू को शुल्क से मुक्त करने की अनुज्ञा देता है और उसकी मात्रा निश्चित की गई है। भारत में तम्बाकू विलास वस्तु नहीं बल्कि एक आवश्यक वस्तु है। इसलिये मैं वित्त मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि नियमों को उदार बनाया जाये।

कृत्रिम रेशम और रेशम के उद्योग की तरह ऊनी कपड़े के उद्योग को भी मुक्त करना चाहिये क्योंकि हम ऊनी वस्तुओं में आत्मनिर्भर नहीं हैं।

मरम्मत की गई बैटरियों पर भी कर लगाने का प्रस्ताव किया गया है पर इस पर कर लगाना ऐसा ही होगा जैसे मरम्मत किये गये जूते बेचने के लिये किसी मोची पर कर लगाया जाय।

रंगलेप पर शुल्क का बहुत से कुटीर उद्योगों पर प्रभाव पड़ता है ।

मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान बुक पोस्ट में वृद्धि की ओर दिलाना चाहता हूं । ग्रामीण लोग बुक पोस्ट द्वारा प्राप्त की जाने वाली पुस्तकों पर निर्भर करते हैं और इसके बढ़ जाने से उन्होंने पुस्तकें मंगवाना बन्द कर दिया है क्योंकि कई बार बुक पोस्ट का खर्च पुस्तक के मूल्य से भी अधिक होता है । मेरे विचार में यह पुस्तक के मूल्य का २५ प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये । ग्रामों में साक्षरता का प्रचार करने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है ।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : माननीय सदस्यों ने जो बातें कही हैं मैं उनका मांग अनुसार उत्तर दूंगा और उन बातों का उत्तर देने का भी प्रयत्न करूंगा जो सामान्य चर्चा के दौरान में कही गई और जिनका उत्तर समय कम होने के कारण न दिया जा सका था ।

कुछ माननीय सदस्यों ने वित्त विधेयक के बारे में पहले ही भाषण दे दिये हैं और मेरा विचार है कि यदि मैं उनका उत्तर इस समय दूं जब वित्त विधेयक पर चर्चा होगी तो यह अधिक सुविधाजनक होगा ।

पहले मैं मांग सं० २५ को लेता हूं । श्री बसु ने विदेशी पूंजी और विदेशी विनियोग के बारे में बातें कही हैं जिन्होंने मुझे उलझन में डाल दिया है । उन्होंने प्रथम बार यह भावना व्यक्त नहीं की है जो कि, मुझे विश्वास है, विदेशी विनियोग के बारे में विकृत विचारों के कारण उत्पन्न होती है । यह विचारधारा उन विचारों के अनुकूल नहीं है जिन्हें, कुछ भिन्न प्रकार के लोकतन्त्र वाले देशों के अतिरिक्त शेष समस्त संसार ने स्वीकार किया है । उनका यह सुझाव था कि विदेशी विनियोग पर जो ३० या ४० करोड़ रुपया लाभांश और लाभ होता है वह अनिवार्य रूप से देश में ही लगाया जाये । ऐसा प्रतीत होता है कि उनका विचार है कि बाद में लाभ और पूंजी दोनों को ही जब्त कर लिया जायेगा अन्यथा वह देश में विदेशी पूंजी बढ़ाने का समर्थन कर रहे हैं । मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा करने से हमें क्या लाभ होगा ।

हमने और दूसरे देशों ने देखा है कि विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिये सुविधायें दी जानी चाहियें । इसके विपरीत यदि प्रतिबन्ध लगा दिये जायें तो आगे के लिये विदेशी विनियोग की आशा नहीं रहती और देश में जो पूंजी पहले लगी हुई है उसे वापस लेने के प्रयत्न भी आरम्भ हो जायेंगे । इसलिये मेरा विचार है कि जिस बात का उन्होंने समर्थन किया है बिलकुल गलत है ।

फिर उन्होंने सुझाव दिया है कि हमें अपने देश में विदेशी विनियोग और आस्तियों का अर्जन करने के लिये पाऊंड पावना का प्रयोग करना चाहिये क्योंकि लंदन में पाऊंड पावना पर बहुत कम ब्याज मिलता है जबकि विदेशी विनियोग पर लाभ अथवा लाभांश बड़ी अधिक दर से दिया जाता है । ऐसे मामलों में जहां चलार्थ को स्थिर रखने के लिये देश से बाहर पाऊंड पावना रखा गया हो वहां ऐसी रूढ़ि ही बन जाती है क्योंकि इसे पाऊंड पावना के विनियोग का विनियमन करने के लिये विधि के कुछ उपबन्ध हैं । अपने विधान के अन्तर्गत हम चलार्थ की स्थिरता के लिये रखे गये धन का उन प्रतिभूतियों में विनियोग नहीं कर सकते जिनका भुगतान दस वर्ष से अधिक के पश्चात किया जाना हो और इस कारण समय पर प्राप्य ब्याज की दर स्वाभाविक रूप से सीमित हो जाती है । गत कुछ वर्षों में प्राप्ति के बढ़ जाने का कारण यह है कि ब्रिटेन में ब्याज की दर विशेषकर अल्पकालीन ब्याज की दरें और राजकोष पत्रों की दर बढ़ गई है । क्योंकि बहुत पहले हमारे पाऊंड पावना का काफी अंश बैंकिंग विभाग में रुका रहा और वह चलार्थ की स्थिरता के लिये नहीं था, इसलिये हमें उसका विनियोग इंगलैंड के राजकोष पत्रों में करना पड़ा जिस पर हमें १९४७ और १९४८ में

[श्री सी० डी० देशमुख]

१/२ प्रतिशत की प्राप्ति हुई। उसके पश्चात यह काफी बढ़ गया है इसीलिये हमारे पाऊंड पावना पर २ प्रतिशत से अधिक प्राप्ति हो रही है जैसा कि स्वयं श्री के० के० बसु ने स्वीकार किया है। हमारे पाऊंड पावना की स्थिति इतनी सन्तोषजनक नहीं है जितनी कि माननीय सदस्य समझते हैं क्योंकि हमारे बैंक नोटों का परिचालन १०० करोड़ रुपया या १३५ करोड़ रुपया प्रति वर्ष बढ़ रहा है। परिचालन के ४० प्रतिशत के लिये सोना अथवा विदेशी विनिमय रखना पड़ता है इसलिये अपेक्षित पाऊंड पावना भी बढ़ना चाहिये। इसी कारण खर्च किया जा सकने वाला अतिरिक्त धन कम होता जा रहा है। इस समय हमारा खर्च किया जा सकने वाला धन इतना ही है जिससे हम अपने व्यापारिक और वाणिज्य सौदे कर सकते हैं और उन विशेष वचनों को पूरा कर सकते हैं जो हमने अपने पाऊंड पावना के आधार पर किये हैं। इसलिये हम अपने पाऊंड पावना को विदेशी आस्तियों का अर्जन करने के लिये खर्च नहीं कर सकते।

इस विषय में श्री के० पी० त्रिपाठी द्वारा स्टर्लिंग पूंजी वाले चाय समवाय में अंशों के अर्जन के बारे में दिये गये सुझाव की ओर निर्देश करता हूं। इस बारे में मुझे कई माननीय सदस्य मिले। उनका विचार है कि लंदन बाजार में अंश खरीद कर इन बागान को अर्जित करना भारत में आस्तियों का अर्जन करने की अपेक्षा सस्ता रहेगा। उन्होंने मुझे कुछ उदाहरण बताये जहां वे समझते थे कि भारत में खरीदारों द्वारा अत्यधिक मूल्य दिया गया। इस समय स्थिति यह है कि इन रुपयों के रूप में होन वाले हस्तातरणों पर हमारा कोई प्रत्यक्ष नियन्त्रण नहीं है और संभव है कि इस दृष्टिकोण से भारत में हुए सौदे पर आधारित मूल्य और लंदन के अंश-मूल्य में कोई अन्तर हो पर मेरा विश्वास है कि यह अवस्था स्थायी नहीं है और जब भारत में रहने वाले खरीदार स्टर्लिंग पूंजी वाले समवाय को अपने नियन्त्रण में लाने के लिये अंश प्राप्त करने लगेंगे तो लंदन बाजार के मूल्य बढ़ जायेंगें, जैसे कि एक मूल्य और मामले में भी हुआ। और लंदन में स्टर्लिंग पूंजी वाले समवाय यदि भारतीयों के हाथ में नियन्त्रण जाने को रोकना चाहें तो उनके पास इसके कई उपाय हैं। अपने विदेश विनिमय अवशेषों की हालत को देखते हुए मुझे यह उचित दिखाई देता है कि भारत में किये जाने वाले सौदों के अधिक मूल्य न देकर इनका संरक्षण किया जाये। इस मामले में बड़ी कठिनाइयां हैं। हमें इंगलैंड के साथ पाऊंड पावना करार की शर्तों पर भी विचार करना पड़ता है परन्तु हम इस मामले की जांच कर रहे हैं और सम्भव है कि हम भारत में होने वाले बागानों के हस्तान्तरणों के सम्बन्ध में दिए जाने वाले अत्यधिक मूल्यों के कारण विदेशी विनियम के अधिक व्यय को रोकने में सफल होंगे।

अब मैं पूंजी निर्गम नियन्त्रण की ओर आता हूं। श्री टी० एस० ए० चेटियार जानना चाहते थे कि किन सिधान्तों के आधार पर आवेदन स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किये गये हैं। मैं उन्हें और सभा को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि आवेदन पत्रों को स्वीकृत करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने का प्रश्न स्वेच्छाचारी नहीं है। यह किसी एक व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। प्रत्येक मामले का आवेदन पत्र भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालय को भेजा जाता है और मंत्रालय द्वारा पूरे सोच विचार के बाद राय देने पर अन्तिम निर्णय किया जाता है। सुस्थित सिद्धान्तों और निर्णयों के अनुसार जिनमें से अत्यन्त महत्वपूर्ण यह हैं कि क्या प्रस्तावित कार्य की कोई आवश्यकता है अथवा इसका कोई पहलू समाज के लिये अहितकर तो नहीं,

इत्यादि एक समिति सरकारी स्तर पर विषय का परीक्षण करती है। ऐसे विषयों पर सरकार को मंत्रणा देने के लिये एक मंत्रणा समिति भी है जिसमें दो संसद सदस्य और कई गैर-सरकारी सदस्य हैं जो अधिकतर व्यापरी वर्ग के हैं। यदि किसी मामले में व्यापारी वर्ग अनुभव करे कि सरकार ने किसी मामले में स्वेच्छाचारी ढंग से निर्णय किया है तो समिति इस विषय को लेकर सिद्धान्तों पर विस्तृत रूप से चर्चा करगी। इसलिये इस विषय में किसी सदस्य को भ्रान्ति नहीं रहनी चाहिये। मेरा विचार है कि दिये गये और स्वीकृत आवेदन पत्रों के आंकड़े जानकर सभा को बड़ा सन्तोष होगा १९५२ में जो कि एक असाधारण वर्ष था कुल १५२.३ करोड़ रुपये के लिये आवेदन पत्र दिये गये पर इन में दो आवेदन पत्र, जिनमें से प्रत्येक ५० करोड़ रूपये के लिये था, अस्वीकृत किये गये। उनको निकाल दें तो साधारण आंकड़े ५२.३ करोड़ रुपये होंगे जिनमें से ३९.८ करोड़ अर्थात ७५ प्रतिशत के लिये स्वीकृति दी गई। १९५३ में ८९.९ करोड़ रूपया मांगा गया था जिसमें से ८१.४ करोड़ रुपये अर्थात ९०.६ प्रतिशत के लिये स्वीकृति दी गई। १९५४ में ११७ करोड़ रुपये मांगे गये और उसमें से ११०.६ करोड़ रुपये अर्थात ९४.४ प्रतिशत के लिए स्वीकृति दी गई थी। इससे स्वेच्छाचार का कोई प्रमाण नहीं मिलता उसके प्रतिकूल चाहे कुछ कहा जा सके परन्तु वह आरोप भी परीक्षण करने पर निराधार पाया जायेगा मैं यह भी बता दूं कि निम्नतम सीमा जिसक लिये सम्मति की आवश्यकता नहीं है एक लाख से बढ़ा कर ५ लाख कर दी गई है।

फिर जी० डी० सोमानी के बोनस अंशों को जारी करने के लिये आवेदन पत्रों का निबटारा करने में विलम्ब के बारे में शिकायत की है। माननीय सदस्य स्वयं अनुभव करेंगे कि यह आवेदन पत्र इस लिये पड़े रहे कि कर जांच आयोग के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही थी क्यों कि एक प्रस्ताव किया गया था कि इन बोनस अंशों के निर्गमन पर कुछ कर लगाया जाये। यह याद रखना चाहिये कि यह बोनस रक्षित निधियों में से बनाये जाते हैं जिस पर सरकार को कोई कर नहीं दिया गया होता है अतः इस बात पर विचार करना होता है कि इस पूंजी पर किस प्रकम पर कर लगाय जाये जोकि उस लाभांश से उत्पन्न हुई जिस पर कोई कर प्राप्त नहीं किया गया है। अब वह प्रतिवेदन मिल चुका है परन्तु, जैसे कि मैं ने अपने आयव्ययक भाषण में बताया, इस से सम्बन्ध रखने वाली कई बातों पर अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है। यह समस्या उतनी सरल नहीं है और इस पर निर्णय करने में कुछ समय लगेगा। परन्तु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन पत्र पर शीघ्र निर्णय प्राप्त करना चाहता है तो उसे केवल अस्वीकृत ही किया जा सकता है। परन्तु मेरी समझ में नहीं आता कि व्यापार तथा उद्योग के बारे में यह निर्णय न करने से क्या हानि होती है `ज कि रक्षित धन पहले ही विद्यमान् है। इसे केवल दूसरा नाम ही दिया जायेगा। रक्षित धन को एक प्रकार की पूंजी में बदला जायेगा इस रक्षित धन का इस समय भी वही प्रयोग किया जा रहा है जो इसे पूंजी में सम्मिलित करने के पश्चात किया जायेगा।

फिर श्री जी० डी० सोमानी ने यह शिकायत की है कि सरकार ने कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण विषयों पर घोषणाएं की थीं परन्तु उन्हें कार्यान्वित करने में बड़ा विलम्ब किया गया है और उदाहरण के तौर पर उन्होंने इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के बारे में पिछले सत्र में की गई घोषणा का उल्लेख किया है।

जहां तक उनकी आपत्ति का सम्बन्ध है, विधि की विडम्बना समझिये कि आज ही इस

[श्री सी० डी० देशमुख]

विषय के सम्बन्ध में एक विधेयक इस सभा में पुरःस्थापित किया गया है ।

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : गत वर्ष से अभिप्राय है २० दिसम्बर १९५४ ।

श्री सी० डी० देशमुख : मेरे सहयोगी ने कहा है कि गत वर्ष से उनका अभिप्राय है २० दिसम्बर, १९५४ । स्पष्ट है कि श्री सोमानी किसी काम में विलम्ब नहीं होने देते । किन्तु मैं सदन को बता सकता हूं कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण मामलों में सरकार को बहुत सा काम अन्य विभिन्न प्राधिकारियों के परामर्श से करना पड़ता है । और यह विशेषकर राज्य सम्बद्ध बैंकों के प्रश्न पर लागू होता है माननीय सदस्य यह देखेंगे कि जो विधेयक आज प्रातः पुरःस्थापित किया गया है, इन पर लागू नहीं होता ।

कुछ सदस्य बीमा कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में थे और कुछ विपक्ष में । जैसा कि मैं ने पहले कहा था हम इस प्रश्न पर विचार कर रहे हे और राय कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करने का कोई लाभ नहीं होगा ।

ये शिकायतें भी की गई हैं कि सरकार ने यह बताने में देर की है कि श्राफ समिति रिपोर्टों के बारे में उसकी क्या कार्यवाही करने का विचार है । यह मामला भी कई बार स्पष्ट किया गया है और मैं यह फिर बताना चाहूंगा कि रिर्पोट सरकार को नहीं, भारत के रक्षित बैंक को प्रस्तुत की गई थी । समिति की ६६ सिफारिशों में से सरकार द्वारा केवल २६ के सम्बन्ध में कार्यवाही करने की आवश्यकता है । १७ सिफारिशों के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा चुकी है और इन से सब से महत्वपूर्ण सिफारिशें संख्या ५९; ६३ और ६४ हैं। सिफारिश सख्या ५८ छोटे उद्योगों के लिये विषय विकास निगम के बारे में है और ६३ और ६४ दो औद्योगिक विकास निगमों के बारे में हैं। जैसा कि सदन को ज्ञात है, ये सिफारिशें क्रियान्वित कर दी गई हैं और मुझे इस शिकायत के विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं ।

श्री के० के० बसु और श्री पारिख ने सामान्य चर्चा में एक शिकायत की थी कि भारत का रक्षित बैंक एपैक्स बैंकों को रियायती दरों पर जो ऋण देता है, उसकी सुविधा अन्तिम ऋण लेने वालों को नहीं पहुंचती । एक तरह से वह ठीक है, क्योंकि रक्षित बैंक १ ½ प्रतिशत की दर से ऋण देता है किन्तु अन्तिम ऋण लेने वालों को कई बार ६ ¼ प्रतिशत की दर से रुपया मिलता है, यह दर उचित समझी जाती है क्योंकि बीच की संस्थाओं के प्रशासनात्मक व्यय को भी ध्यान में रखा जाता है ।

श्री के० के० बसु (डायमंड हार्बर): इतना अधिक ?

श्री सी० डी० देशमुख: १ १।२ प्रतिशत प्रांतीय बैंक बढ़ा देता है, और डेढ़ प्रतिशत जिला बैंक बढ़ा देता है और एक प्रतिशत संभवतः संस्था बढ़ा देती है ।

श्री के० के० बसु: कई मामलों में यह ९ प्रतिशत होती है ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं ने कहा है कि कई स्थानों पर यह ६ ¼ प्रतिशत से भी अधिक होती है तकावी ऋणों की दर भी ६ ¼ प्रतिशत है। इस का मुख्य कारण यह है कि सहकारी बैंकों के वित्त देने के जो तरीके हैं, यह उन में से केवल एक है और अन्त में जो दरें निश्चित होती हैं, उन पर रक्षित बैंक की सीमान्त सहायता का प्रभाव नहीं पड़ता किन्तु अब जबकि हमारे पास एक ऐसी योजना

है जिसकी ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण ने सिफारिश की है, यह आशा की जा सकती है कि रक्षित बैंक द्वारा दी जाने वाली सविधाओं और सरकारी ढांचे के पुनर्गठन के साथ, रक्षित बैंक इस सिद्धांत को अधिक सफलता से लागू कर सकेगा कि रियायती दरों की सुविधा का लाभ निचले ऋण लेने वाले उठा सकें ।

मेरे विचार में इस अवसर पर मेरे लिए यह बताना उचित होगा कि ग्रामीण ऋण कैसे उपलब्ध कराये जायेंगे । ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण रिपोर्ट के संक्षेप की प्रतियां सदस्यों को पढ़ने के लिये उपलब्ध कराई गई हैं । मुख्य सिफारिशें ये हैं कि प्रस्तावित राज्य बैंक की ४०० शाखाएं खोली जायेंगी । ये भी सिफारिश की गई है कि सब राज्यों में सहकारी ढांचे का पूर्ण रूप से पुनर्गठन किया जाये और दीर्घकालीन ऋणों के लिए एपैक्स और बन्धक बैंक स्थापित किये जायें । एक बहुत महत्वपूर्ण सिफारिश केन्द्रीय स्थानों पर राज्यों द्वारा सहकारी संस्थाओं में साझेदारी के बारे में है । अत: यह आशा की जाती है कि इसके फलस्वरूप सरकारें सहकारी आंदोलन पर अधिक प्रभावोत्पादक रूप से नियन्त्रण कर सकेंगी ।

फिर यह सिफ़ारिशें की गई है कि कृषकों को खड़ी फसलों के एवज़ ऋण दिये जायें, जैसा कि बम्बई में सफलता पूर्वक किया गया है ।

अब तक भारत का रक्षित बैंक लगभग १५ करोड़ रुपये का अल्प कालीन ऋण देता रहा है । आशा है कि यह राशि बढ़ा दी जायगी । दो और सिफ़ारिशें गोदाम बनाने के बारे में और सरकार द्वारा दो निधियां जारी करने के बारे में है । एक निधि को राष्ट्रीय सहकारी निधि और दूसरी को राष्ट्रीय गोदाम विकास निधि कहा जायेगा । भारत के रक्षित बैंक और राज्यों द्वारा निधियां जारी करने के लिए भारी सिफ़ारिश की गई है । में सभा को बताना चाहता हूं कि इस समय ग्रामीण ऋण विशेषज्ञ समिति की सिफ़ारिशों पर विचार करने के लिए राज्यों के उन मंत्रियों, जो कि सहकारी संस्थाओं के प्रभारी हैं, खाद्य तथा कृषि मंत्रियों, रक्षित बैंक और योजना आयोग के उपाध्यक्ष का एक सम्मेलन शुरू है ।

श्री टी० के० चौधरी ने पूछा है कि विशेष पुनर्गठन एकक की कितनी सिफारिशें क्रियान्वित की गई हैं । उन्होंने यह भी पूछा था कि वे कौन सी व्यावहारिक कठिनाइयां हैं जिनके कारण ३.४८ लाख रुपये की बचत नहीं की जा सकी । यह व्यावहारिक कठिनाइयां प्रशासनात्मक मंत्रालयों की कठिनाइयां हैं, जिन्हें विकास के सम्बन्ध में अधिक काम करना पड़ता है । मितव्ययता के लिए उनकी मंजूरी लेने के लिए हर संभव प्रयत्न किया जाता है, किन्तु मतभेद होने की अवस्था में हमें प्रशासनात्मक मंत्रालय की राय को महत्व देना पड़ता है । श्री मोहन लाल सक्सेना ने भी इस बात की ओर निर्देश किया है और कहा है कि हम मितव्ययता समिति स्थापित करने में संकोच कर रहे हैं । राज्य सभा में मैंने जो बातें कहीं थीं, उन्हें ठीक समझा नहीं गया । यह मामला—मेरा अभिप्राय करारोपण जांच आयोग की सिफारिशों से है—अभी विचाराधीन है किन्तु मैं समझता हूं कि जांच का परिणाम यह निकलेगा कि निचले स्तरों पर कर्मचारियों की संख्या फालतू है । मेरा यह अभिप्राय नहीं था कि सरकार ने निर्णय कर लिया है कि इस मामले के सम्बन्ध में कुछ न किया जाये ।

श्री टी० के० चौधरी (बरहामपुर) : स्वीकृत सिफारिशों में से कितनी क्रियान्वित कर दी गई ह ?

श्री सी० डी० देशमुख : मैं माननीय सदस्य को आंकड़े दे सकता हूं—१३३.५५ लाख रुपये में से स्वीकृति ५६.९५ लाख रुपये की है ।

[श्री सी० डी० देशमुख]

अब मैं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, आय कर आदि के प्रश्न को लेता हूं। श्री सोमानी ने नमूने हटाने पर प्रतिबन्धों के बारे में शिकायत की है। यह मामला विचाराधीन है। उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखते हुए हम उन्हें अधिक नमूने हटाने की अनुमति दे रहे हैं। और इस प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है कि उन्हें अधिक बार नमूने हटाने दिया जाये। जहां तक देश के सामान्य आर्थिक हितों का सम्बन्ध है, यह मामला बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं है।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग में भ्रष्टाचार के बारे में पहले की तरह बहुत सी शिकायतें की गई हैं और एक उत्पाद निरीक्षक के मामले की ओर विशेष ध्यान दिलाया गया है। शिकायत प्राप्त होने पर उसे स्थानांतरित कर दिया गया था और उसके आचरण के बारे में विस्तृत जांच की जा रही है।

तम्बाकू उत्पादन शुल्क के बारे में बहुत सी शिकायतें हैं। एक माननीय सदस्य ने हुक्का तम्बाकू के शुल्क के बारे में शिकायत की थी। उन की जानकारी ठीक नहीं मालूम होती। उन्होंने कहा है कि तम्बाकू की कृषि कुछ स्थानों पर विशेषतया पूर्वी उत्तर प्रदेश के दो तीन जिलों में कम हो गई है। तम्बाकू की कृषि में अत्यधिक वृद्धि के कारण हमें तम्बाकू उत्पादन के मामले में संकट का सामना करना पड़ा है और इसी कारण हमें तम्बाकू के उत्पादकों को दो वर्ष की रियायत देनी पड़ी थी। सामान्य स्थिति वह नहीं जोकि माननीय सदस्य ने बताई है।

यह शुल्क जो कि ६ आने प्रति पौंड है इतना कम है कि इसे अधिक कम किया जाना उचित नहीं होगा। फिर यह शिकायत थी कि हम पौंड शब्द का प्रयोग करते हैं। हमने 'मन' शब्द का प्रयोग किया है किन्तु इसे ८२ पौंड के बराबर माना गया है। जब तक कि हम नाप और तोल का अपना मान स्थापित न कर लें जैसा कि सदन को ज्ञान है, यह सरकार के विचाराधीन है, तब तक हम पौंड का प्रयोग छोड़ नहीं सकते।

कुछ शिकायतें ये थीं कि निजी उपभोग के लिए एक जिले को कम दिया जाता है और दूसरे को अधिक। यह तो विभिन्न जिलों के उपभोग की आदतों पर निर्भर है।

शिकायतें की गई हैं कि कर निर्धारण फसल के इकट्ठा करने से पहले कर लिया जाता है। माननीय सदस्य की धारणा गलत है। किसी क्षेत्र के लिए लाईसेंस देने के लिए और उत्पाद पर निर्धारण की तीन अवस्थाएं हैं। लाईसेंस देने के समय. तम्बाकू के उत्पाद का मौटे तौर पर अनुमान लगा लिया जाता है। दूसरी अवस्था में, उत्पादक फसल की कटाई के बाद विवरण देता है। तीसरी अवस्था वह है जब फसल को वस्तुतः कर निर्धारण के लिए तोला जाता है। कर निर्धारण अधिकारी इस तीसरी अवस्था को ध्यान में रखते हैं जांच से ज्ञात हुआ है कि इस प्रक्रिया का ठीक ठीक अनुसरण किया गया। वह प्रलेख, जिन्हें सितम्बर १९५४ में जारी किया गया बताया गया है दिसम्बर १९५४ में काटी जाने वाली फसल के बारे में नहीं है बल्कि मार्च-अप्रैल १९५४ में काटी गई फसल के बारे में है।

आय कर के बारे में, परेशानी आदि की सामान्य शिकायतों को दूर करना बहुत कठिन है। हमें विस्तृत जानकारी दी जाये, तो हम सुधार करने के लिये प्रयत्न करेंगे। हम यह नहीं कहते कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि यह एक ऐसा देश है जिसमें आय-कर अधिकारियों को लोगों की चालाकी का मुकाबला करना पड़ता है।

सहायक आयुक्त न्यायिक पदाधिकारी क्यों नहीं हैं इस पर इतनी बार चर्चा हो चुकी

है कि मेरे लिए इसका फिर उत्तर देना व्यर्थ होगा। अविभक्त हिन्दू परिवार के सम्बन्ध में आपने जो कुछ कहा उस पर भी यही बात लागू होती है। आपका यह कथन बिल्कुल ठीक है कि आयोग ने हिन्दू कोड विधेयक के भविष्य की ओर संकेत किया था पर आप देखेंगे कि पृष्ठ ११८ पर कण्डिका ४८ में आयोग ने कहा है "हम इस बात से भी प्रभावित हैं....." इसका अर्थ यह है कि वह अन्य बातों से भी प्रभावित हैं। हम लोगों ने आयोग की राय मानने का निश्चय कर लिया है।

जहां तक अन्य मामलों का सम्बन्ध है, जिनके सम्बन्ध में शिकायतें होती रही हैं, हम कण्डिका ४८ में दी गई राय का पालन करेंगे और देखगे कि हिन्दू कोड विधेयक का क्या होता है। इस प्रकार मामले के समाप्त होने के पूर्व आपको हमें सन्तुष्ट करने का प्रयत्न करने के लिये एक और अवसर मिलेगा जैसा कि आप ने स्वयं सिफारिश की है।

फिर बकाया राशियों के सम्बन्ध में भी कुछ शिकायतें थीं। अधिकांश बकाया राशियां अपील आदि के कारण हैं। अपीलों या विवादों के कारण १६१ करोड़ रुपयों में से ९४.५ करोड़ रुपये रुके पड़े हैं। १८ करोड़ रुपये का कर 'संरक्षक निर्धारणों' के अधीन प्राप्त है जो दोहरे आयकर सहायता दावों के तय हो जाने के बाद साफ हो जायेगा; २३ करोड़ रुपये अप्राप्य हैं क्योंकि यह ऐसे लोगों पर शेष हैं जो या तो भारत से बाहर चले गये हैं या जिनकी भारत में कोई सम्पत्ति नहीं है। इस प्रकार अविलम्ब संग्रह करने योग्य राशि २५ करोड़ रुपये है और कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार की प्रार्थना पर उसके संग्रह के लिये अतिरिक्त समाहर्त्ताओं और अन्य आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी है। मैं देखता हूं कि समय समाप्त हो गया है.....

सभापति महोदय: यदि माननीय मंत्री अपना भाषण जारी रखना चाहें तो वह ऐसा कर सकते हैं।

श्री सी० डी० देशमुख: मैं एक घंटे और भाषण देता पर मैं नियम का पालन करूंगा। दूसरा विधेयक भी मेरा ही है।

श्री साधन गुप्त के वक्तव्य के सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहता हूं। उन्होंने कई बातें कही हैं। तेल शोधनालय के बारे में, सभी बातों को फिर से दोहराना पड़ेगा। इसी प्रकार औद्योगिक उधार तथा विनियोग निगम के बारे में भी है क्योंकि अनुपूरक मांग के पारित होने के समय इस मामले पर बहस हो चुकी है। पर श्री साधन गुप्त ने औद्योगिक वित्त निगम के बारे में कहा कि कुछ भी कार्यवाही नहीं की गई है। हम कार्यवाही कर चुके हैं और औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम का संशोधन करने के लिये एक विधेयक भी पेश किया जा चुका है। प्रत्याशा में, गत-वर्ष से ही एक सरकारी सभापति काम कर रहा है। सुचेता कृपालानी प्रतिवेदन में पक्षपात का आरोप स्पष्ट नहीं है। इस मामले के सम्बन्ध में हमारे विचारों का उल्लेख एक संकल्प में किया गया था जो गत वर्ष इस विषय और प्रतिवेदन की कुछ सिफारिशों के सम्बन्ध में जारी किया गया था।

अन्त में, अभी हाल के लेखापरीक्षण प्रतिवेदन के बारे में, मैं समझता हूं, कि यह मामला अभी लोक लेखा समिति के परीक्षणाधीन है। अतः लेखा परीक्षण प्रतिवेदन के सम्बन्ध में कुछ कहना समय से पूर्व की बात होगी। हमें लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को मानना पड़ेगा।

श्री बंसल (झज्जर रेवाड़ी) : क्या इस प्रतिवेदन के आने के पूर्व विधेयक को आगे बढ़ाया जायेगा या स्थगित कर दिया जायेगा ?

श्री सी० डी० देशमुख : यह बात सभा के कार्य की व्यवस्था पर निर्भर है और निश्चय कार्य मंत्रणा समिति पर निर्भर है। हमें आशा है कि कुछ समय बाद हम इस विधेयक को आगे बढ़ायेंगे ।

श्री मोहन लाल सक्सेना : क्या सरकार ने निगम को इस आशय का कोई निदेश भेजा था कि वह ऐसे समवायों के नामों की एक सूची प्रकाशित करे जिनमें निदेशक भी अंशधारी हैं, परन्तु निगम ने उस निदेश का पालन करने से मना कर दिया ? इसलिये, मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा नहीं करेंगे ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं नहीं समझता कि लेखा परीक्षण प्रतिवेदन के कुछ भागों पर पहले से ही कार्यवाही करना क्यों आवश्यक है। हम लोक लेखा समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा कर सकते हैं ।

माननीय सदस्य ने मकानों के बारे में भी कुछ कहा था। अब मुख्य प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण विनियोजन में से कितना मकानों में लगाया जाय क्योंकि मकानों का मामला योजना का एक भाग है। यह कहना व्यर्थ है कि मकानों का बनवाना बेरोजगारी दूर करने का एक अच्छा उपाय है। इससे अच्छे अनेक उपाय हो सकते हैं। पर हमें सदा ध्यान रखना पड़ेगा कि उत्पादन और रोजगार के बीच एक उचित संतुलन बनाया रखा जाय। दूसरे शब्दों में, हम अपने सामने उत्पादन या राष्ट्रीय आय के बढ़ाने का एक लक्ष्य निश्चित करते हैं और इसका लक्ष्य बेरोज़गारी को हटाने या समाप्त करने का। सबसे अच्छी योजना वही है जिसके द्वारा हम दोनों ओर साथ साथ प्रगति कर सकें। अतः एक बार हम निश्चय करते हैं कि मकानों का एक विशेष स्थान है तो माननीय सदस्य की अन्य सिफारिशों पर विचार किया जाय कि क्या भूमि का मूल्य कम किया जाय या नहीं। पर उन्होंने कहा है कि बिना क्रम के किसी को कोई स्थान न दिया जाय क्योंकि बेरोजगारी को दूर करने का यही सबसे अच्छा उपाय है ।

उन्होंने गन्दी बस्तियों की सफाई के बारे में भी कहा है। कठिनाई यह है कि यह केवल पूंजी लगाने का प्रश्न नहीं है बल्कि आर्थिक सहायता का प्रश्न है क्योंकि मकानों की व्यवस्था करना एक ऐसा मामला है जिसमें समाज के गरीब लोगों से पुस्त-किराया वसूल नहीं किया जा सकता अतः आर्थिक सहायता का प्रश्न आने पर हमें सावधानीपूर्वक विचार करना है कि केन्द्रीय राजस्व आयव्ययक कुल कितना भार उठा सकता है। सभा को विदित है कि हमारे राजस्व आयव्ययक में लगभग १५ करोड़ का घाटा होने वाला है और संभवतः आगामी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय राजस्व से बहुत बड़ी बड़ी रकमें विभिन्न विभागों को दी जायेंगी। अतः इन समस्याओं के अतिरिक्त भी मकानों की समस्या को सामान्यतया या गन्दी बस्तियों को हटाने के प्रश्न को विशेषतया नहीं लिया जा सकता ।

सभापति महोदय : अब मैं कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखूंगा ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुये ।

सभापति महोदय द्वारा मांग संख्या २५ से ४० तक तथा ११४ से १२० तक मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं ।

[वर्ष १९५५–५६ के लिए लोक–सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों की मांगों के प्रस्ताव नीचे दिये जाते हैं— संपादक, संसदीय प्रकाशन]

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
२५.	वित्त मंत्रालय	१,६९,६८,०००	रुपये
२६.	सीमाशुल्क	३,४९,८९,०००	रुपये
२७.	संघ उत्पादन शुल्क	६,१५,९५,०००	रुपये
२८.	निगमकर तथा सम्पदा शुल्क सहित आय पर कर	३,६३,७०,०००	रुपये
२९.	अफीम	३१,७१,०००	रुपये
३०.	स्टाम्प	१,२०,९२,०००	रुपये
३१.	अभिकरण-विषयों के प्रशासन तथा राजकोषों के प्रबन्ध के लिए अन्य सरकारों, विभागों आदि को भुगतान	१०,१४,०००	रुपये
३२.	लेखा परीक्षा	७,२६,१७,०००	रुपये
३३.	चल, मुद्रा	२,१५,३९,०००	रुपये
३४.	टकसाल	९१,८९,०००	रुपये
३५.	प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें	२५,०५,०००	रुपये
३६.	वार्धक्य भत्ते तथा निवृत्ति-वेतन	२,९२,५२,०००	रुपये
३७.	वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	१९,२८,५४,०००	रुपये
३८.	राज्यों को सहायक अनुदान	१५,६१,५५,०००	रुपये
३९.	संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	३,२५,०००	रुपये
४०.	विभाजनपूर्व के भुगतान	१,१७,१०,०००	रुपये
११४.	भारत सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजी व्यय	३,२१,०००	रुपये
११५.	चलमुद्रा पर पूंजी व्यय	७,१९,४०,०००	रुपये
११६.	टकसालों पर पूंजी व्यय	४६,११,०००	रुपये
११७.	निवृत्ति वेतनों का राशिकृत मूल्य	६८,०७,०००	रुपये
११८.	छँटनी किये गये कर्मचारियों को भुगतान	४२,०००	रुपये
११९.	वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	३९,९०,३०,०००	रुपये
१२०.	केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम धन	५९,६२,१४,०००	रुपये

वित्त आयोग (विविध उपबंध) संशोधन विधेयक

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह): मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि वित्त आयोग (विविध उपबन्ध) अधिनियम, १९५१ का संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाय।"

वर्तमान वित्त आयोग (विविध उपबन्ध) अधिनियम की धारा ८ के अधीन आयोग को यह अधिकार है कि वह अपने कार्य के लिए कोई भी आवश्यक जानकारी किसी भी व्यक्ति से प्राप्त कर सकता है। उस धारा के अधीन उन्होंने आयकर आयुक्तों से कुछ करदाताओं के करों के बारे में कुछ जानकारी मांगी थी। आयुक्तों ने यह जानकारी दी। फिर भी एक संदेह प्रकट किया गया कि धारा ५४ (२), गोपनीयता खण्ड को ध्यान में रखते हुये क्या आय कर आयुक्तों को इस सूचना को प्रकट करने का अधिकार था। उसी संदेह को दूर करने के लिए यह विधेयक पेश किया गया है और धारा ८ की उप धारा (२) के अन्त में निम्न अंश जोड़ने का विचार है।

"और भारतीय आयकर अधिनियम १९२२ की धारा ५४ की उपधारा (२) में अथवा उस समय लागू किसी भी अन्य विधि में आये हुये उपबन्धों के होते हुये भी इस प्रकार अपेक्षित कोई भी व्यक्ति वैधानिक दृष्टि से इस बात के लिए बाध्य समझा जायेगा कि वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा १७६ में दिये गये समय के अन्दर मांगी गयी जानकारी उपस्थित करे।"

[श्री एम० सी० शाह]

संदेह दूर करने के लिए यही एक समर्थ विधेयक है। मुझे आशा है सभा इस पर विचार करेगी।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि वित्त आयोग (विविध उपबन्ध) अधिनियम, १९५१ को संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १ और २, शीर्षक तथा अधिनियम सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री एम० सी० शाह: मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

सभापति महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक

खंड १४—(१८७८ के अधिनियम ८ में नये खंड १७८ क का रखा जाना)

सभापति महोदय : सभा अब समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ में संशोधन करने वाले विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

सभा आज उन संशोधनों पर विचार करेगी जो आज परिचालित किये गये हैं। यदि कोई सदस्य उन संशोधनों पर संशोधन प्रस्तुत करना चाहे तो उसे ऐसा करने का अधिकार है। उसे भी माननीय सदस्यों में परिचालित कर दिया जायेगा।

[**सरदार हुकम सिंह** पीठासीन हुए]

•**राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह)** : मैं प्रस्ताव करता हूँ:—

पृष्ठ ६ पंक्ति ४५ से ४८ के स्थान पर निम्न अंश रखा जाय :-

"178 A. *Burden of proof.*—(*1*) Where any goods to which this section applies are seized under this Act in the reasonable belief that they are smuggled goods, the burden of proving that they are not smuggled goods shall be on the person from whose possession the goods were seized.

(*2*) This section shall apply to gold, gold manufactures, diamonds and other precious stones, cigarettes, and cosmetics and any other goods which the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf :

Provided that nothing contained in this section shall apply to any gold manufacture the value of which is less than two hundred rupees.

(*3*) Every notification issued under sub-section (2) shall be laid before both Houses of Parliament as soon as may be after it is issued."

["१७८ क. प्रमाण भार :—(१) यदि इस अधिनियम के अधीन, कहीं पर कोई माल जिस पर कि यह धारा लागू होती है, इस उचित विश्वास से पकड़ा जाता है, कि यह चोरी छिपे लाया गया माल है तो यह सिद्ध करने का भार कि यह चोरी छिपे लाया गया

माल नहीं है, उस व्यक्ति पर होगा जिसके अधिकार में यह माल पकड़ा गया।

(२) यह धारा सोने, सोने से बनी वस्तुओं, हीरों तथा अन्य मूल्यवान् रत्नों, सिगरेट तथा प्रसाधन सामग्री और ऐसे प्रत्येक माल पर लागू होगी जिस का कि केन्द्रीय सरकार सरकारी गजट में, इस सम्बन्ध में अधिसूचना द्वारा उल्लेख करे:

परन्तु इस धारा का कोई उपबन्ध सोने की बनी हुई ऐसी किसी भी वस्तु पर लागू नहीं होगा, जिसका मूल्य दो सौ रुपये से कम होगा।

(३) उपधारा २ के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, जारी होने के तत्काल पश्चात् , संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष रखी जायेगी"]

उस दिन जब कि इस खंड पर चर्चा चल रही थी, यह बताया गया था कि इस खंड के अन्तर्गत बहुत सी वस्तुएँ आ जायेंगी, जिससे कि प्रत्येक नागरिक पर भी चोरी छिपे लाये गये माल रखने का आरोप लगाया जा सकता है। मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन से इस खंड का क्षेत्र सीमित हो जायेगा। इस समय यह कुछ--एक वर्गों की वस्तुओं यथा सोना, सोने की बनी हुई वस्तुओं, हीरे तथा अन्य बहुमूल्य रत्नों, सिगरेट और प्रसाधन सामग्री के सम्बन्ध में है। और यदि कोई अन्य वस्तु इस अधिनियम के क्षेत्र के अन्तर्गत लानी होगी तो उसे अधिसूचित कर दिया जायेगा तथा ऐसी सभी अधिसूचनायें सभा के पटल पर रख दी जायेंगी।

मैं इस बात का भी संकेत कर दूं कि सरकार के लिये ऐसे अधिकार प्राप्त करना क्यों आवश्यक हो गया है। मेरे विचार से १९५३ के अन्त में अर्थात् नवम्बर १९५३ में, प्रधान मंत्री ने सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया कि ऐसी कई एक चीजें जिनके आयात पर यथार्थ में रोक लगी हुई है, दुकानों में खुले आम बिक रही हैं उन्होंने यह लिखा था :—

"यह सभी जानते हैं कि अमरीकी सिगरेटें बहुत बड़े परिमाण में, न केवल बम्बई इत्यादि पत्तनों पर, अपितु दिल्ली—ऐसे नगरों में भी बिक रही हैं। मेरा विश्वास है कि इन सिगरेटों के आयात प्रतिषिद्ध हैं? तब यह किस प्रकार सम्भव हो सका ? निःसंदेह तस्कर-व्यापार के द्वारा। तस्कर-व्यापार इतने बड़े पैमाने में क्योंकर होता है और किस प्रकार चोरी-छिपे लायी गई चीजें दुकानों में खुले आम बिकती हैं। यही बात दूसरी चीजों पर भी लागू होती है जिन पर प्रतिषेध लगा हुआ है। क्या हम इनके विरुद्ध कोई तरकीब नहीं कर सकते तथा उन दुकानों से नहीं पूछ सकते कि प्रतिषेध होने के उपरांत भी ये चीजें उन्हें किस प्रकार मिलती हैं। वे ऐसा मुश्किल से ही बता सकते हैं कि यह पुराना माल है।"

इस प्रकार सरकार ने यह मामला लिया। प्रधानमंत्री ने कहा है:—

"यह बात अन्य वस्तुओं पर भी लागू हो सकती है।" मैं आपको यह संकेत दे सकता हूँ कि चोरी-छिपे माल ले जाने की प्रक्रिया अन्य वस्तुओं में भी कितनी प्रचलित है। हमने स्थल सीमा शुल्क के द्वारा पूर्वी बंगाल से ४,५४,५५५ हंडरवेट सुपारी प्राप्त की। अकस्मात् १९५३–५४ में जबकि सुपारी पर सीमा शुल्क बढ़ाया गया ो स्थल सीमा द्वारा आयात ४,४५,५५५ हंडरवेट से घट कर ४,३०० हंडरवेट रह गया। १९५४–५५ में स्थल-सीमा द्वारा बिल्कुल भी आयात नहीं हुआ। समुद्री आयात में भी उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई। मेरे विचार से यह भी सम्भव नहीं है कि इस

[श्री ए० सी० गुह]

कमी की पूर्ति देश के उत्पादन के द्वारा पूरी हो गई हो। स्पष्ट रूप से, यही अनुमान लगाया जा सकता है कि यह ४,४५,५५५ हंडरवेट सुपारी जो पहिले पूर्वी बंगाल में स्थल सीमा शुल्क अदा करने पर आती थी अब तस्कर-व्यापार द्वारा आती है। हमने सुपारी के कई माल-डिब्बे पकड़े हैं। वे इस समय कलकत्ता के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहारालय में हैं। कुछ बिहार, कुछ बंगाल तथा कुछ आसाम में पकड़ी गई हैं। केवल बंगाल में पकड़ी गई सुपारी ही कलकत्ता समाहारालय में है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गाँव): क्या सुपारी-भरे उन माल-डिब्बों को पकड़ा गया है?

श्री ए० सी० गुह : जी हाँ। वे पकड़े गये हैं। केवल दस प्रतिशत माल पकड़ा गया है। ९० प्रतिशत माल बच निकला है। हमारे अनुभव से यह पता चलता है कि केवल दस प्रतिशत चोरी छिपे लाया गया माल ही पकड़ा गया है।

अब मैं सोने तथा दूसरी वस्तुओं का भी उल्लेख करूँगा। १३ फरवरी, १९५४ को एक धावे में हमने लगभग १३,७९,००० रुपयों के मूल्य का सोना पकड़ा; दूसरी बार १,४०,००० रुपये का सोना पकड़ा गया। मैं आपको १९५४ के आँकड़े बता रहा हूँ। जून १९५४ में पुनः १,४०,००० रुपये का सोना पकड़ा गया। एक अन्य पकड़ में कोई ८ लाख रुपये के मूल्य का सोना था। नवम्बर १९५४ में ५,६२,००० रुपये के मूल्य का सोना पकड़ा गया।

हाल ही में दिल्ली तथा बम्बई में ४,४०,००० रुपये के मूल्य की भारतीय मुद्रा पकड़ी गई। उन लोगों ने सोना लाकर उसे यहाँ बेचा। वे भारतीय मुद्रा ले जा रहे थे। सूचना मिलने पर हमने यह पकड़ की। इसमें से कुछ मुद्रा पालम हवाई अड्डे पर पकड़ी गई तथा कुछ इस दल के अन्य व्यक्तियों के अधिकार में बम्बई में पकड़ी गई है।

स्थिति इस प्रकार है। मुझे आशा है कि सभा सभी वर्गों की वस्तुओं के तस्कर-व्यापार की इस गम्भीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह संशोधन पारित करेगी।

मैं यहाँ एक अन्य बात का उल्लेख करना चाहता हूँ। इस सभा के एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि उनके पास अमरीकी सिगरेटें थीं मैंने कहा कि यह चोरी-छिपे आया हुआ माल है। मैं उन्हें पकड़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें बाज़ार से खरीदा है। मैंने कहा कि यह ठीक है, किन्तु आपने यह जानते हुए भी कि यह चोरी-छिपे लाया गया माल है, जानबूझ कर इसे खरीदा। इन चीजों के आयात पर वर्षों से प्रतिषेध है। सोने के आयात पर भी रोक लगी हुई है। सोने के आयात पर पिछले पन्द्रह वर्ष से रोक लगी हुई है। पिछले दिनों मैंने कहा था कि देश में केवल २,००० तोला सोना प्रतिदिन निकाला जाता है। जब कि सोने-चाँदी के बाज़ार में प्रतिदिन ६,००० तोले सोने का लेन-देन होता है। अनुमान यह है कि इस सोने का अधिकांश भाग तस्कर-व्यापार द्वारा आता है।

इसलिये मैं आशा करता हूँ कि सभा इस संशोधन को स्वीकार करेगी। मैं इस संशोधन को सभा के सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ।

सभापति महोदय : समुद्र-सीमा शुल्क अधिनियम १८७८ में संशोधन करने वाले विधेयक के खंड १४-क पर श्री ए० सी० गुहा का उक्त संशोधन हुआ। यह संशोधक सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस संशोधन पर भी संशोधन हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जहाँ तक वर्तमान संशोधन का सम्बन्ध है, यह मेरे विचार से पूर्णतः संतोषजनक नहीं। खंड १४ पर इस प्रकार के कई अन्य संशोधन भी हैं कि केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही विभाग द्वारा पकड़े गये सामान को चोरी-छिपे लाया गया माल समझा जाय।

चोरी-छिपे लाये गये माल के दो पहलू हो सकते हैं। एक तो ज़ब्ती इत्यादि के सम्बन्ध में; दूसरा, यद्यपि इस प्रकार का भी उपबन्ध है कि बिना अभियुक्त की जानकारी सिद्ध किये हुए अभियोग नहीं चलाया जा सकता, तथापि यह भी संभव है कि स्वाभाविक रूप से अनुमान लगा लिया जाय।

उन्होंने जो चोरी-छिपे लाये गये माल के आँकड़े दिये हैं, वे वास्तव में लाखों रुपये के हैं। वास्तव में यह बड़ा गम्भीर मामला है। किन्तु यदि विधि इस प्रकार की हो जिससे कि वह इसे बदलना चाहते हैं तो उन्हें यह ज्ञात होगा कि यह दोषसिद्धियां तथा जब्तियाँ करोड़ों रुपयों के मूल्य की होंगी।

बात यह है कि यद्यपि ज़ब्ती तथा दोष-सिद्धि से सम्बन्ध रखने वाली अन्य धारायें भी हैं, तथापि जो अनुमान लगाया जा रहा है वह कहीं किसी विशेष प्रक्रिया तक ही सीमित नहीं है। यह अच्छा होता, यदि माननीय मंत्री ने इसे माल के पकड़ने तथा ज़ब्ती तक ही सीमित रखा होता।

यद्यपि हमने संविधान (चौथा संशोधन) विधेयक पारित कर लिया है, तथापि अनुच्छेद १९ के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी सम्पत्ति को रख तथा बेच सकता है। यदि सीमा शुल्क विभाग का पुलिस पदाधिकारी बिना प्रमाण के किसी के माल को पकड़ ले तो निजी सम्पत्ति का क्या अभिप्राय है। उनके कहने के अनुसार वहां 'उचित विश्वास' होना चाहिये। भला इसके क्या तात्पर्य हैं?

इसके यह तात्पर्य हैं कि निम्नतम पदाधिकारी भी यह उचित विश्वास होने पर कि किसी व्यक्ति के पास तस्कर-व्यापार द्वारा लाया गया माल है, उसे पकड़ सकता है तथा उसके पकड़ते ही अनुमान द्वारा वह चोरी छिपे लाया गया माल समझा जाता है उदाहरणार्थ मेरी सोने की जंजीर, वह भले ही मुझे उत्तराधिकार में प्राप्त हुई हो, को यदि सीमा शुल्क विभाग का कोई पदाधिकारी पकड़ता है तो उसकी जब्ती हो सकती है। यह केवल सोना, प्रसाधन सामग्री तथा सिग-रेटों तक ही सीमित नहीं है बल्कि ऐसी प्रत्येक वस्तु पर जिसका सरकार अपनी अधिसूचना में उल्लेख करेगी, यही प्रक्रिया अपनाई जायगी।

निःसंदेह मैं, वह तथा मेरे सभी मित्र तस्कर-व्यापार रोकने के इच्छुक हैं। हम जानते हैं कि इससे हम एक बड़ी आय से वंचित हो रहे हैं तथापि मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हम इस संशोधन को स्वीकार करेंगे तो हमारी सम्पत्ति, तथा बहुत कुछ अंशों में हमारी स्वतंत्रता भी छिन जायगी।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : माननीय सदस्य ऐसा कैसे कह सकते हैं? उस व्यक्ति को उस चीज का व्यापार करना चाहिये। जब तक कि वह व्यापार करने वाला व्यक्ति नहीं होगा तब तक उसकी सम्पत्ति कैसे ली जा सकती है?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : उचित विश्वास होने पर क्या हम पुलिस तथा सीमा शुल्क पदाधिकारियों को प्रतिदिन अधि-कारों का दुरुपयोग करता हुआ नहीं देखते हैं।

श्री ए० सी० गुहा: हर कोई ऐसा नहीं कर सकता एक पदाधिकारी को यथोचित

[श्री ए० सी० गुह]

रूप से प्राधिकार होगा । वह भी वरिष्ट पदाधिकारी ही होगा । मैं कह सकता हूँ कि पुलिस का कोई भी सब-इन्स्पेक्टर बिना अधिपत्र के किसी भी व्यक्ति को बन्दी बना सकता है, किन्तु यहाँ जिस व्यक्ति को पकड़ने का अधिकार होगा उसका पद पुलिस के सब-इन्स्पेक्टर से छोटा नहीं होगा । उसका पद ऊँचा ही होगा । साथ ही उसे माल पकड़ने के कारण भी लिख कर देने होंगे, जब कि पुलिस के सब-इन्स्पेक्टर को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय ऐसा कोई कारण नहीं देना पड़ता । जब्ती के सम्बन्ध में एक न्याय-निर्णयन यह है कि पकड़ने वाले पदाधिकारी से कोई बड़ा पदाधिकारी ही ज़ब्ती कर सकता है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : ऐसा नहीं है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ५४ के अनुसार विश्वस्त सूचना अथवा उचित संदेह होने पर ही सब-इन्स्पेक्टर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, किन्तु यहाँ विश्वस्त सूचना की आवश्यकता भी नहीं है । मैंने उनको एक संशोधन का सुझाव दिया था किन्तु उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया । उन्होंने कहा है कि सीमा शुल्क विभाग का कोई भी व्यक्ति जो कि तस्करं-व्यापार रोकने का अधिकारी हो, अर्थात् इस विभाग का एक साधारण कर्मचारी भी माल पकड़ सकता है । मैं यह भी जानता हूँ कि पकड़ने का अभिप्राय ज़ब्ती से नहीं है किन्तु अन्य उपबन्धों द्वारा यह सम्पत्ति ज़ब्त हो जायेगी, मुझे इस बात का भी अत्यधिक दुःख है कि तस्कर-व्यापार इतना बढ़ गया है; इसलिये मैंने इस संशोधन का सुझाव दिया था ।

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

पृष्ठ ६ पर, ४५ से ४८ पंक्तियों तक के स्थान पर यह अंश रखा जाय:

"१७८ क. यदि सीमा शुल्क अधिनियम १८७८ के उपबन्धों के अधीन विश्वास सूचना अथवा उचित संदेह होने पर सीमा शुल्क पदाधिकारी, जिस व्यक्ति के अधिकार में माल मिला है, उसकी बातें सुनने तथा प्रमाणों के द्वारा इस निश्चय पर पहुँचता है कि इस पर यथोचित शुल्क दे दिया गया है तो वह उस माल को छोड़ देगा तथा उसी व्यक्ति के सुपुर्द कर देगा जिसके अधिकार से माल लिया गया था ।

यदि वह इस परिणाम पर पहुँचता है कि शुल्क नहीं चुकाया गया है तो वह चोरी-छिपे लाये गय माल से सम्बन्ध रखने वाले उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही करेगा ।"

इससे स्पष्ट हो जायेगा कि मैंने सीमा शुल्क पदाधिकारियों को काफी अधिकार दिये हैं । इससे दायित्व भी किसी पर नहीं रहेगा तथा कार्यकारिका की कार्यवाही से सत्य भी प्रगट हो जायेगा ।

सभापति महोदय : आप समय का विचार करते हुए अपने संशोधन की संक्षिप्त व्याख्या करें । इसके अलावा भी अन्य संशोधन हैं और ५ बजे हमें अन्य मांगों को भी लेना है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यदि हमें यह पहिले ही ज्ञात हो जाता कि अन्य संशोधन भी हैं तो अधिक अच्छा होता हम उन पर भी चर्चा कर सकते थे । अन्यथा मुझे उन पर चर्चा करने का समय नहीं मिल पाएगा ।

सभापति महोदय : मैं संशोधन संख्या ३० पढ़ कर सुना सकता हूँ । वह इस प्रकार है:—"कि श्री अरुण चन्द्र गुह द्वारा प्रस्तावित संशोधन में, जो संशोधनों की सूची संख्या १० में संख्या २९ के रूप में मुद्रित हुआ है, प्रस्तावित नये खंड १७८क की उपधारा (२) के परन्तुक का लोप किया जाय ।"

पंडित ठाकुर दास भार्गव : ज्योंही ये वस्तुयें अर्थात् सोना, सिगरेट, आदि पकड़ी जाती हैं, तब सीमाशुल्क पदाधिकारी यह पता लगायेगा कि सीमाशुल्क का भुगतान हो गया है या नहीं। यदि शुल्क का भुगतान हो गया है तो वे चोरी से लाई गई वस्तुयें नहीं हैं और फिर तथ्य से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि वस्तुयें उस व्यक्ति को लौटा दी जानी चाहिएं जिससे उन्हें लिया गया है। दूसरी ओर, यदि शुल्क का भुगतान नहीं हुआ है तो दो बातें उत्पन्न होती हैं। या तो वे विधिवत् कार्यवाही करें और सारी सम्पत्ति को, चाहे वह लाख की हो या दस लाख की, ज़ब्त कर ले। या, सीमाशुल्क पदाधिकारी स्वयं इस बात की जांच करे कि वस्तु जिस व्यक्ति के अधिकार से प्राप्त की गई है, वह सर्वथा निर्दोष है, क्योंकि उस वस्तु का अधिकार अनेकों व्यक्तियों को अधिकार प्राप्त होने के पश्चात् प्राप्त हुआ है। उदाहरणार्थ, कोई वस्तु बम्बई में आती है और अनेकों व्यापारियों आदि के पास होकर अन्त में फुटकर व्यापारी या क्रयकर्ता से पकड़ी जाती है। ऐसे मामलों में, जिस व्यक्ति से वस्तु पकड़ी जाती है, निर्दोष है। यदि व्यक्ति निर्दोष है तो मैं सीमाशुल्क पदाधिकारी को पूर्ण अधिकार देता हूँ कि वह उसे सर्वथा मुक्त कर दे ताकि उसे उसकी सम्पत्ति वापस मिल जाये। अतः, मेरी समझ में नहीं आता कि मेरे मित्र को मेरी इस बात में क्या आपत्ति है जब मैं यह कहता हूं कि ऐसे मामलों में, जिनमें व्यक्तियों ने वस्तुओं को निष्कपट रूप से प्राप्त किया है, उन लोगों को छोड़ दिया जाये।

इस संशोधन से चोरी से लाई व ले जाई जाने वाली वस्तुओं को पकड़ने में पर्याप्त सहायता मिलेगी और निर्दोष लोगों को परेशान न किया जायेगा।

२०० रुपयों के बारे में श्री वेंकटरामन का एक संशोधन है। यदि किसी पुरुष की जंजीर या स्त्री का आभूषण २०१ रुपये के मूल्य का है, तो उस व्यक्ति को उसी जांच का सामना करना होगा। इसके विपरीत मैंने स्वर्ण-कारों को छोड़ दिया है। क्योंकि स्वर्ण ऐसा पदार्थ है जिसके बारे में प्रायः चोरी से लाने व ले जाने का आरोप लगाया जाता है। भारत में स्वर्ण पर्याप्त मात्रा में है। लगभग १९३० में या उससे पूर्व अंग्रेज़ लोग बड़ी कठिनाई से लोगों से स्वर्ण का विक्रय करा सके और फिर बहुत बड़ी मात्रा में सोना इंगलैंड भेजा गया। परन्तु अब भी लाखों लोग सोने का अत्यधिक संचय करते हैं, और अभाव काल में उसका विक्रय कर सकते हैं। परन्तु मेरे मित्र इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि भारत को स्वर्ण की उस मात्रा से वंचित नहीं किया गया है जो किसी व्यक्ति के पास है।

सिगरटों और प्रसाधन सामग्री के बारे में, यदि वे देश में बने हैं, मैं अपने मित्र से निवेदन करता हूं कि उन्हें अपवाद के रूप में छोड़ दिया जाये।

श्री ए० सी० गुह : देशी वस्तुओं में चोरी-व्यापार नहीं हो सकता।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : स्वर्ण को विदेशी कैसे माना जा सकता है? क्या भारत में स्वर्ण नहीं होता? मैं यह बात समझ सकता हूँ यदि आप कहें कि "यह वह ब्रांड है जिसे चोरी से लाया गया समझा जाये।" रेलवे सामान विधेयक का मेरे मित्र ने उल्लेख किया था। उसके बारे में सरकार का कहना है कि इस बात का भार कि जिस व्यक्ति के पास जो वस्तु है उसके लिए वह यह सिद्ध करे कि वह उसका सच्चा अधिकारी है, उसी वस्तु के रखने वाले पर होगा। इस प्रस्ताव को हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि इसके

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

पश्चात् ऐसे और कई विधेयक आ रहे हैं। यदि हम यह बात स्वीकार करते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि ऐसे अनेकों मामले होंगे जहां निर्दोष लोगों को सताया जायेगा। क्योंकि यह सिद्ध करना असम्भव है। इन परिस्थितियों में मुझे बड़ा दुःख है कि मेरे मित्र मेरे संशोधन को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं।

श्री वेंकटरामन् (तंजोर): मैं प्रस्ताव करता हूं:—

"कि श्री अरुण चन्द्र गुह द्वारा प्रस्तावित संशोधन में, जो संशोधनों की सूची संख्या १० में संख्या २९ के रूप में मुद्रित हुआ है प्रस्तावित नया खंड १७८ क की उपधारा (२) के परन्तुक का लोप किया जाय।"

जहां तक श्री ए० सी० गुह द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन का संबंध है, मुझे शंका है कि उप-धारा (२) के परन्तुक से छोटे पैमाने पर वस्तुओं का चोरी से लाना व ले जाना बढ़ेगा। यदि आप इस परन्तुक को रहने देते हैं तो बहुत से लोग गोआ से १९९ रुपये के मूल्य का स्वर्ण लायेंगे और उन्हें पकड़ना बहुत कठिन होगा। मेरे मतानुसार कोई भी विधि ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे थोड़ी या बहुत मात्रा में चोरी से माल लाया व ले जाया जा सके। जब पांडिचेरी फ्रांसीसी बस्ती थी तब एक सन्यासी कौपीन मात्र में वहां से आया जाया करता था। सीमाशुल्क अधिकारियों को उस पर सन्देह हुआ और एक बार उनको उससे आठ औंस स्वर्ण प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त इसमें बड़ी कठिनाई होगी कि वह २०० रुपये के मूल्य का है या नहीं। अतः, मैं इस परन्तुक का घोर विरोध करता हूं और मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया है कि इसे हटा दिया जाय।

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने अपने संशोधन में दो या तीन श्रेणियों का उल्लेख किया है। एक श्रेणी दण्ड संबंधी अभियोगों की कार्यवाही की है। दूसरी श्रेणी माल ज़ब्त करने, उसे सरकार के मनोनीत अधिकारी के पास रखने, और फिर उस पर सुनवाई करने संबंधी है। वह चाहते हैं कि यह कार्य कोई विशेष अधिकारी करे। इसका उपबन्ध अधिनियम में है। अवश्य ही, न्यायनिर्णयन करने वाला अधिकारी इन सारी बातों की जांच करेगा कि क्या वह माल चोरी से सीमा पार से लाया गया है या नहीं। इससे अधिक हम क्या कर सकते हैं? अब मात्र प्रश्न यह है कि क्या युक्ति-युक्त संदेह पर, कि माल चोरी से लाया गया है, माल जब्त करने वाले अधिकारी को यह प्रमाण प्राप्त करने तक कि माल चोरी से लाया गया है, प्रतीक्षा करनी चाहिये या उसे उसको ज़ब्त करने का अधिकार होना चाहिये? मेरा निवेदन है कि उसे ज़ब्त करने का अधिकार होना चाहिए। अतः मैं श्री ए० सी० गुह के संशोधन का, उसमें से परन्तुक निकाल कर, समर्थन और पंडित ठाकुर दास भार्गव के संशोधन का विरोध करता हूँ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: मेरे मित्र का यह विचार सर्वथा निराधार है कि "सीमाशुल्क पदाधिकारी या अन्य पदाधिकारी" शब्दों से मेरे अभिप्राय जब्त करने वाले व्यक्ति से था। वह भिन्न व्यक्ति होगा।

श्री सी० आर० नरसिंहन् (कृष्णगिरि): जिस रूप में सरकार इन कुछ विधेयकों के संबंध में कार्यवाही कर रही है, उस पर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। एक दिन संचार मंत्रालय के संबंध में सरकारी सम्पत्ति का प्रश्न उठा था और आधिपत्य के बारे में

निश्चय हुआ था कि प्रमाण भार सन्देहकर्ता पर हो। फिर, रेलवे माल के बारे में सरकार ने प्रमाण का भार अभियुक्त पर डाल दिया। अब भी वही प्रवृत्ति है। मुझे आश्चर्य इसका नहीं है कि सरकार अपनी सम्पत्ति की रक्षा की इच्छुक है अपितु इस पर आश्चर्य है कि वे इस दुःखद परिस्थिति के वास्तविक कारणों को भूल जाते हैं। मुख्य दोष यह है कि सरकारी पदाधिकारी उचित रूप से अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं करते हैं। यदि उचित जांच हो तो ये घटनायें घटित ही न होंगी। सरकार ने अपने पदाधिकारियों को ठीक बनाने की बजाय यह नीति अपना ली। मेरे विचार में यह गलत नीति है। अतः सरकार को चाहिये कि निर्दोष लोगों को इन विधियों द्वारा परेशान करने की बजाय अपने पदाधिकारियों को ठीक करे।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सभापति महोदय, केवल यह बताने के लिए कि इस विधेयक को प्रस्तुत करने का आंशिक अपराध मेरे मंत्रालय का है। वास्तव में, मेरा ख्याल है, हमने ही यह मामला आरम्भ किया है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव के तर्कों में सत्यता है। परन्तु, केवल आपत्ति यह है कि वह सारी बात को परिस्थिति की वास्तविकता से पृथक् रखते हैं। उनका विचार है कि व्यक्ति को परेशान किया जायेगा और फिर इस आधार पर वह विचार करते हैं कि इसके परिणाम क्या होंगे। मैं उनसे इस बात पर पूर्णतया सहमत हूँ कि जहां तक व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का संबंध है, ऐसे मामले में इस सभा को अति सावधान रहना चाहिए। परन्तु तथ्य सर्वथा भिन्न हैं। दोनों ओर हमारे सीमान्त-क्षेत्र बहुत दूर-दूर तक फैले हुए हैं। और सम्भव है कि आजकल इस प्रकार की वस्तुएं छोटी-छोटी वस्तुओं के अतिरिक्त पाकिस्तान से प्रायः चोरी से नहीं लाई जाती हैं। मेरा विचार है कि बहुत जल्दी ही उन्हें पर्याप्त मात्रा में उपभोग की वस्तुयें प्राप्त हो जायेंगी और उन वस्तुओं का स्वाभाविक बाज़ार यह देश होगा। जिन लोगों को पाण्डिचेरी का कुछ अनुभव है, वे जानते हैं कि चोरी से माल लाना व ले जाना कैसे एक उत्तम कला बन गया है। अभी तक हम भूतकाल के प्रभावों से पीड़ित हैं और हम देखते हैं कि अनेकों लोग, वे व्यापारी जो उत्तर भारत, बम्बई और यहां तक कि पंजाब में, यह व्यापार कर रहे थे, पांडिचेरी चले गये हैं और वहां बस गये हैं, इसलिए नहीं कि पांडिचेरी में साधारण व्यापार करें, अपितु इसलिए कि माल को चोरी से लायें। और, गोआ भी तो है। अतः, इन तथ्यों का ध्यान रखना है और फिर यह लागू भी किस पर होता है? यह लोगों पर लागू नहीं होता। मैं नहीं समझता कि सीमा शुल्क पदाधिकारी या जांच पदाधिकारी उन लोगों के घरों में तलाशी लेंगे जिनके पास साधारण सी वस्तुयें हों।

श्री ए० एम० थामस (एरनाकुलम्): उन पर क्या प्रतिबन्ध है?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : बात केवल यह है कि मानव को समझदार समझा जाता है। अभिभावक यह सोचता है कि मानव सदैव ही असाधारण रूप से कार्य करता है और यही तो इसमें आपत्ति है। असाधारण मामलों से हमारा संबंध नहीं है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: आपने फिर दण्ड विधि बनाई क्यों है? सभी मनुष्य बुद्धिमान हैं और साधारण भी हैं, अतः वे कोई भी अपराध नहीं करेंगे।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : चूंकि पंडित ठाकुर दास भार्गव इसी प्रकार की सिद्धान्तवादी विचारधारा के हैं अतः मैं

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

समझता हूँ कि मैं उनसे इस सम्बन्ध में बहस नहीं कर सकता ।

वास्तव में इसका व्यावहारिक पहलू यह है कि यह उन व्यक्तियों के लिए बनाया गया है जो इस तरह का काम करते हों ।

मेरे मान्य मित्र श्री वेंकटरामन ने समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा १७८ पढ़ कर सुनायी । यह धारा १७८ आज से वर्षों पहले उस ज़माने में बनाई गई थी जब व्यापार निर्बाध था, लोग किसी भी वस्तु का आयात कर सकते थे, आय-कर की दरें कम थीं अतः अधिक हिसाब पर ज़ोर नहीं दिया जाता था, और कोई बिक्री-कर भी नहीं लगाया जाता था। तो उन परिस्थितियों में यदि आप किसी से पूछते भी कि उसने वह वस्तु कहां से लाई है, और बाद में, वह सिद्ध करने को भी कहते तो बहुत कठिनाइयां होतीं। और आजकल यदि किसी भी वस्तु का आयात करना हो तो उसके डिब्बे या लिफाफ़े पर अनुज्ञप्ति की संख्या आदि लिखी होनी चाहिए। अनुज्ञप्ति संख्या उस पर ज़रूर दी गई होगी । प्रत्येक व्यक्ति से, जो उस सौदा में हिस्सा लेता है, यह आशा की जा सकती है कि उसने कहीं रसीद ली या दी होगी, बिक्री-कर दिया या लिया होगा, और बिल जारी किया होगा या उसके पैसे चुकाये होंगे । यदि दिल्ली में किसी दुकानदार के पास मैक्स फैक्टर पौडर या किसी अन्य पदार्थ का बंडल या डिब्बा पड़ा हो तो उसे केवल इतना सिद्ध करना होगा कि उसने वह पदार्थ या पौडर अमुक व्यक्ति से खरीदा था । प्रमाण-भार में और किसी बात की आवश्यकता नहीं । बिल पेश कीजिए, अपना माल दिखाइए और यह भी दिखाइए कि आपने उचित रूप से उसको दर्ज किया है और कहिए 'यह बिल है, मैं ने यह चीज़ बम्बई से मंगाई है ।' उसके बाद वे बम्बई के उस विक्रेता से पूछेंगे । हो सकता है कि वह यह कहे—"मैं आर्डर दे चुका हूँ, यह यहां दर्ज हुआ है, यहां मैंने इसका भुगतान किया है और अपने बही-खाते में इसे दर्ज किया है।" फिर इसके अतिरिक्त और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं एक बात समझना चाहता हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति यह सिद्ध करता है कि उसने बम्बई में खुले बाज़ार से इसे खरीदा था और वह उस व्यक्ति का नाम भी बताता है जिससे उसने यह चीज़ खरीदी थी ; तो क्या उसें मुक्त किया जाएगा और उन वस्तुओं को छोड़ दिया जाएगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : निश्चय ही ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या ऐसा कोई आगम-शुल्क पदाधिकारी है जो प्रमाण दिये जाते ही वस्तुओं को बिना किसी शर्त के छोड़ देगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि सम्बद्ध पुस्तकों या बही खातों में कोई बात दर्ज हुई हो तो वस्तुओं के उचित ढंग से लाये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण भार निश्चय ही किसी दूसरे पर होगा ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : प्रश्न केवल एक ही है कि क्या शुल्क का भुगतान हुआ है या नहीं । प्रश्न यह नहीं है कि सम्पत्ति खरीदी हुई है या चुराई हुई । मानो किसी आदमी को पकड़ा गया है और वह यह सिद्ध कर देता है कि उसे उस वस्तु की प्राप्ति सद्भावपूर्ण साधन से हुई है तो क्या वह माल छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि शुल्क तो नहीं दिया गया ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह प्रश्न वास्तव में वैधानिक रीति का प्रश्न नहीं है ।

यदि माल चोरी छिपे नहीं लाया गया है तो उस पर शुल्क की मांग नहीं की जा सकती। यदि माल चोरी छिपे लाया गया है तो शुल्क दिया ही नहीं गया। यदि वह माल चोरी छिपे लाया गया माल नहीं है अपितु नियमित रूप से लाया गया है तो उस पर शुल्क अवश्य ही दिया गया होगा, क्योंकि मूल पैकेज पर अनुज्ञप्ति का चिन्ह आदि होना चाहिए।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : दस वर्ष के पश्चात् इस बात का प्रमाण कैसे दिया जा सकता है?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मैं इस सम्बन्ध में चालू व्यापारिक रीति की बात कर रहा हूं। मेरा अभिप्राय एक ऐसे सद्भाव युक्त व्यापारी से है जो ऐसा माल खरीद लेता है जो चोरी छिपे लाया गया हो सकता है। यदि उसके पास बेचने वाले द्वारा दिया गया बिल है तो वह अवश्य बच सकता है। उसे यह सिद्ध करने में कुछ भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि उसने वह माल अमुक व्यक्ति से लिया था, क्योंकि तब पुलिस अथवा सीमा-शल्क कर्मचारी दूसरे व्यक्ति के पास जाएंगे।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यदि दूसरे आदमी ने उस माल की चोरी की हो अथवा चोरी छिपे उसकी प्राप्ति की हो और वह कोई लेखा आदि नहीं रखता तो क्या होगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि उसने बिल दिया है तो वह उत्तरदायी है। हमें किसी एक विशेष व्यक्ति से कुछ काम नहीं है। मेरा अभिप्राय उन लोगों से है जो विधि का अपवंचन करते रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति कोई माल आयात करता है तो उसे आयात अनुज्ञप्ति लेनी होती है, उसके पास प्रवेश सम्बन्धी बिल होना चाहिए। आय कर के प्रयोजन के लिए उसे लेखे भी रखने चाहिएं। बिक्री कर के प्रयोजनों के लिए उसे लेखे रखने होंगे और बिल जारी करने होंगे। यदि यह सभी शर्तें पूरी कर दी गई हैं तो मैं नहीं समझ सकता कि कोई कैसे पकड़ा जा सकता है। उस पर प्रमाण-भार केवल इतना सा है कि वह अपना सदाशय सिद्ध करे यह एक अच्छी प्रस्थापना है। यदि हम यह उपबन्ध नहीं रखते हैं तो सीमा शुल्क से हमें जो राजस्व प्राप्त होता है वह समाप्त हो जाएगा।

दूसरी बात यह है कि सचाई पर चलने वाला व्यापारी कुछ विशेष प्रकार के माल को हाथ तक भी लगाना नहीं चाहता क्योंकि उसके बारे में उसे यह संशय रहता है कि कहीं वह चोरी छिपे लाया गया माल न हो। ऐसे माल के लिए भिन्न प्रकार के मूल्य बताए जाया करते हैं जो कई बार बहुत कम होते हैं। इस प्रकार का माल अवश्य ही पाकिस्तान से चोरी छिपे आयेगा जब कि पाकिस्तान को अधिक विदेशी मुद्रा मिल रही है और उसे अमरीकी माल मिल रहा है। सब प्रकार की चीज़ों का वहां आना अनिवार्य है और स्वाभाविक मंडी पाकिस्तान नहीं है, ये दिल्ली उत्तर प्रदेश, या अन्य स्थानों पर हो सकती है।

हमने इस विधेयक को बहुत सोच-विचार के बाद प्रस्तुत किया है। लगभग एक वर्ष तक हमने विभिन्न दृष्टिकोणों अर्थात् सीमा शुल्क, आयात और व्यापारी के दृष्टिकोणों से इस पर विचार किया है। मैं कह सकता हूं कि सम्बन्धित विभागों को व्यापार के तरीकों का कुछ ज्ञान है। अन्त में हम ने अनुभव किया कि चौर्यानयन को रोकने के लिए और इमानदार आदमी को कष्ट से बचाने के लिए इस प्रकार का विधेयक अत्यावश्यक है। मेरे माननीय मित्रों ने कई प्रकार के परिणामों की कल्पना कर ली है। यह केवल कल्पना ही है और बिल्कुल एक पक्षीय। निःसंदेह अमीर लोगों

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

के लिए वकील हैं और वे न्यायालयों में जाकर अपना काम करवा सकते हैं। यदि इस विधेयक को पारित न किया गया तो वे लोग जो एक क्षेत्र में, अर्थात् पांडिचेरी में चौर्यानयन करते हैं, वहां से आने पर अपना काम दूसरे क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर शुरू कर देंगे और हम न केवल सीमा-शुल्क बल्कि आयकर और विक्रय कर से भी वंचित रह जायेंगे और इससे इमानदार व्यापारी को कष्ट होगा।

श्री बंसल : मैं माननीय मंत्री का ध्यान अपने संशोधन संख्या १३ की ओर दिलाना चाहता हूँ जिसमें भी यही बात कही गई है।

श्री ए० सी० गुह : इस पर पिछली बार चर्चा की गई थी और माननीय सदस्य इस पर बोले थे।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे यह मालूम है।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : हमें यह समझ में नहीं आता कि धारा १७८ क में संशोधन करने की क्या आवश्यकता है। प्रतीत होता है कि दोष सरकारी पदाधिकारियों का है, जिन के सामने बड़े पैमाने पर चौर्यानयन किया जा रहा है, न केवल टोकरियों में और थैलों में बल्कि माल गाड़ियों के डिब्बों में भी। इसका अर्थ यह है कि हमारे पास इस मामले की ओर ध्यान देने वाले पदाधिकारी नहीं हैं या वे बेईमान हैं और ऐसी चीज़ें होने देते हैं। इसे रोकने का तरीका यह नहीं है।

यह अधिनियम पिछले कई सालों से मौजूद है और विभिन्न दंड सम्बन्धी उपबन्ध भी मौजूद हैं। १८७८ का अधिनियम पिछले ५० वर्षों से लागू है। अब इसमें यह शब्द रखने का समय आया है कि इस बात को सिद्ध करने का उत्तरदायित्व कि इस अधिनियम के अन्तर्गत पकड़ा गया माल चौर्यानयन का माल नहीं है, उन व्यक्तियों पर होगा जिन के पास वह माल मिला है। मेरे मित्र श्री कृष्णमाचारी के पास एक फाऊंटेन पेन है और मेरे पास भी एक है। ये भारत के बने हुए हैं। अब कोई भी उठ कर कह सकता है कि यह चौर्यानयन का माल है। मैं जानता हूं कि मैं ने इसे एक दुकान से खरीदा है, किन्तु मैं अब बतला नहीं सकता कि किस दुकान से। अतः यह चौर्यानयन का माल हो जायेगा और इसे छीन लिया जायेगा। आपने धारा १७८क में यह नहीं रखा कि माल केवल व्यापारी से छीना जा सकता है। अतः जिसके पास यह माल होगा, उसके लिए यह सिद्ध करना बहुत कठिन होगा कि यह चौर्यानयन का नहीं है। हम ऐसी विधि बना रहे हैं, जो कि बिल्कुल अनावश्यक है और इसके अनुसार हर व्यक्ति को बेईमान या चोर समझा जायेगा जब तक कि वह इसका उलट सिद्ध न कर दे। इस अधिनियम के अन्तर्गत उस माल को छीन लिया जायेगा, जो कि भारत में तैयार नहीं हुआ। सब से अधिक कठिनाई सोने के मामले में होगी। स्त्रियां सोने के गहने पहनती हैं। मान लीजिये एक स्त्री गोआ के सीमान्त पर जाकर वापिस आती है। तो यदि उसने सोने के गहने पहने हुए हों, तो सरकारी पदाधिकारी उसे चौर्यानयन का माल समझ कर छीन सकते हैं। साधारण सोने और चौर्यानयन के सोने में कैसे विभेद किया जायेगा। अतः मैं कहता हूं कि यदि धारा १७८ स्वयं आवश्यक नहीं है, तो अन्य संशोधन भी आवश्यक नहीं हैं। इनसे कोई लाभ नहीं होगा। मेरा निवेदन है कि धारा १७८ को बिल्कुल स्वीकार नहीं करना चाहिए।

श्री सत्य नारायण सिंह द्वारा समापन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। सभापति

महोदय द्वारा समापन प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

श्री ए० सी० गुह : मैं श्री वेंकटरामन का संशोधन स्वीकार करता हूं । मैं यह आश्वासन देता हूं कि इस उपबन्ध के अन्तर्गत हम सामान्यतया कम मूल्य के गहनों पर कब्जा नहीं करेंगे परन्तु मैं गहने के मूल्य के लिए २०० रुपये की अनुविदित सीमा रखने की कठिनाई को अनुभव करता हूं । अतः उपबन्ध में यह सीमा हटाई जा सकती है । पंडित ठाकुर दास भार्गव का संशोधन संख्या ३१ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय: अब मैं श्री वेंकट-रामन के संशोधन को जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है, मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं ।

प्रश्न यह है कि :

"श्री अरुण चन्द्र गुह द्वारा प्रस्तावित सशोधन में, जो संशोधनों की सूची संख्या, १० में संख्या २९ के रूप में मुद्रित हुआ है प्रस्तावित नये खंड १७८क की उपधारा (२) के परन्तुक का लोप किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

*१९५५-५६ के लिए अनुदानों की मांगें

सभापति महोदय द्वारा शेष मांगें संख्या १६ से २० तक और ११२ , ७४ और ७५, ८४, ९३ से ९८ तक और १३३ से १३५ तक, १०४, १०५ और १०६ मतदान के लिए प्रस्तुत की गईं तथा स्वीकृत हुईं।

[लोक सभा द्वारा स्वीकृत मांगें नीचे दी जाती हैं--संपादक संसदीय प्रकाशन]

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
१६.	शिक्षा मंत्रालय	४९,९६,०००
१७.	पुरातत्व	५०,४७,०००
१८.	अन्य वैज्ञानिक विभाग	२,५४,१५,०००
१९.	शिक्षा	१६,४७,४१,०००
२०.	शिक्षा मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	२,४०,४२,०००
११२.	शिक्षा मंत्रालय का पूंजीव्यय	३०,५९,०००
७४.	विधि मंत्रालय	१,२६,९८,०००
७५.	न्याय व्यवस्था	२,०६,०००
८४.	संसद्-कार्य विभाग	१,५८,०००
९३.	परिवहन मंत्रालय	४०,९८,०००
९४.	पत्तन तथा पोत-मार्ग प्रदर्शन	६२,९३,०००
९५.	प्रकाशस्तम्भ तथा प्रकाशपोत	७४,७३,०००
९६.	केन्द्रीय सड़क निधि	४,२२,११,०००
९७.	संचार (राष्ट्रीय राजपथों सहित)	४,६४,३१,०००
९८.	परिवहन मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	३२,२८,०००
१३३.	पत्तनों पर पूंजीव्यय	४,३८,०४,०००
१३४.	सड़कों पर पूंजी व्यय	१४,९४,१७,०००
१३५.	परिवहन मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	१,२७,०५,०००
१०४.	संसद्	१,०१,६२,०००
१०५.	संसद् सचिवालय के अधीन विविध व्यय	२७,०००
१०६.	उपराष्ट्रपति का सचिवालय	६७,०००

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत

विनियोग (संख्या २) विधेयक

वित्तमंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): मैं प्रस्ताव करता हूं कि १९५५-५६ के वित्तीय वर्ष के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिए प्रस्तुत किया गया तथा स्वीकृत हुआ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं विधेयक* को पुरःस्थापित करता हूं।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, १८ अप्रैल, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित

GIPD—HS—80 LSD—17-12-55—240